AL HASANAT
BOOKS PVT. LTD.
इस्लाम
आतंकवाद
या
भाईचारा
डा॰ ज़ाकिर नाइक

ISLAM AATANKWAAD YA BHAICHAARA

Dr. ZAKIR NAIK

संस्करण 2010

प्रकाशक:

ए०एम०फ़हीम

अल हसनात बुक्स प्रा० लि०

3004/2, सर सय्यद अहमद रोड
दरिया गंज,नई दिल्ली-110002

TeL: 011-23271845,011-41563256

E-mail:alhasanatbooks@rediffmail.com
faisalfaheem@rediffmail.com

मुद्रक
एच० एस० ऑफसेट प्रेस
दरिया गंज दिल्ली.2

मूल्य:
50/-

विषय-सूची

डॉ० ज़ाकिर नायक (परिचय)

इस्लाम और पैग़म्बर इस्लाम (स.अ.व.)के बारे में ग़लत फ़हमियां फैलाने के जिस काम का प्रारम्भ मक्का के काफ़िरों ने किया था, उसे इस्लाम विरोधी और दुश्मने इस्लाम ने हर दौर में जारी रखा। लेकिन हर दौर में अल्लाह तआला ने ऐसे उलेमा (विद्वान) भी पैदा किए जो हर स्तर पर विरोधियों के जवाबात भी देते रहे और इस्लाम धर्म का वास्तविक पैग़ाम भी संसार के तमाम इंसानों तक पहुंचाते रहे।

सच और झूठ की लड़ाई का यह सिलसिला इस दौर में भी इसी तरह जारी है। जो काम भूतकाल में गोल्ड ज़ायर, मारगोलेथ, टिसडल, टोरी और सुपरनागर जैसे फ़िरक़ापरस्त, बेइंसाफ़ और पूर्वी ज़बानों के माहिर अपनी किताबों के ज़रिये कर रहे थे, वही काम आज के पश्चिमि साधन ज़्यादा ज़ोर-शोर, ज़्यादा असरदार लेकिन ग़ैर महसूस तरीक़े से कर रहे हैं। झूठ इस ज़्यादती से बोला जा रहा है कि ग़ैर तो ग़ैर अपने भी इसे सच मानने को तैयार नज़र आते हैं।

ये सूरते हाल तक़ाज़ा करती है कि दौरे हाज़िर के मुसलमान उलेमा में से भी कुछ लोग उन्हें जो नई तकनीकों का प्रयोग करते हुए असरदार मौजूदा तर्ज़ पर इसलाम का आलामी पैग़ाम पुरी इंसानियत और खासतौर से पश्चिमि दुनिया तक पहुंचाएं ताकि एक तरफ़ तो पश्चिमि मीडिया के प्रोपेगेंडा का तोड़ किया जा सके और दूसरी तरफ़ गिनती के बुद्धिजीवियों और पूर्वी भाषाओं के विशेषज्ञ की ओर से इसलाम और पैग़म्बरे इसलाम पर लगाए जाने वाले बे बुनियाद आरोपों को दलीलों के साथ ख़ारिज कर देने वाला जबाब दिया जा सके।

इस हवाले से दौरे हाज़िर में जिन मुसलमान उलेमा और बुद्धिजीवियों

को अल्लाह तआला की तरफ़ दीने हक की तरजुमानी की तौफ़ीक़ अता हुई, इन में एक नाम डा० ज़ाकिर नायक का है। डा० ज़ाकिर नायक का शुमार दौरे हाज़िर के मारूफ़ तरीन उलेमा में होता है।

ज़ाकिर नायक, जिन का पूरा नाम डॉ० ज़ाकिर अब्दुल करीम नायक है, 18 अक्तूबर 1965 को भारत के शहर मुंबई में पैदा हुए। आज से पहले यह शहर मुम्बई कहलाता था। डॉ० ज़ाकिर नायक का बचपन और जवानी इसी शहर में गुज़रे, जो फ़िल्म साज़ी और और दूसरे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का केंद्र है। लेकिन इस शहर की रंगीनियां उन्हें अपने दीन से दूर करने में कामियाब नहीं हो सकीं। यहां के सैंट पीटर्ज़ हाई स्कूल से प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद ज़ाकिर साहब किशन चंद चेला राम कॉलिज में दाख़िल हुए। इसके बाद मुंबई के नायर हस्पताल से जुड़े टोपी वाला मैडिकल कॉलिज से उन्होंने मैडिकल की तालीम हसिल की और उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ़ मुम्बई की ओर से MBBS की डिगरी प्राप्त हुई।

डॉ० साहब को इल्मे तिब् के अलावा उलूमे इस्लामी और मज़ाहिबे आलाम के तकाबुली मुताअले से भी गहरी दिलचस्पी है। इसके अलावा वह जन सेवा और जन कल्याण की अलग-अलग संस्थाओं में समाजिक, नैतिक, शैक्षिक और आर्थिक विकास की कई योजनाओं से जुड़े हैं।

लेकिन डॉ० ज़ाकिर नायक की लोकप्रियता का कारण उनका मुख्य और असाधारण संभाषण-कला है। डा० साहब इसलाम के दृष्टिकोण की व्याख्या असरदार अंदाज़ में करते हैं। इस उद्देश्य के लिये वह क़ुरआन व हदीस और दूसरे धर्मों की पवित्र इबारतों से असरदार और सही संदर्भ पेश करते हैं। उनकी स्मरण शक्ति (हाफ़िज़ा) असाधारण है। और उन्हें बातें और बहस व मुबाहिसे और नवीन वैज्ञानिक वास्तविक्ताओं का ज्ञान भी प्राप्त है। वह अलग अलग दृष्टिकोण का संतुलन और जांच परख के बाद अपनी मुख्य भाषण शैली के कारण से भी लोकप्रिय हैं।

उनके भाषणों के बाद आमतौर से सवाल व जवाब का एक वक़्फ़ा होता है जिस में वह श्रोता की ओर से पूछे जाने वाले तीखे व तेज़ सवालों के संतोष जनक उत्तर देते हैं। वह अब तक तक़रीबन एक हज़ार प्रवचन पेश कर चुके हैं। और इस दौरान अनगिनत मुसलमान और ग़ैर मुस्लिम औरतों व मर्दों के ज़हनों में इस्लाम के संदर्भ से मौजूद शंकाओं

और असुरक्षाओं को दूर करने का कारण बने हैं। वह न सिर्फ़ प्रवचन और भाषणों की सूरत में बल्कि मुबाहिसों, मुकालमों और बहसों के द्वारा भी इस्लाम का बचाव और उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। कई ग़ैर मुस्लिम विद्वानों के साथ उन्होंने वाद-विवाद में उन्होंने असाधारण सफ़लता प्राप्त की है।

इस उद्देश्य (मक़्सद) के लिये डॉ० ज़ाकिर ने, न सिर्फ़ हिन्दुस्तान में प्रवचन किये बल्कि दुनिया भर की यात्रा करके ग़ैर-मुस्लिमों तक इस्लाम की दावत आकर्षक वचन और आधुनिक शैली के नये तर्ज़ में पहुंचाने का सम्मान प्राप्त किया है। वह अब तक संयुक्तराष्ट्र अमरीका, कनाडा, ब्रिटेन, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, क़तर, बहरीन, दक्षिण अफ़्रीक़ा, मॉरीशस, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, सिंगापुर, हांगकांग, थाईलेंड, घाना और कई देशों में जन सभाओं को सम्बोधित कर चुके हैं।

डॉ० ज़ाकिर नायक न सिर्फ़ यह कि ख़ुद इस्लाम की दावत व तबलीग़ (प्रेषण) का कर्तव्य बेहतर तरीक़े से अदा कर रहे हैं बल्कि उन्होंने कई प्रशिक्षण के कार्यक्रमों का आयोजन भी किया, जिन में मुसलमान नौजवानों को प्रशिक्षण दिया गया ताकि वह इस्लाम का पैग़ाम और दावत लोगों तक असरदार तरीक़े से पहुंचाने के योग्य हो सकें। इन कार्यक्रमों को असाधारण कामयाबी मिली और बहुत से नौजवान यहां से तरबियत (प्रशिक्षण) हासिल करके इस्लाम के दायी (निमंत्रक) और (प्रचारक) बने।

ज़ाकिर नायक इस वक़्त मुम्बई में क़ायम तीन संस्थाओं के प्रबंधक हैं।

1. Islamic Research Foundation
2. IRF Education Trust
3. Islamic Dimensions

इस लिहाज़ से देखा जाए तो आज में इस्लाम का पैग़ाम पश्चिमी दुनिया तक अंग्रेज़ी और दूसरी पश्चिमि भाषाओं की नई शैली में और इन्टरनेट, सैटेलाइट चैनलों जैसे नये और असरदार साधनों द्वारा पहुंचाना इस्लामी दुनिया की एक महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी है। इस संस्थान में डॉ० ज़ाकिर नायक की ख़िदमात (सेवाएं) शहस्त्राब्द प्रशंसनीय हैं। हम उम्मीद रखते है कि दूसरे विद्वान भी इसी विधि को अपनाते हुए दावत व तबलीग़ का कर्तव्य पूरा करते रहेंगे।

अल हसनात बुक्स प्रा० लि० नई दिल्ली ने अब तक डॉ० ज़ाकिर नायक की निम्नलिखित पुस्तकों के अच्छे स्तर पर सही अनुवाद प्रकाशित किये हैं जिन को आम लोगों की भलाई में हद दर्जा कामयाबी मिली। अलहम्दुलिल्लाह।

इन किताबों के नाम निम्नलिखित हैं इनको आप हमारे यहां से प्राप्त कर सकते हैं।

1. मज़ाहिब-ए-आलम में ख़ुदा का तसव्वुर (अल्लाह की संकल्पना)
2. इस्लाम के बारे में ग़ैर-मुस्लिमों के सवालात के जवाबात (उर्दू)
3. इस्लाम के विषय में ग़ैर-मुस्लिमों के सवालात के जवाबात (हिंदी)
4. क़ुरआन और साइंस (उर्दू, हिंदी)
5. इस्लाम में ख़्वातीन के हुक़ूक़ (महिलाओं के अधिकार)
6. इस्लामः दहशत गर्दी या आलमी भाईचारा
7. गोश्त ख़ोरी-जायज़ या नाजायज़?
8. क्या क़ुरआन कलाम-ए-ख़ुदावंदी है?
9. इस्लाम और हिंदू धर्म में समानताएं (उर्दू, हिंदी)
10. इस्लाम पर चालीस एतिराज़ात के जवाबात
11. बाईबल क़ुरआन और जदीद साइंस

भाग-1

इस्लाम और वैश्विक भाईचारा

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ
لِتَعَارَفُوْا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ۔

(١٣:٤٩)

आज हमारा विषय है आलमी भाईचारा। भाईचारे कई प्रकार के होते है। यानी कई प्रकार का भाईचारा मुम्किन है। जैसे कि:

☆ ख़ानदान और आपसी मेलजोल के आधार पर भाईचारा।
☆ इलाके और देश के आधार पर भाईचारा।
☆ ज़ातपात और राष्ट्र या क़बीले के आधार पर भाईचारा।
☆ और आस्था के आधार पर बनने वाला भाईचारा।

ऊपर ज़िक्र किए गए भाईचारे की तमाम कल्पना सीमित है जबकि इस्लाम असीमित भाईचारे की संकल्पना पेश करता है। मैंने बातचीत की शुरुआत जिस आयत को पढ कर की है उस में इस्लाम में भाईचारे की संकल्पना बहुत स्पष्ट रूप में पेश कर दी गयी है। क़ुरआन मजीद में अल्लाह तबारक व तआला फ़रमाता है।

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ
لِتَعَارَفُوْا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ۔

(١٣:٤٩)

"लोगो! हम ने तुम को एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और फिर तुम्हारी कौमें (राष्ट्र) और बिरादरियां बना दीं ताकि तुम एक दूसरे को

पहचानो। वास्तव में अल्लाह के नज़दीक तुम में सब से इज़्ज़त वाला वह है जो तुम्हारे अन्दर सब से ज़्यादा परहेज़गार है। यक़ीनन अल्लाह सब कुछ जानने वाला और बा ख़बर है।"

इस पवित्र आयत में क़ुरआन तमाम मानवजाति को सम्बोधित करते हुए कहता है कि तुम सब को एक ही मर्द और औरत से पैदा किया गया है। पूरी दुनिया में जितने भी इंसान हैं सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और अल्लाह तआला फ़रमाता है कि तुम को क़बीलों और राष्ट्रों में इस लिये विभाजित किया गया कि तुम एक दूसरे को पहचान सको यानी यह बंटवारा केवल परिचय के लिये है। इस लिये नहीं कि इस बुनियाद पर एक दूसरे से लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया जाए। अल्लाह तआला के यहां फ़ज़ीलत (प्रधानता) और बरतरी (उत्तमता) की कसौटी जिन्स (लिंग), ज़ात, रंग व नस्ल और माल व दौलत नहीं है। कसौटी सिर्फ़ और सिर्फ़ तक़वा है, परहेज़गारी, नेक और अच्छा काम (सत्कर्म) है। जो व्यक्ति ज़्यादा मुत्तक़ी (संयमित) है, ज़्यादा परहेज़गार है और अल्लाह तआला से ज़्यादा डरने वाला है वही अल्लाह के यहां ज़्यादा सम्मान्य है और अल्लाह तआला हर चीज़ के बारे में पूरा ज्ञान रखता है।

क़ुरआन मजीद में आया है:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ

(٢٢:٣٠)

"और इस की निशानियों में से आसमानों और ज़मीनों का जन्म और तुम्हारी भाषाओं और तुम्हारे रंगों का अन्तर है। यक़ीनन इस में बहुत सी निशानियां हैं समझ दार लोगों के लिए।

यहां क़ुरआन हमें बताता है कि रंग, नस्ल और भाषा का फ़र्क़ अल्लाह का ही पैदा किया हुआ है। यह काले, गोरे, लाल, पीले, लोग सब अल्लाह तआला की निशानियां हैं। अत: इस फ़र्क़ के आधार पर नफ़रत करने का कोई अर्थ नहीं है। पूरी ज़मीन पर बोली जाने वाली प्रत्येक भाषा ख़ूबसूरत है। अगर आप ने कोई भाषा पहले नहीं सुनी या आप वह भाषा नहीं जानते तो ऐसा सम्भव है कि आप को वह भाषा मज़ाक़ लगे। लेकिन जो लोग उस भाषा को बोलने वाले हैं, उनके लिये शायद वही दुनिया की सब से ख़ूबसूरत भाषा हो। इसी लिये अल्लाह तआला फ़रमाता है कि

भाषा और रंग व नस्ल के ऐसी भिन्नता परिचय और पहचान के लिए बनाए गए हैं।

कुरआन पाक में अल्लाह तआला फ़रमाता है:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ
وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا

(۷۰:۱۷)

"और हम ने बनी आदम को वरियता दी और उन्हे ख़ुश्की व तरी में सवारियाँ अता की और उनको पाकीज़ा चीज़ों से रोज़ी दी और अपनी बहुतायत मानव जाति पर मुख्य प्राथमिकता दी।

यहां अल्लाह तआला यह नहीं फ़रमाता कि अल्लाह तआला ने सिर्फ़ अरबों को इज़्ज़त दी है या सिर्फ़ अमरीकियों को इज़्ज़त दी है या किसी मुख्य क़ौम (जाति) को इज़्ज़त दी है बल्कि अल्लाह तआला ने आदम अलैहिस्सलाम की तमाम औलाद को इज़्ज़त दी है। रंग, नस्ल, जाति, आस्था और जिंस (लिंग) के फ़र्क़ के बिना हर इंसान को इज़्ज़त दी है। बहुत से लोगों का विश्वास है कि इन्सानी नस्ल का आरम्भ एक ही जोड़े से हुआ है यानि आदम व हव्वा अलैहिस्सलाम से। लेकिन बहुत से लोगों का विश्वास यह है कि हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की ग़लती और गुनाह की वजह से पूरी मानव जाति गुनाहगार हो गई है। वह आदम अलैहिस्सलाम की ग़लती की ज़िम्मेदारी एक औरत पर, यानी हव्वा अलैहिस्सलाम पर डालते हैं।

हक़ीक़त यह है कि कुरआन मजीद में कई जगहों पर इस बात की चर्चा है लेकिन हर जगह दोनों को एक जैसा ज़िम्मेदार क़रार दिया गया है। आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम में से सिर्फ़ किसी एक को क़ुसूरवार नहीं ठहराया गया बल्कि अगर आप क़ुरआन मजीद की सूर: आ'राफ़ का अध्ययन करें तो वहां इरशाद होता है:

وَيٰٓاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ
فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ. فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطٰنُ لِيُبْدِىَ لَهُمَا مَاوٗرِىَ عَنْهُمَا مِنْ
سَوْاٰتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهٰكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُوْنَا
مِنَ الْخٰلِدِيْنَ. وَقَاسَمَهُمَآ اِنِّىْ لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِيْنَ. فَدَلّٰهُمَا بِغُرُوْرٍ فَلَمَّا ذَاقَا
الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادٰهُمَا

رَبُّهُمَا اَلَمْ اَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَاَقُلْ لَّكُمَآ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ.
قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ. قَالَ
اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ.

(۲۴-۱۹:۷)

"और ऐ आदम तू और तेरी बीवी दोनो जन्नत में रहो, जहां जिस चीज़ को तुम्हारा जी चाहे खाओ मगर इस दरख़्त (पेड़) के पास न फटकना वर्ना ज़ालिमों में से हो जाओगे। फिर शैतान ने उनको बहकाया ताकि उनकी शर्मगाहें (गुप्तांग) जो एक दूसरे से छुपाई गई थीं, उनके सामने खोल दे। इस ने इन से कहा "तुम्हारे रब ने तुम्हें जो उस पौधे की तरफ़ जाने से रोका है उसकी वजह इसके सिवा कुछ नहीं है कि कहीं तुम फ़रिश्ते न बन जाओ, या तुम्हें शाश्वत जीवन न प्राप्त हो जाए।" और इसने क़सम खाकर उनसे कहा कि मैं तुम्हारा सच्चा भला चाहने वाला हूं। इस तरह धोखा दे कर वह इन दोनों को धीरे धीरे अपने ढब पर ले आया। आख़िरकार जब उन्होंने उस पेड़ का मज़ा चखा तो उनके गुप्तांग एक दूसरे के सामने खुल गए और वह अपने शरीरों को जन्नत के पत्तों से ढांपने लगे। तब उनके 'रब' ने उन्हें पुकारा "क्या मैंने तुम्हें उस पौधे से न रोका था और न कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है?" दोनों बोल उठे; "ऐ रब! हमने अपने ऊपर अत्याचार किया, अब अगर तूने हम को माफ़ न किया तो वास्तव में हम तबाह हो जाएंगे।" फ़रमाया: उतर जाओ तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिये एक ख़ास मुद्दत (अवधि) तक ज़मीन ही में रहने का ठिकाना और ज़िन्दगी का सामान है।

ऊपर लिखी गई आयात से मालूम होता है कि आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम दोनो से ग़लती हुई, दोनों माफ़ी मांगने वाले बने और दोनों को अल्लाह तआला ने माफ़ किया। कुरआन मजीद में किसी जगह भी इस ग़लती के लिये अकेली हव्वा अलैहिस्सलाम को ज़िम्मेदार नही ठहराया गया बल्कि एक आयत तो ऐसी है जिस में सिर्फ़ आदम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है।

وَعَصٰىٓ اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى (۱۲۱:۲۰)

"और आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब की अवज़ा की और सही रास्ते से भटक गए। 20:121

लेकिन (जैसा कि बताया गया है) कुछ लोगों का यह विश्वास है कि हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तआला का हुक्म नहीं माना और पुरी मानव जाति उनके कारण गुनहगार ठहरी। इस्लाम इस बात को नहीं मानता। इसी प्रकार यह बात कि अल्लाह तआला ने औरत से नाराज़ होकर उसको औलाद पैदा करने का कष्ट दे दिया, इस बात को भी इस्लाम बिल्कुल नहीं मानता। इस तरह तो मां बनने का काम एक सज़ा और अज़ाब ठहरता है।

सूरहः निसा में अल्लाह तआला फ़रमाता है:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

(۱:۴)

"लोगो! अपने रब से डरो जिस ने तुम को एक जान से पैदा किया और उसी जान से इस का जोड़ा बनाया और इन दोनों से बहुत से मर्द व औरत दुनिया में फैला दिए। उस ख़ुदा से डरो जिस का वास्ता देकर तुम एक दूसरे से अपने हक़ मांगते हो, रिश्ते व मेलजोल को बिगाड़ने से परहेज़ करो। यक़ीन जानो कि अल्लाह तुम्हारी निगरानी कर रहा है।" 4:1

इस्लाम का मानना तो यह है कि मां बनने का कार्य औरत को ऊंचा स्थान दिलाता है और उसके दर्जे में बढ़ोत्तरी करता है।

सूरहः लुक़मान मे इरशाद है:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ.

(۱۴:۳۱)

"और यह सच है कि हम ने इंसान को अपने अभिभावक (माता-पिता) का अधिकार पहचानने की खुद चेतावनी दी है, उस की मां ने तकलीफ़ें उठाकर उसे अपने पेट में रखा और दो वर्ष उसका दूध छूटने में लगे। (इसी लिये हम ने उसे नसीहत की) मेरा शुक्रिया कर और अपने अभिभावक (माता-पिता) का धन्यवाद अदा कर, मेरी ही ओर तुझे पलटना है।" 31:14

इसी प्रकार सूरः एहक़ाफ़ में अल्लाह तआला का कहना है:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

(۱۵:۴۶)

"और हमने इंसान को आदेश दिया कि वह अपने अभिभावक (माता-पिता) के साथ अच्छा व्यवहार करे। उसकी मां ने मुशक़्क़त (कष्ट) उठा कर उसे पेट में रखा और मुशक़्क़त उठाकर ही उसको जन्म दिया और उसके गर्भ और दूध छुड़ाने में तीस माह लग गए। 46:15

हमल (गर्भ), औरत को अत्यधिक इज़्ज़त के क़ाबिल (सम्मान्नीय) बनाता है। यह कोई सज़ा नहीं है।

इस्लाम औरत मर्द दोनों को बराबर का अधिकार देता है। सही बुख़ारी किताबुल आदाब में एक हदीस है, जिसका अर्थ है:

"एक व्यक्ति जनाब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम (स.अ.व.) के पास आया और पूछने लगा कि या रसूल अल्लाह सल्लाहु अलैहे वसल्लम! मुझ पर सब से ज़्यादा हक़ किसका है? आप (स.अ.व.) ने फ़रमाया:

"तेरी मां का।" इस व्यक्ति ने पूछा कि इसके बाद? आप (स.अ.व.) ने फ़रमाया:

"तेरी मां का अधिकार।" इसने फिर पूछा कि इसके बाद? आप (स.अ.व.) ने फिर फ़रमाया:

"तेरी मां का।" इस व्यक्ति ने चौथी बार पूछा कि इसके बाद कौन? तो आप (स.अ.व.) ने फ़रमायाः "तुम्हारे पिता का।"

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि औलाद पर तीन चौथाई या 75 प्रतिशत हक़ (अधिकार) मां का बनता है और एक चौथाई या 25 प्रतिशत पिता का। इसे गोल्ड मैडल भी मिलता है, सिलवर मैडल भी और कांस्य पदक भी जब कि बाप को केवल उत्साह वृद्धन का पुरस्कार मिलता है, यह इस्लामी शिक्षा हैं।

इस्लाम मर्द और औरत को बराबरी का दर्जा देता है लेकिन बराबरी का अर्थ यकसानियत (एक रूपता) नहीं है। इस्लाम में औरतों के हुक़ूक़ (अधिकार) और दर्जे के हवाले से बहुत सी ग़लत फ़हमियां (शंकाएं) भी

पाई जाती हैं। ग़ैर मुस्लिमों और खुद मुसलमानों में पाई जाने वाली यह तमाम ग़लतफ़हमियां दूर हो सकती हैं अगर इस्लाम को कुरआन और सही अहादीस (पवित्र ग्रंथों) की सहायता से समझा जाए। जैसा कि मैंने पहले कहा इस्लाम में पूरे तौर पर मर्द और औरत बराबर हैं लेकिन इस समानता का अर्थ (एक रूपता) नहीं है। इस हवाले से मैं एक उदाहरण पेश किया करता हूं।

मान लीजिए कि एक ही कक्षा में दो तालिब-इल्म (विद्यार्थी) हैं "अ" तथा "ब"। ये दोनों विद्यार्थी एक परिक्षा में प्रथम आए हैं। क्योंकि दोनों ने सौ में से 80 नम्बर प्राप्त किया है। लेकिन अगर आप इनकी उत्तर पुस्तिका का विश्लेषण करें तो हालत यह है कि पर्चे में दस प्रश्न हैं। और हर प्रश्न के दस नम्बर हैं। पहले प्रश्न में विद्यार्थी "अ" ने दस में से नौ नम्बर लिये हैं और विद्याथी "ब" ने दस में से सात नम्बर लिये हैं, अत: पहले प्रश्न की हद तक विद्यार्थी "अ" को एक दर्जा वृद्धि हासिल है। दूसरे में "ब" ने नौ और "अ" ने सात नम्बर प्राप्त किये, लेहाज़ा दूसरे प्रश्न में बढ़ोत्तरी ''ब" वाले विद्यार्थी को हासिल है। बाक़ी आठ प्रश्नों में दोनों विद्यार्थियों ने आठ-आठ नम्बर हासिल किये हैं। मुकम्मल तौर पर दोनों विद्यार्थियों के नम्बर 80,80 हैं।

इस विश्लेषण के बाद मालूम हुआ कि मुकम्मल तौर पर तो दोनो विद्यार्थी बराबर हैं लेकिन किसी प्रश्न में "अ" को बढ़ोत्तरी प्राप्त है और किसी में "ब" को। इसी प्रकार इस्लाम में औरत और मर्द को पूरे तौर पर समान दर्जा दिया गया है लेकिन किसी औरत का दर्जा अधिक है तो कहीं मर्द को फ़ज़ीलत प्राप्त है। इस्लाम में भाईचारे का अर्थ यह नहीं है कि सिर्फ़ मर्द ही आपस में समान हैं। इस भाईचारे में औरतें भी शामिल हैं। आलमी भाईचारे (विश्व बंधुत्व) से यही मुराद है कि रंग, नस्ल, ज़बान और विश्वास के अलावा जिंस (नस्ल) की बुनियाद पर भी इंसानों के बीच कोई फ़र्क़ जारी रखना जायज़ नहीं सब बराबर हैं। अलबत्ता थोडा फ़र्क़ ज़रूर मौजूद है। उदाहरणत: मान लीजिए मेरे घर में एक डाकू आ जाता है। अब मैं औरतों के अधिकारों और आज़ादी पर पूरा विश्वास रखता हूं और दोनों जिन्सों (नस्लों) को बिल्कुल समान समझता हूं। लेकिन इस के बावजूद मैं यह नहीं कहुंगा कि मेरी बीवी या बहन या मां जाएं और डाकू का मुक़ाबला करें क्योंकि अल्लाह तआला सूर: निसा में फ़रमाता है:

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ (٣٤:٤)

"मर्द औरतों पर हाकिम (निगरानी करने वाले) हैं।"

चूंकि मर्द को शारीरिक शक्ति अधिक दी गई है लिहाज़ा इस संदर्भ से इसे एक दर्जा वृद्धि प्राप्त है और यह इसका फ़र्ज़ है कि औरतों की हिफ़ाज़त करे। गोया शारिरिक शक्ति एक ऐसा पहलू है जिसके संदर्भ से मर्द को बरतरी (श्रेष्ठता) हासिल है जब कि औलाद पर अधिकार के संदर्भ से औरत को श्रेष्ठता प्राप्त है। जैसा कि मैंने कहा कि औलाद पर मां का हक़ तीन गुना अधिक है। अगर आप इस हवाले से अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरी किताब **"इस्लाम में ख़्वातीन के हुक़ूक़ जदीद या फ़रसूदा"*** (इस्लाम में महिलाओं के अधिकार: अधुनातन या प्राचीन)। का अध्ययन करें।

इस किताब में, मैंने औरतों के हुक़ूक़ को छह प्रकार के वर्गो में बांटा है। किताब का पहला हिस्सा मेरे भाषण पर सम्मिलित है जिस में इस्लाम में औरतों के पवित्र अधिकारों, आर्थिक अधिकारों, क़ानूनी अधिकारों, शिक्षा के अधिकार, समाजिक और राजनैतिक अधिकारों के संदर्भ से बात की गई है। किताब का दूसरा हिस्सा सवाल व जवाब पर आधारित है, जिस में इस्लाम में औरतों की दशा और उनके अधिकारों के हवाले से बहुत सी ग़लत धारणाएं दूर करने की कोशिश की गई है।

इस्लाम में अल्लाह तआला का तसव्वुर (संकल्पना) यह नहीं है कि वह किसी ख़ास ज़ाति या नस्ल का ख़ुदा है। कुरआन मजीद की पहली सूरत में आया है:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ. اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ. (٣:١-١)

"तारीफ़ (प्रशंसा) अल्लाह ही के लिये है जो सारी दुनिया का रब है। बहुत मेहरबान और रहम फ़रमाने वाला है। बदले के दिन का मालिक है।"

और आख़िरी सूरत में बताया जाता है:

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ. (١:١١٤)

---

* प्रकाशित अल हसनात बुक्स (प्रा.) (लि.)

"कहो, में पनाह मांगता हूं (तमाम) इंसानों के रब की।"

इस तरह सूर: बक़रा: में इरशाद होता है

يَآيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلاً طَيِّبًا وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

(١٦٨:٢)

"लोगो! ज़मीन में जो हलाल और पाकीज़ा चीज़े हैं उन्हें खाओं और शैतान के बताए हुए रास्तों पर न चलो वह तुम्हारा खुला दुश्मन है।" 2:168

इस्लाम इस दुनिया में सही हक़ीक़ी आलमी भाईचारा (विश्व बंधुत्व) क़ायम करने के लिये एक पूरा निज़ामे अख़्लाक़ियात (व्यवहारिक व्यवस्था) भी देता है। इस्लाम एक ऐसा अख़्लाक़ी (व्यवहारिक) क़ानून देता है, जिस की सहायता से पूरी दुनिया में भाईचारे का उत्पन्न होना सम्भ्व है।

सूर: मायदा में आया है।

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ
جَمِيْعًا ط وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَآ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ط

(٣٢:٥)

"जिस ने किसी इंसान को ख़ून के बदले या ज़मीन में फ़साद (झगड़ा) फैलाने के सिवा किसी और कारण से क़त्ल किया, उस ने मानो सारे इंसानों को क़त्ल कर दिया और जिस ने किसी को ज़िंदगी दी उस ने मानो तमाम इंसानों को जीवन प्रदान किया। 5:32

यहां कुरआन कहता है कि अगर कोई किसी इंसान की हत्या करता है, इसके सिवा कि वह मनुष्य मुसलमान था या ग़ैर मुस्लिम, तो यह काम ऐसा ही है जैसे पूरी मानवजाति की हत्या करना। यहां न धर्म और अक़ीदे (आस्था) को वरियता दी गई है न रंग व नस्ल और जिंस को! किसी भी बेक़सूर इंसान को क़त्ल करना ऐसा है जैसे पूरी मानवजाति की हत्या करना। दूसरी तरफ़ अगर कोई किसी इंसान की जान बचाता है तो यह वैसा ही है जैसे पूरी इंसानियत को बचा लिया जाए। यहां भी कोई वरियता नहीं दी गई कि बचाया जाने वाला इंसान किस धर्म या किस अक़ीदे से सम्बंध रखता है?

इस्लाम, इस मक़सद के लिये सदाचार के कई नियमों को बनाता है ताकि वैश्विक भाईचारा दुनिया के हर हिस्से में जारी हो सके। कुरआन मजीद हर उस व्यक्ति को जिस पर ज़कात देना आवश्यक हो चुकाने का हुक्म देता है। यानि उपयुक्त धन प्रत्येक चंद-वर्ष (इस्लामी साल) 2.5 प्रतिशत के हिसाब से हक़दारों में तक़सीम (विभाजित) करने का आदेश देता है।

आज अगर पूरी दुनिया में हर व्यक्ति ज़कात देना शुरू कर दे तो दुनिया से गरीबी का पूरे तौर से ख़ात्मा हो सकता है यहां तक कि दुनिया में कोई एक व्यक्ति भी भूख से नहीं मरेगा। कुरआन हमें अपने पड़ोसियों के काम आने का भी आदेश देता है।

कुरआन मजीद मे अल्लाह तआला फ़रमाता है:

اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ. فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ. وَلَا يَحُضُّ
عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ. الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ
سَاهُوْنَ. الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُوْنَ. وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ.

(٧-١:١٠٧)

"तुम ने देखा उस व्यक्ति को जो आख़िरत (परलोक) की पुरस्कार व दण्ड को झुठलाता है वही तो है जो यतीम को धक्के देता है और मिस्कीन (गरीब) को खाना देने पर नहीं उकसाता। फिर तबाही है उन नमाज़ पढ़ने वालों के लिये भी जो अपनी नमाज़ से ग़फ़लत (बेख़बरी) बरतते है। जो रियाकारी (दिखावा) करते हैं और साधारण अवश्यकताओं की वस्तुएं (लोगो को) देने से बचते हैं।" 107:1-7

इसी तरह एक हदीसे नबवी (स.अ.व.) का अर्थ है:

"रसूल अल्लाह (स.अ.व.)ने फ़रमाया: वह व्यक्ति मुसलमान नहीं जिस का हमसाया (पड़ोसी) भूखा हो और वह खुद पेट भर कर सो जाए।"

ऐसा आदमी अल्लाह और उस के रसूल (स.अ.व.) की बताई हुई बातों पर अमल (काम) नहीं कर रहा। कुरआन फिज़ूल ख़र्ची से भी रोकता है। इरशाद होता है:

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا. اِنَّ

الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْآاِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا.
(۲۷،۲۶:۱۷)

"रिश्तेदार को उस का हक़ दो और मिस्कीन और मुसाफ़िर को उसका हक़। फ़िज़ूल ख़र्ची न करो। फ़िज़ूल ख़र्च लोग शैतान के भाई हैं और शैतान अपने रब का ना शुकरा (कृत्घ्न) है।"

अगर आप फ़िज़ूल ख़र्ची करते हैं तो यक़ीनन आप भाईचारे के वातावरण को ख़राब करने का कारण बन रहे हैं। क्योंकि जब एक आदमी फ़िज़ूल ख़र्ची और दिखावा करता है तो इस के नतीजे में नापसंदीदगी और नफ़रत के जज़्बात को बढ़ावा मिलता है और लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगते हैं। अतः किसी को भी दूसरे का हक़ नहीं मारना चाहिए बल्कि एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। अपने पड़ोसियों के काम आना चाहिए यह सदाचार की बातें हैं जिन का ज़िक्र कुरआन-ए-अज़ीम में मौजूद है।

इसी तरह कुरआन रिश्वतख़ोरी के लिए भी सख़्ती के साथ मना करता है। कुरआन मजीद की सूरः बक़राः में आया है:

وَلَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَاْكُلُوْا
فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.
(۱۸۸:۲)

"और तुम लोग न तो आपस में एक दूसरे के माल नाजायज़ तरीक़े से खाओ और न हाकिमों के आगे उनको इस ग़र्ज़ के लिये पेश करो कि तुम्हें दूसरों के माल का कोई हिस्सा जान बूझकर ज़ालिमाना तरीक़े से खाने का अवसर मिल जाए।"

मानो इस बात से मना किया जा रहा है कि रिश्वत के ज़रिये दूसरों का माल हथियाने की कोशिश न करो। इस्लाम इस बात की कभी इजाज़त नहीं देता कि कोई भी आदमी अपने भाई की जायदाद या माल को हथियाने की कोशिश करे।

अल्लाह तबारक व तआला फ़रमाता है:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.
(۹۰:۵)

"ऐ लोगो जो इमान लाए हो! यह शराब और जुआ और यह महफ़िल और पांसे, यह सब गंदे शैतानी काम हैं इन से परहेज़ करो, उम्मीद है कि तुम्हें फ़लाह (समृद्धि) नसीब होगी।"

इस आयत में कुरआन पाक हमें सारी नशीली चीज़ें यानी शराब और जुए बाज़ी से, क्योंकि यह सब शैतानी काम हैं रोक रहा है।

हम जानते हैं कि समाज में मौजूद बहुत सी बुराईयों का बुनियादी कारण नशीली वस्तुओं का उपयोग है और नतीजे के तौर पर, यह उस भाईचारे की फ़िज़ा को भी गंदा करने का कारण बनता है जो एक हक़ीक़ी इस्लामी और समाजिक भलाई का मक़सद है। आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका में औसतन रोज़ाना लगभग 1900 जिंसी (दैहिक) घटनाएं होती हैं और अधिकतर हालात में ज़्यादती करने वाले या ज़्यादती का शिकार होने वाले नशे की हालात में होते हैं।

इसी प्रकार आंकड़े हमें यह भी बताते हैं कि अमेरिका में (Incest) की घटनाएं 8 प्रतिशत हैं यानि बारहवां या तेरहवां व्यक्ति अपने क़रीबी रिश्तेदार के साथ व्यभिचार (संभोग) करता है। और क़रीबी रिश्तेदार के साथ ज़िना (बलात्कार) की लगभग सारी घटनाएं नशे की हालत में ही होती।

एड्स जैसी बिमारियों के दुनिया में इस हद तक तेज़ी से फैलने के कारणों में से एक कारण मंशियात (नशा) भी है। इसी लिये कुरआन जुए और नशीली वस्तुओं को शैतानी काम क़रार देता है। सफ़लता और तरक़्क़ी हासिल करने के लिये इन शैतानी कार्यो से बचना आवश्यक है। यदि आप वास्तव में इन कार्यो से बचते रहें तो दुनिया भर में वास्तविक भाईचारे का माहौल बनाने में सहायता मिलेगी।

कुरआन मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद हुआ है।

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَسَآءَ سَبِيْلًا
(۳۲:۱۷)

"ज़िना (बलात्कार) के नज़दीक न जाओ, वह बहुत बुरा काम है और बड़ा ही बुरा रास्ता है।"

मानो इस्लाम बदकिरदारी (चरित्रहीनता) का सख़्ती से विरोध करता है। सूरहः हुजरात में अल्लाह तआला फ़रमाता है:

يَآاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَايَسْخَرْقَوْمٌ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَانِسَآءٌ
مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا
بِالْاَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ
هُمُ الظَّالِمُوْنَ. يَآاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ
اِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّأْكُلَ
لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ.

(۱۲-۱۱:۴۹)

"ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, न मर्द दूसरे मर्द का मज़ाक उड़ाएं, हो सकता है कि वह उन से अच्छा हो और न औरतें दूसरी औरतों का मजाक उड़ाएं हो सकता है कि वह उन से बेहतर हों। आपस में एक दूसरे पर ताने न करो और न एक दूसरे को बुरे नामों से याद करो। ईमान लाने के बाद पापाचार, (गुनाह) में नाम पैदा करना बहुत बुरी बात है। जो लोग इस तरीक़े से न बचें वह ज़ालिम लोग हैं, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, बहुत गुमान करने से परहेज़ करो कि कुछ गुमान (भ्रम) भी गुनाह होते हैं। तजस्सुस (लालच) न करो और तुम में से कोई किसी की ग़ीबत (चुग़ली) न करे, क्या तुम्हारे अन्दर कोई ऐसा है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना पसंद करेगा। देखो तुम ख़ुद इस से घृणा करते हो। अल्लाह से डरो, अल्लाह बड़ा तौबा कबूल करने वाला और रहीम है।" 49: 11-12

इस क़ुरआनी बात के अनुसार किसी की पीठ पीछे बुराई करना या ग़ीबत करना बहुत बड़ा गुनाह है। यह अमल (कार्य) ऐसा ही है जैसे अपने मुर्दा (मरे हुए) भाई का गोश्त खाना और इस काम की कराहियत (घृणा) इस मिसाल से समझ में आ जाती है। इंसानी गोश्त खाना ही हराम है और अपने मुर्दा (मरे हुए) भाई का गोश्त, हुरमत दो गुनी हो जाती है। आदम ख़ोर लोग जो इंसानी गोश्त मज़े ले लेकर खाते है वो भी अपने भाई का गोश्त खाने के लिये तैयार नहीं होंगे। अगर आप किसी की ग़ीबत (चुग़ली) करते हैं तो यह दोहरा गुनाह है। यह ऐसा है जैसे मुर्दा (मरे हुए) भाई का गोश्त खाना। तो क्या आप यह पसन्द करेंगें? क़ुरआन ख़ुद जवाब देता है कि नहीं तुम यह पसंद नहीं करोगे। कोई भी यह पसन्द नहीं करेगा। अल्लाह तआला फ़रमाता है:

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ. (۱:۱۰۴)

"तबाही है हर उस व्यक्ति के लिये जो (मुंह दर मुंह) लोगों पर ताने करे और (पीठ पीछे) बुराईयां करने की आदत है।" 104:1

क़ुरआन मजीद और अहादीस सहीहा में कही गई तमाम आयतें/बातें हकीकी भाईचारे को बढ़ावा देने वाली और पक्का करने वाली हैं। इस्लाम की इन्फ़िरादीयत (मौलिकता) यह है कि यह सिर्फ़ भाईचारे का ज़िक्र नहीं करता बल्कि भाईचारे के अमली मुज़ाहिरे (व्यवहारिक प्रदर्शन) के लिये भी आवश्यक बातों पर ज़ोर देता है।

मुसलमान इस भाईचारे का एक व्यवहारिक प्रदर्शन दिन में पांच बार नमाज़ बा-जमात अदा करने के दौरान करते है।

सही बुख़ारी की एक हदीस का अर्थ है:

"हज़रत अनस रज़ी० फ़रमाते हैं कि जब हम लोग नमाज़ के लिये खड़े होते तो कंधे से कंधा और पांव से पांव मिलाकर खड़े होते थे।"

सुनन अबु दाऊद, किताबुससलात की एक हदीस का अर्थ कुछ इस तरह से है:

"हुज़ूर नबी करीम (स॰अ॰व॰) ने फ़रमाया: जब तुम नमाज़ के लिये खड़े हो तो अपनी सफ़ें (पंक्तियां) सीधी कर लिया करो, कंधे से कंधा मिला लिया करो और शैतान के लिये ख़ाली जगह न छोड़ा करो।"

ऊपर लिखी गई हदीस में रसूल अल्लाह (स॰अ॰व॰) ने फ़रमाया कि नमाज़ के दौरान एक दूसरे के क़रीब खड़े हुआ करो और शैतान के लिये ख़ाली जगह न छोड़ा करो। रसूल अल्लाह यहां उस शैतान का ज़िक्र नहीं कर रहे जिसे आप लोग टी॰वी॰ पर देखते हैं जिस के दो सींघ और एक दुम होती है। यहां शैतान से मुराद ऐसे प्रकार की कोई प्राणी नहीं है, यहां मुराद नस्ल परस्ती का शैतान है, इलाक़ाई तास्सुब क्षेत्रीय पूर्वग्रह का शैतान है। रंग व ज़ातपात और भाषाई शैतान है जिसे अपनी सफ़ों (पंक्तियों) में जगह देने से यहां रोका जा रहा है।

अंतरराष्ट्रीय भाईचारे की एक बड़ी मिसाल "हज" है। दुनिया भर से लगभग पच्चीस लाख लोग हज की अदायगी के लिये सऊदी अरब के शहर मक्का पहुंचते है। यह लोग दुनिया के कोने कोने से वहां आते हैं, अमेरिका से, कनाडा से, ब्रिटेन से, सिंगापुर, मलेशिया, हिंदुस्तान

पाकिस्तान, इंडोनेशिया यहां तक कि दुनिया भर से मुसलमान हज के लिये मक्का मुकर्रमा पहुंचते हैं।

इस मौक़े पर तमाम मर्द एक जैसे बिना सिले सफ़ेद चादरों का लिबास पहने हुए होते हैं। इस अवसर पर आप अपने आस पास खड़े लोगों के बारे में यह फ़ैसला भी नहीं कर सकते कि उनकी क्या हैसियत है। वह बादशाह हो या फ़क़ीर उनका हुलिया एक जैसा होगा। बैनुलअक़वामी (अंतरराष्ट्रीय) भाईचारे की इस से बड़ी मिसाल और क्या हो सकती है? हज दुनिया का सब से बड़ा सालाना (वार्षिक) इजतिमाअ (सम्मेलन) है। कम से कम पच्चीस लाख लोग वहां जमा होते है। आप बादशाह हों या फ़क़ीर, ग़रीब हों या अमीर, गोरे हों या काले, शरक़ी हों या ग़रबी, आप एक ही लिबास पहने हुए होगें।

रसूल अल्लाह (स.अ.व.) ने अपने आख़िरी ख़ुत्बे (प्रवचन) में ऐलान फ़रमा दिया कि तमाम इंसान एक ही रब की मख़्लूक़ (जीव) हैं अतः

किसी अरबी को अजमी पर या अजमी को अरबी पर कोई फ़ज़ीलत हासिल नहीं। कोई गोरा काले से या काला गोरे से अफ़ज़ल (वरिष्ठ) नहीं है, बरतरी (उत्तमता) की बुनियाद सिर्फ़ और सिर्फ़ तक़वा (संयम) है।

सिर्फ़ तक़वा (संयम), नेकी और ख़ुदा का भय ही अल्लाह तआला के यहां फ़ज़ीलत (वरियता) की कसौटी है। आप की कौम, आप का रंग आप को कोई बरतरी (वरियता) नहीं दिलाते। अल्लाह तआला के यहाँ सब इंसान समान हैं।

हां! अगर आप अल्लाह से ज़्यादा डरने वाले हैं, ज़्यादा परहेज़गार (सच्चे लोग) हैं। ज़्यादा मुत्तक़ी हैं तो फिर अल्लाह तआला की नज़र में आप के अफ़ज़ल होने का इम्कान (संभावना) है।

हज के मौक़े पर तमाम हाजी लगातार यही शब्द दुहराते है:

(لبیک الــلّٰھُمّ لبیک لاشـــریک لک لبیک......)

अनुवादः हाज़िर हूं, ऐ अल्लाह मैं हाज़िर हूं। नहीं कोई माबूद। (पूजने योग्य।")

पूरे हज के दौरान वह लगातार यह शब्द दुहराते रहते हैं, ताकि यह उनके (विचार) मज़बूत हो जाएं यहा तक कि जब वह वापिस आते है तो फिर भी यह शब्द उन के दिमाग़ में गूंजते रहते है।

इस्लामी अक़ीदे (आस्था) का बुनियादी स्तंभ यही है कि इस बात पर ईमान रखा जाए कि केवल अल्लाह तआला ही इस कायनात (सृष्टि) का अकेला बिना किसी को शामिल किये, पैदा करने वाला और मालिक है। वही है जिसकी इबादत की जानी चाहिए, अगर आप ग़ौर करें तो एक और सिर्फ़ एक ख़ुदा पर ईमान की सूरत में ही आलमी भाईचारे का होना सम्भव है।

एक ही ख़ुदा पूरी मानवजाति का पैदा करने वाला है। उसी ने सब को पैदा किया है। आप अमीर हों या ग़रीब, काले हों या गोरे, मर्द हों या औरत, आप का सम्बंध किसी अक़ीदे (आस्था) से हो, किसी जाति से हो, किसी देश या इलाक़े से हो, आप सब बराबर हैं क्योंकि आप सब एक ही ख़ालिक़ (सृष्टि कर्त्ता) की मख़लूक़ हैं। आप सब को एक ख़ुदा ने ही पैदा किया है। अगर आप एक रब पर ईमान रखते हैं तो आप के बीच हक़ीक़ी भाईचारा पैदा होना सवाभाविक है।

यही कारण है कि दुनिया के अधिकतर बड़े धर्मों में उच्च स्तर पर एक ही ख़ुदा की संकल्पना पायी जाती है।

आक्सफ़ोर्ड अंग्रेज़ी डिक्शनरी (शब्दकोष) में धर्म की परिभाषा कुछ इस प्रकार की गई है:

"Belief in a super human controlling power, a God or gods that deserve worship & obedience."

इस परिभाषा के आलोक में अगर आप किसी धर्म को समझना चाहते हैं तो इस के लिये आवश्यक है कि इस धर्म में ख़ुदा की संकल्पना को समझा जाए। अन्य किसी धर्म के ख़ुदा की संकल्पना को, उस धर्म के मानने वालों के कार्यो को सामने रख कर नहीं समझा जा सकता। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि किसी धर्म के अनुयायी अपने धर्म की वास्तविक शिक्षा से आगाह (सचेत) हों और इन पर अमल भी कर रहे हों। अतः सब से अच्छा तरीक़ा यह है कि उस धर्म के पवित्र विचारों का अध्ययन किया जाए कि उस में ख़ुदा की कैसी संकल्पना पेश की गई है?

कुरआन मजीद सूरहः आले इमरान में हमें बताता है:

قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍۢ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا
وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ.

(٦٤:٣)

"ऐ नबी (स.अ.व.), कहो! ऐ अहले किताब आओ एक ऐसी बात की तरफ़ जो हमारे और तुम्हारे बीच एक जैसी हैं। ये कि हम अल्लाह के सिवा किसी की बन्दगी (पूजा) न करें। उस के साथ किसी को शरीक न ठहराएं और हम में से कोई अल्लाह के सिवा किसी को अपना रब न बना ले। इस दावत को कुबूल करने से अगर वह मुंह मोड़े तो साफ़ कह दो कि गवाह रहो हम तो मुस्लिम हैं, और खुदा की इताअत व बन्दगी (पूजने वाले) करने वाले हैं।" 3:64

जैसा कि अर्ज़ किया गया किसी धर्म को समझने के लिये ज़रूरी है कि उस धर्म में खुदा के संकल्पना को समझ लिया जाए। अगर किसी धर्म के खुदा का तसव्वुर आप की समझ में आ गया तो गोया आप ने उस धर्म को समझ लिया।

आईए सब से पहले हिंदूमत् में खुदा के तसव्वुर को समझने की कोशिश करते हैं।

अगर आप एक आम हिंदू से जो आलिम (ज्ञानी) नहीं है, यह पूछेगें कि वह कितने खुदाओं की इबादत करता है तो उसका जवाब अलग अलग हो सकता है। हो सकता है वह कहे "तीन" या कहे कि "एक सौ" या "एक हज़ार"। यह भी सम्भव है कि उसका जवाब हो 33 करोड़। लेकिन अगर आप एक पढ़े लिखे आलिम (ज्ञानी) हिंदू से यही प्रश्न पूछें तो उसका जवाब होगा, हकीकत में हिंदुओं को एक और सिर्फ़ एक खुदा की ही इबादत करनी चाहिए और इसी पर ईमान रखना चाहिए। आम हिंदू "हुलूल" (गड़बड़) के अक़ीदे पर यकीन रखता है। वह कहता है कि हर चीज़ खुदा है, वृक्ष खुदा है, सूरज खुदा है, चांद खुदा है, बंदर खुदा है, सांप खुदा है और खुद इंसान भी खुदा है। "हर चीज़ खुदा है।"

जब कि हम मुसलमानों का विश्वास है कि "हर चीज़ खुदा की है।" यानी हम इस जुमले में सिर्फ़ एक शब्द "की" का इज़ाफ़ा करते हैं। "हर चीज़ खुदा की है।" सारा फ़र्क इसी एक शब्द "की" का है। हिंदू कहता है। "हर चीज़ खुदा है।" मुसलमान कहता है "हर चीज़ खुदा की है।" अगर इस एक शब्द का मसला हल कर लिया जाए तो हिंदू और मुसलमान मुत्तफ़िक़ (सहमत) हो सकते है। उनके इख़्तिलाफ़ात (मत-भिन्नता) का ख़ात्मा हो सकता है।

यह किस तरह होगा? कुरआन इस का तरीक़ा यह बताता है कि जो

बातें हमारे बीच समान हैं उन पर एक राय कर ली जाए और उनमें से पहली बात क्या है? यह कि हम सिर्फ़ एक खुदा के अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगें।

"अब हाल यह है कि हिंदुओं के पवित्र ग्रंथों में से सब से अधिक पढ़ा जाने वाला और सर्वमान्य धर्म ग्रंथ "भगवद् गीता" है। अगर आप भगवद् गीता का अध्ययन करें तो उस में आप को यह बयान भी मिलेगा:

"और वह लोग जिन की अक्ल व समझ माद्दी (भौतिक) इच्छाएं छिन चुकी है, वह झूठे खुदाओं की इबादत करते हैं। एक हकीकी खुदा के अलावा।"

(7/13)

इस तरह अगर आप उपनिषद का अध्ययन करें तो आप चन्दोग्या उपनिषद में लिखा हुआ पाएंगे कि:

"खुदा एक ही है, दूसरा कोई नहीं।"

(खण्ड-1, भाग-2, अध्याय 6)

"उस एक के अलावा कोई खुदा नहीं और वह किसी से पैदा भी नहीं हुआ।"

(सवितासूत्र:उपनिषद)

"उस जैसा कोई भी नहीं।"

(सवितासूत्र:उपनिषद)

"उसकी कोई सूरत नहीं है, उसको कोई देख नहीं सकता।"

(सवितासूत्र:उपनिषद)

इसी तरह हिंदू मत् के पवित्र ग्रंथों में से पवित्र वेदों की बात की जाती है। बुनियादी तौर पर चार वेद है:

☆ ऋग्वेद

☆ यजुर्वेद

☆ सामवेद

☆ अथर्ववेद

अगर आप इन वेदों का अध्ययन करें तो इन में आप को उपरोक्त प्रकार के कथन मिलेगें:

"उस का कोई अक्स (प्रतिबिम्ब,परछाई) नहीं है।"

(यजुर्वेद)

"वह हर आकार से पवित्र है।"

(यजुर्वेद)

और यजुर्वेद की अगली ही पंक्ति में यह कथन भी मौजूद है:

"जो लोग सरस्वती की पूजा करते है। वह अंधकार में प्रवेश कर रहे हैं।"

(यजुर्वेद)

"सरस्वती" से मुराद प्राकृतिक दृष्यों जैसे आग, पानी और हवा हैं। आगे यह कहा जाता है:

"और जो लोग असम्भवति की पूजा करते हैं वह इस से अधिक अंधकार में दाख़िल हो रहे हैं।" (यजुर्वेद)

सरस्वती से तात्पर्य है इंसान की बनाई हुई चीजें (कृत्रिम वस्तुएं) जैसे मेज़, कुर्सियां आदि इंसान के बनाए हुए बुत भी इस में शामिल हैं। इसी तरह अगर आप अथर्ववेद का अध्ययन करें तो उस में भी आप को इस तरह के बयान मिलेगें।

"और निसंदेह महानता, महान प्रमात्मा ही के लिये है।"

(अथर्ववेद)

वेदों में से अधिक पवित्र "ऋग्वेद" को समझा जाता है।

"साधु और नेक लोग महान प्रमात्मा को कई नामों से पुकारते हैं।"

(ऋग्वेद)

ऋग्वेद में महान प्रमात्मा की कई परिभाषाएं बयान की गई हैं और इसके लिये कई नामों को रेखांकित किया गया है, उनमें से एक नाम "ब्रह्मा" है।

अगर आप ब्रह्मा का अंग्रेज़ी अनुवाद करें तो वही होगा Creator

अगर ब्रह्मा का अरबी अनुवाद करें तो वह होगा;...... ख़ालिक (पैदा करने वाला)।

हम मुसलमानों को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं होगी कि कोई महान ख़ुदा को 'ख़ालिक' (पैदा करने वाला) कह कर पुकारता है या Creator ब्रह्मा कह कर। लेकिन अगर कोई कहे कि ब्रह्मा वह ख़ुदा है जिस के चार सिर हैं और हर सिर पर एक ताज है, तो हम मुसलमानों को इस बात पर स्वाभाविक आपत्ति होगी।

इसके अलावा यह बात सवितासूत्र,उपनिषद के विरोध में भी जाएगी जिस में कहा गया है:

"कोई इस से मुशाबह (समरूप) नहीं है।"

इसी तरह ऋग्वेद में ख़ुदा को 'विष्णु' कहकर भी पुकारा गया है। यह भी एक ख़ूबसूरत नाम है जिसका अंग्रेज़ी अनुवाद The Sustainer होगा। अरबी में इस शब्द का अनुवाद होगा "रब"।

हम मुसलमानों को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं होगी कि उस एक ख़ुदा को रब या Sustainer या विष्णु कहकर पुकारा जाए। लेकिन उस समय यक़ीनन हमें अधिक आपत्ति होगी जब कहा जाए कि विष्णु वह ख़ुदा है जिस के चार हाथ हैं। उस के एक हाथ में "चक्र" है, एक हाथ में कंवल का फूल है। इस तरह के कथनों से हम बिल्कुल सहमत नहीं होंगे।

इसके अलावा ऐसी बात करने वाले वेदों के इस कथन का भी विरोध करेंगें कि "इस का कोई अक्स (परछाई) नहीं है।" क्योंकि इस प्रकार वह ख़ुदा का अक्स (परछाई) निश्चित चित्र के रूप में पेश कर रहे है। ऋग्वेद में भी यही कहा गया है:

"सारी तारीफ़ें उसी के लिये है और वही पूजा के लायक़ (योग्य) है।"

(ऋग्वेद)

"भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, ज़रा भी नहीं है।"

(ऋग्वेद)

मानो ख़ुद हिंदू मत के पवित्र ग्रंथों को पढ़कर ही हिंदू धर्म की वास्तविक आस्था को समझा जा सकता है और यूं हिंदू मत में ख़ुदा की संकल्पना को समझना संभव और आसान है।

अब हम आते है यहूदियत में ख़ुदा की संकल्पना की तरफ़। अगर आप "अहदनामा अतीक" (नवीन संविदा) का अध्ययन करें तो इस में आप को निम्नलिखित आयात मिलेंगी।

"क़ुद्दूस, क़ुद्दूस, क़ुद्दूस रब्बुल अफ़्वाज है।"

"सारी ज़मीन उसके जलाल (क्रोध) से भरी हुई है।"

(यसइयाह: 6/4)

"मैं ही यहूद हूं। मेरे सिवा कोई बचाने वाला नहीं।"

(यसइयाह:43/11)

"मैं ही ख़ुदावन्द हूं मेरे सिवा कोई ख़ुदा नहीं।"

(यसइयाह:45/4)

"याद करो कि मैं खुदा हूं और कोई दूसरा नहीं, में खुदा हूं और मुझ सा कोई नहीं।"

(यसइयाह:46/9)

मेरे हुज़ूर तू ग़ैर माबूदों (अपूज्य) को न मानना। तू अपने लिये कोई तराशी हुई मूरत न बनाना। न किसी वस्तु का आकार बनाना जो ऊपर आसमान या नीचे ज़मीन में या ज़मीन के नीचे पानी में है। तू उन के आगे सज्दा (माथा टेकना) न करना और न उनकी इबादत (पूजा) करना क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा, स्वाभिमानी खुदा हूं।

(खरूज:20/7-5)

यूं "अहदनामा क़दीम" (प्राचीन संविदा) का अध्ययन करके आप यहूदियत में खुदा का तस्व्वुर अच्छी तरह समझ सकते हैं।

लिहाज़ा हम यह देखने में हक़ के लायक़ है कि यहूदियत में खुदा की संकल्पना को समझने के लिये आवश्यक है कि इसे पुराने अहद नामें से ही समझा जाए। मसीहियत में खुदा की संकल्पना पर बात करने से पहले मैं यह स्पष्ट करना भी ज़रूरी समझता हूं कि खुद ईसाईयत के अलावा, इस्लाम दुनिया का अकेला धर्म है जिस में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाना बुनियादी अक़ाइद (मौलिक अवधारणाओं) में शामिल है। कोई मुसलमान उस वक़्त तक मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक वह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी न माने। हम उन्हें मसीह अलैहिस्सलाम समझते हैं और यह अक़ीदा (विश्वास) रखते हैं कि उनका जन्म चमत्कारिक रूप से हुआ था। वह बिना किसी पिता के पैदा हुए थे। हालांकि आज कल के बहुत से ईसाई यह बात नहीं मानते। हमारा यह अक़ीदा है कि वह अल्लाह तआला के हौसला रखने वाले पैगम्बरों में से एक थे। अल्लाह तआला ने उन्हें मोजिज़ात (चमत्कार) दिये। वह अल्लाह के हुक्म से कोढ़ियों को ठीक कर देते थे। अंधों की बीनाई (दृष्टि) लौटा देते थे। यहां तक कि अल्लाह तआला के हुक्म से मुर्दों को ज़िंदा कर दिया करते थे। यहां तक तो हम और ईसाई सहमत है लेकिन कुछ ईसाई यह अक़ीदा (विश्वास) रखते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुदाई में शरीक होने का या उलूहियत (खुदाई) का दावा किया था।

हालांकि अगर आप इंजील का अध्ययन करें तो पूरी इंजील में कहीं

भी आप को कोई ऐसा बयान (कथन) नहीं मिलेगा जिस में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उलूहियत (खुदाई) का दावा किया हो या यह कहा हो कि मेरी इबादत (पूजा) करो।

इंजील में तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इस प्रकार के कई कथन मिलते हैं:

"अगर तुम मुझ से मुहब्बत रखते तो इस बात से खुश होते कि में बाप के पास जाता हूं क्योंकि बाप मुझ से बड़ा है।"

(यूहन्ना 14:28)

"मेरा बाप सब से बड़ा है।"

(यूहन्ना 10:29)

"मैं खुदा की रूह की सहायता से बदरूहों को निकालता हूं।"

(मती 12:28)

"मैं बदरूहों (दुष्टात्मा/प्रेत) को खुदा की क़ुदरत से निकालता हूं।

(लूक़ा 11:20)

"मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूं अदालत करता हूं और मेरी अदालत सच्चाई हैं क्योंकि मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं बल्कि अपने भेजने वाले की मर्ज़ी से चालता हूं।"

(यूहन्ना 5:30)

अगर कोई यह कहे कि मैं अपनी मर्ज़ी नहीं चाहता बल्कि खुदा की मर्ज़ी चाहता हूं तो हक़ीक़ी तौरपर "अपनी मर्ज़ी को अल्लाह की मर्ज़ी के अनुसार कर देना है।" और अगर इसका अरबी अनुवाद एक शब्द में किया जाए तो वह शब्द होगा "इस्लाम"। वह व्यक्ति जो अपनी मर्ज़ी और इच्छा को अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के अनुसार कर देता है, मुसलमान कहलाता है।

हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने से पहले के पैग़ंबरों की शरीयतें (धर्म संविधान) समाप्त करने के लिये तशरीफ़ नहीं लाए थे बल्कि वास्तविक तौर पर वह उनकी तसदीक़ (पुष्टि) के लिये आये थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुद फ़रतमाते हैं:

"यह न समझो कि मैं तौरात या नबियों की किताबों को मंसूख़ (निरस्त) करने आया हूं, रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। क्योंकि मैं तुम से सच कहता हूं कि जब तक आसमान और ज़मीन टल

न जाएं, एक नुक्ता या एक शोशा (चिन्ह) तौरात से हरगिज़ नहीं टलेगा जब तक सब कुछ पूरा न हो जाए, तो जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों में से भी किसी को तोड़ेगा और यही आदमियों को सिखाएगा, वह आसमान की बादशाही में सब से छोटा कहलाएगा। लेकिन जो उन पर कर्म करेगा और उनको शिक्षा देगा वह आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। क्योंकि मैं तुम से कहता हूं कि अगर तुम्हारी सच्चाई धर्म शास्त्रों की सच्चाई से अधिक न होगी तो तुम आसमानों की बादशाही में हरगिज़ दाखिल न होगे।"

(मती 5:17,20)

इसी प्रकार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी यह दावा नहीं किया कि वह स्वयं खुदा हैं बल्कि हमेशा यही फ़रमाते रहे कि खुदा ने उन्हें भेजा है। यूहन्ना की इंजील में आता है:

"और जो कलाम तुम सुनते हो वह मेरा नहीं बल्कि बाप का है जिस ने मुझे भेजा है।"

(यूहन्ना 14:24)

"और हमेशा की ज़िन्दगी यह है कि वह तुझ एक खुदा और बरहक़ (सत्य) को और यशुअ मसीह को जिसे तूने भेजा है मानें।"

(यूहन्ना 17:3)

"ऐ इसराईलियों! यह बाते सुनों कि यशुअ नासरी एक व्यक्ति था जिस का खुदा की तरफ़ से होना तुम पर इन चमत्कारों और आश्चर्य के कर्मों और निशानों से साबित हुआ, जो खुदा ने उसके द्वारा तुम में दिखाए, चुनांचे तुम स्वयं ही जानते हो।"

(आमाल 2:22)

जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि पहला हुक्म क्या है, तो उन्होंने वही जवाब दिया जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दिया था:

"ऐ इसराईल सुन! खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है।"

(मरकस 12:29)

आप ने देखा कि ईसाईयत में खुदा की संकल्पना को समझने के लिये इंजील का अध्ययन कितना ज़रूरी है, गोया इंजील का अध्ययन किये बिना ईसाईयत में खुदा की संकल्पना को समझना सम्भव नहीं।

अब हम इस्लाम की ओर आते है और देखते हैं कि इस्लाम में खुदा

की संकल्पना किया है? इस्लाम में खुदा की संकल्पना के बारे में कई प्रश्नों का बेहतरीन जवाब कुरआन मजीद के सूर: इख़्लास में मौजूद है:

قُلْ هُوَاللّٰهُ اَحَدٌ. اَللّٰهُ الصَّمَدُ. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ. وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ.

"कहो वह अल्लाह है, एक (तनहा)।
अल्लाह सब से बेनियाज़ (निर्लोभ) है और सब उसके मुहताज (पाने वाले) हैं।
न उसकी कोई औलाद है और न वह किसी की औलाद है और कोई उस का हमसर (साथी) नहीं है।"

यह सूर:, इस्लाम में खुदा का तसव्वुर, अल्लाह तआला की संकल्पना चार पंक्तियों में पेश कर देती है। अब जो कोई भी खुदाई का दावा करे उसको इन चार पंक्तियों में मौजूद मेयार (कसौटी) पर पूरा उतरना होगा। अगर वह इन शर्तों पर पूरा उतरता है तो फिर हम मुसलमान उसे खुदा मान सकते हैं।

पहली शर्त:

قُلْ هُوَاللّٰهُ اَحَدٌ **कहो कि वह अल्लाह है, तनहा है**

दूसरी शर्त:

اَللّٰهُ الصَّمَدُ **वह बे नियाज़ (निर्लोभ) है,**

तीसरी शर्त है:

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ **न इस से कोई पैदा हुआ है और न वह किसी से पैदा हुआ है।**

चौथी शर्त यह है:

وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ **कोई उस जैसा नहीं, उसका हमसर (साथी) नहीं।**

सूर: इख़्लास उलूहियत (खुदाई) की कसौटी है। खुदा के विषय में या खुदा से सम्बंधित ज्ञान को उलूहियत (Theology) कहते है और सूर: इख़्लास कुरआन मजीद की एक सौ बारहवीं सूर: हकीकत-ए-इलाहिया की कसौटी है क्योंकि खुदाई के किसी भी दावेदार का दावा इस सूर: की रौशनी में परखा जा सकता है। ऐसे किसी भी दावे को इस चार पंक्ति की तारीफ़ पर पूरा उतरना होगा अगर कोई इस तारीफ़ पर पूरा उतरता है तो हम उसे खुदा मान लेंगे।

जैसा कि हम पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं, हकीकी आलमी (वैश्विक) भाइचारे के लिये आवश्यक है कि सब एक ही खुदा पर ईमान (निष्ठा) रखें। अगर खुदाई का कोई उम्मीदवार इस चार लाईनों पर पूरा उतरता है तो हमें उसका दावा स्वीकार करने पर कोई एतिराज़ नहीं।

आप जानते हैं कि बहुत से लोग खुदाई के झूठे दावे करते रहे हैं। आइयें देखते हैं कि क्या ऐसे लोग इस इम्तिहान में पूरा उतर सकते हैं?

ऐसे लोगों में से एक व्यक्ति गुरू रजनीश था। आप को इल्म (मालूम) है कि कुछ लोग रजनीश को खुदा मानते हैं। मेरे एक भाषण के बाद प्रश्न व उत्तर के वक़्फ़े (मध्यान्तर) के दौरान, एक हिंदू दोस्त ने कहा कि "हम भगवान रजनीश को खुदा नहीं मानते।" मैंने उसे बताया कि मुझे भी इस बात से सहमति है। मैं हिंदूमत् के पवित्र ग्रंथों का अध्ययन कर चुका हूं। उनमें कहीं भी यह नहीं लिखा हुआ कि भगवान रजनीश खुदा हैं। मैं ने जो बात की थी वह यह थी कि "कुछ लोग भगवाना रजनीश को खुदा मानते हैं। मैं भलीभांती जानता हूं कि सारे हिंदुओं को उसपर विश्वास नहीं है।

बहरहाल हम इन लोगों के दावे का तजज़िया (विश्लेषण) करते हैं जिन का कहना है कि भगवान रजनीश खुदा है। पहली शर्त, पहली परीक्षा जिस पर उसे पूरा उतरना होगा वह है:

قُلْ هُوَاللّٰهُ اَحَدٌ वह अल्लाह है, तनहा है

किया भगवान रजनीश एक और तनहा है? हम जानते हैं कि इस जैसे बहुत से लोग मौजूद हैं जो खुदाई का दावा करते हैं। खास तौर पर हिंदुस्तान में ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं तो वह तनहा कैसे हुआ?

लेकिन इसके मानने वाले कहेंगे कि वह एक ही था लिहाज़ा हम अगली शर्त की तरफ़ बढ़ते हैं, दूसरी शर्त है:

اَللّٰهُ الصَّمَدُ वह बेनियाज़ (निर्लोभ) है और सब उसके मुहताज (अधीनस्तथ) हैं।

क्या रजनीश बेनियाज़ (निर्लोभ) था? क्या वह किसी का मोहताज नहीं था? उसकी जीवनी पढ़ने वाले जानते है कि वह दम्मे का मरीज़ था। सख़्त कमर दर्द का शिकार रहता था और जियाबितिस (शूगर) का भी मरीज़ था। उसने यह भी कहा कि जब अमेरिका में उसे गिरफ़्तार किया गया था तो गिरफ़्तारी के समय उसे ज़हर भी दिया गया। ज़रा अंदाज़ लगाईए यह अच्छी बेनियाज़ी है कि खुदा को ज़हर दिया जा रहा है।

तीसरी परीक्षा जिस पर उसे पूरा उतरना होगा, वह है:

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ

न उस से कोई पैदा हुआ है और न वह किसी से पैदा हुआ है।

लेकिन रजनीश के विषय में हम सब जानते हैं वह मध्यप्रदेश मे पैदा हुआ था। उसका बाप भी था। उसकी मां भी थी। उसके माता पिता बाद में उसके अनुयायी बन गये थे। 1981ई० में वह अमेरिका गया और हज़ारों अमरीकियों को अपना अनुयायी बनाने में सफल हो गया। आखिर में उसने अमेरिका में अपना एक पूरा गांव बसा लिया जिस का नाम रजनीशपूरम था। बाद में अमरीका की हुकूमत ने उसे गिरफ़्तार करके जेल भेज दिया और 1985ई० में उसे अमरीका से निकाल दिया गया।

1985ई० में वह हिंदुस्तान वापिस पहुंचा। यहां उसने पूना शहर में अपना एक मर्कज़ (केंद्र) बना लिया। यह केंद्र "ओशो कमयून" कहलाता है। अगर आप को वहां जाने का अवसर हो तो वहां लिखा हुआ रजनीश का कुत्बा (अभिलेख) ज़रूर पढ़िये। एक पत्थर पर यह तहरीर लिखी है:

"भगवान रजनीश

ओशो रजनीश, न कभी पैदा हुआ और न कभी मरा

अलबत्ता उसने 11 दिसम्बर 1931ई० से 19 जनवरी 1995ई० तक इस धरती का एक दौरा किया।"

इस तहरीर (लेख) में वह यह बताना भूल गये हैं कि 21 देशों ने रजनीश को वीज़ा देने से इंकार कर दिया था। ज़रा अंदाज लगाईए, खुद खुदा दुनिया का दौरा कर रहा है और उसे पासपोर्ट और वीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है।

आख़िरी परीक्षा यह है कि:

وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ और कोई इसका हमसर (साथी) नहीं।

यह शर्त भी ऐसी मुश्किल है कि सिर्फ़ अल्लाह के सिवा कोई भी इस पर पूरा नहीं उतर सकता। अगर आप खुदा का तकाबुल (मुक़ाबला) दुनिया की किसी भी वस्तु से कर सकें तो इस का साफ़-साफ़ अर्थ यह हुआ कि वह खुदा नहीं है।

मिसाल के तौरपर: मान लीजीए कोई व्यक्ति कहता है कि खुदा आॅर्नल्ड श्वारज़ेंगर से हज़ार गुना अधिक शक्तिशाली है। आॅर्नल्ड को तो

आप जानते होंगें जिसे दुनिया का सब से शक्तिशाली व्यक्ति समझा जाता है। जिसे मिस्टर यूनिवर्स का खिताब दिया गया है तो अगर कोई यह कहता है कि खुदा ऑर्नल्ड श्वारज़ेंगर से या किंग कांग से या दारा सिंह से या किसी और से एक हजार गुना शक्तिशाली है या दस लाख गुना शक्तिशाली है, तो वह खुदा का तक़ाबुल (मुक़ाबला) मानवजाति से कर रहा है और वह जिस का तक़ाबुल (मुक़ाबला) हो सके, खुदा नहीं हो सकता। चाहे लाखों गुना का फ़र्क़ हो या करोड़ो गुना का, लेकिन अगर तक़ाबुल (मुक़ाबला) सम्भव है तो इस का अर्थ है कि आप खुदा का ज़िक्र नहीं कर रहे। खुदा का मुक़ाबला इस दुनिया की किसी भी चीज़ से नहीं किया जा सकता।

क़ुरआन मजीद इस बारे में हमें बताता है:

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِادْعُوا الرَّحْمٰنَ اَيًّامَّاتَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى

(١١٠:١٧)

"ऐ नबी (स.अ.व.)! उनसे कहो अल्लाह कहकर पुकारो या रहमान कहकर, जिस नाम से भी पुकारो, उसके लिये सब अच्छे ही नाम हैं।" ١٧:١١٠

आप अल्लाह सुबहानाहु व तआला को किसी भी नाम से पुकार सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि यह नाम खुबसूरत होना चाहिए और इसे सुनकर आप के ज़ेहन में कोई तस्वीर नहीं बननी चाहिए। यानी इस नाम के साथ कोई आकार जुड़ा नहीं होना चाहिए। क़ुरआन मजीद में अल्लाह तआला के लिये 99 नाम प्रयुक्त हुए हैं जैसे अर-रहमान, अर-रहीम।

हम मुसलमान खुदा के लिये शब्द "अल्लाह" इस्तेमाल करते हैं। खुदा या अंग्रेज़ी के शब्द God के बजाए हम किसी भी भाषा में अरबी के शब्द "अल्लाह" को प्राथमिकता देते है। इस का कारण यह है कि अंग्रेज़ी शब्द God के साथ बहुत से दूसरे शब्द भी जुड़े हैं जिनके कारण उसके अर्थ में बहुत से परिवर्तन सम्भव हैं। मिसाल के तौरपर अगर आप इस शब्द के आख़िर में शब्द "S" लगा दें तो यह बहुवचन बन जाएगा "Gods" लेकिन खुदा शब्द का बहुवचन सम्भव ही नहीं है और अल्लाह शब्द का कोई बहुवचन है भी नहीं।

इसी तरह अगर आप God के आख़िर में "dess" लगा दें तो यह शब्द स्त्रीलिंग बन जाएगा यानी Goddess जिसका अर्थ होगा महिला खुदा।

लेकिन अल्लाह तआला के साथ जिंस (लिंग) की कोई कल्पना नहीं। न स्त्रीलिंग न पुलिंग इस प्रकार से भी अरबी शब्द 'अल्लाह' बेहतर है क्योंकि इस शब्द के साथ भी कोई लिंग जुड़ा नहीं है। यह अकेला शब्द है।

अगर आप शब्द God के साथ Father लगा दें तो यह Godfather बन जाएगा। आप कहते हैं वह जो है वह उसका गॉडफ़ादर है यानी सरपरस्त (अभिभावक) है। लेकिन अल्लाह तआला के साथ कोई ऐसा शब्द नहीं लगा सकता। Allah-Father या "अल्लाह अब्बा" कोई शब्द नहीं है। इसी तरह अगर आप God के साथ Mother लगा दें तो Godmother बन जाएगा लेकिन दूसरी तरफ़ Allah-Mother या "अल्लाह अम्मी" कोई शब्द नहीं है। इस तरह से भी शब्द "अल्लाह" एक अकेला शब्द है।

यही नहीं, अगर आप शब्द God से पहले Tin लगादें तो यह शब्द Tin-God बन जाएगा यानी झूठा या जाली खुदा। लेकिन इस्लाम में आप को इस तरह का कोई शब्द नहीं मिलेगा। अल्लाह एक ऐसा शब्द है जिस के साथ इस प्रकार के उपाद चिन्ह लग ही नहीं सकते।

ऊपर ज़िक्र किए गए कारणों की बिना पर हम मुसलमान अंग्रेज़ी शब्द God के बजाए अरबी शब्द अल्लाह को तरजीह (प्राथमिकता) देते हैं। अलबत्ता अगर कुछ मुसलमान इस लिये अल्लाह के बजाए God का शब्द प्रयोग करते हैं कि जो ग़ैर मुस्लिम "अल्लाह" के तसव्वुर को नहीं समझते वह उनकी बात समझ सकें तो मुझे इस पर कोई ऐतराज़ (आपत्ति) नहीं है। लेकिन फिर भी इस्लाम में प्राथमिकता, बेहतर शब्द यानि अल्लाह को ही प्राप्त है, अंग्रेजी शब्द God को नहीं।

· इस्लाम में हक़ीक़ी भाईचारे की कल्पना सिर्फ़ उफ़क़ी (क्षितिजिय) नहीं उमूदी (अमूर्त्त) भी है। यानि इस्लाम सिर्फ़ इतना ही नहीं करता कि सारे इलाक़ों के रहने वाले तमाम इंसानों के बीच भाईचारे की अवधारणा दे, बल्कि इस से भी एक क़दम आगे जाता है। उमूदी (मूर्त) तसव्वुर से अर्थ यह है कि हम से पहले गुज़रने वाले लोग और बाद में आने वाले लोग भी हमारे भाई हैं।

भूतकाल में इस ज़मीन पर रहने वाले लोग और हम जो आज इस ज़मीन पर ज़िंदा है हक़ीक़ी एक ही जाति से, एक ही उम्मत से सम्बंध

रखते हैं। यह ईमान का सम्बंध है। यह वह भाईचारा है जो ईमान बिल्लाह के नतीजे में पैदा होता है। इस प्रकार भाईचारे की एक अमूर्त कल्पना हमारे सामने आती है। यह ईमानी भाईचारा है जो ज़मानी भी है और मकानी भी। दुनिया के तमाम धर्मों में किसी एक ख़ालिक़ पर ईमान को बुनियादी हैसियत प्राप्त है।

अगर आप ध्यान दें तो हक़ीक़ी भाईचारा इसी सूरत में पैदा हो सकता है और दुनिया भर में रह सकता है जब तमाम लोग एक ही खुदा पर ईमान रखें, एक ख़ालिक़ और एक मालिक पर ईमान रखें। इस तरह भाईचारे का जो रिश्ता वजूद में आएगा वह खून के रिश्ते से भी ज़्यादा मज़बूत और ज़्यादा महत्त्वपूर्ण होगा।

मैं ने पहले ही कहा है कि इस्लाम हमें माता-पिता की आज्ञा के पालन का हुक्म देता है।

क़ुरआन मजीद में अल्लाह तआला फ़रमाता है:

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ

اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا.

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا

(۲۳،۲۴:۱۷)

"तेरे रब ने फ़ैसला कर दिया है कि तुम लोग किसी की इबादत न करो, मगर सिर्फ़ उसकी। माता-पिता के साथ नेक सुलूक (अच्छा व्यवहार) करो, अगर तुम्हारे पास उनमें से कोई एक या दोनों बूढ़े होकर रहें तो उन्हें उफ़ तक न कहो। न उन्हें झिड़क कर जवाब दो बल्कि उनके साथ एहतिराम (आदर) के साथ बात करो और नर्मी और रहम के साथ उनके सामने झुक कर रहो और दुआ किया करो कि "परवरदिगार! इन पर रहम फ़रमा जिस प्रकार उन्होंने रहमत व शफ़क़्क़त (मेहरबानी) के साथ मुझे बचपन में पाला था।"

इन आयातों की रौशनी में माता-पिता को इज़्ज़त, एहतिराम और प्रेम देना हर मुसलमान का फ़र्ज़ है लेकिन इस के बावजूद एक चीज़ ऐसी है जिस में माता-पिता का हुक्म भी नहीं माना जा सकता। सूरह: लुक़मान में फ़रमाया गया है:

وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰٓى اَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِى

الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا وَّاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ.

(۱۵:۳۱)

"लेकिन अगर वह तुझ पर दबाव डालें कि मेरे अल्लाह के साथ तू किसी ऐसे को शरीक करे जिसे तू नहीं जानता तो उनकी बात हरगिज़ न मान। दुनिया में उनके साथ नेक बर्ताव करता रह। मगर अनुमान उस व्यक्ति के रास्ते की कर जिस ने मेरी ओर अपना झुकाव किया है। फिर तुम सब को पलटना मेरी ही ओर है, इस समय मैं तुम्हें बतादूंगा कि तुम कैसे कार्य करते रहे हो।"

गोया वालिदैन (माता-पिता) की आज्ञा जो एक ज़रूरी कार्य है, उनकी आज्ञा भी वहीं तक है जहां तक वह अल्लाह तआला की अवज्ञा का हुक्म न दें। अल्लाह तआला के आदेश ही ऊंचे हैं और जहां दोनो एहकाम में टकराव हो वहां आप अल्लाह का हुक्म ही मानेगें। इसी तरह ईमान और अक़ीदे (विश्वास) की बुनियाद पर बनने वाला भाईचारा ही हक़ीक़ी भाईचारा है। ईमान का रिश्ता खून के रिश्ते से ऊंचा है। क़ुरआन हमें बताता है:

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ نِ

اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ

وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ.

(۲۴:۹)

"ऐ नबी (स.अ.व.)! कह दो कि अगर तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे और तुम्हारे भाई और तुम्हारी बीवीयां और तुम्हारे रिश्तेदार और तुम्हारा वह माल जो तुमने कमाए हैं और तुम्हारे वह कारोबार जिन के हल्के पड़ जाने का तुम को भय है और तुम्हारे वह घर जो तुम को पसंद हैं, तुम को अल्लाह और उसके रसूल और उसके रास्ते में जिहाद से अधिक प्यारी है तो प्रतीक्षा करो, यहां तक कि अल्लाह अपना फ़ैसला तुम्हारे सामने ले आए और अल्लाह गुनहगार लोगों की देखरेख नहीं करता।"

इस आयत-ए-मुबारका में अल्लाह तआला पूछ रहा है कि बताओ और सोचो तुम्हारी प्राथमिकताएं किया है? क्या तुम्हें अपने बेटे प्यारे हैं? या तुम्हें अपने माता-पिता प्यारे हैं? या तुम्हारी बीवी? बीवी का शब्द पति के हक़ में पत्नी के लिए और पत्नी के हक़ में पति के लिए प्रयुक्त होता है, (अंग्रेज़ी शब्द Spouse के अर्थों में) या दूसरे रिश्तेदार?

इसके बाद आगे बताया गया है कि क्या तुम्हारी प्राथमिकता माल व दौलत, कारोबार और जायदाद है? क्या यह सारी चीज़े तुम्हें अधिक पसंद हैं, अगर तुम इन चीज़ों को अल्लाह और उसके रसूल (स॰अ॰व॰)और उनकी राह में जिहाद करने के मुक़ाबले में ज़्यादा प्यारी समझते हो तो, फिर अल्लाह के फ़ैसले यानी अपनी सज़ा का इंतिज़ार करो।

मालूम यह हुआ कि अगर माता-पिता किसी काम का हुक्म दें जिस से अल्लाह और उसके रसूल (स॰अ॰व॰) ने मना किया हो तो उस काम का करना जायज़ नहीं। माता-पिता या औलाद या बीवी या दूसरे किसी रिश्तेदार की मुहब्बत में चोरी करना, बेईमानी करना, रिश्वत लेना, किसी के साथ अन्याय करना, किसी की हत्या करना अल्लाह के अज़ाब का कारण बन सकते हैं।

इसी तरह माल व दौलत, कारोबार, जायदाद बनाने की इच्छा में सही और ग़लत से बे परवाह हो जाना भी ख़ुदा के अज़ाब (क्रोध) को निमंत्रण देने वाला काम है।

जहां बात अक़ीदे (विश्वास) ओर ईमान की आएगी तो ख़ूनी रिश्ते भी पीछे रह जाएंगे।

कुरआन मजीद में बताया गया है:

يَآاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْعَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِالْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْا وَاِنْ تَلْوٗٓا اَوْتُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا.

(١٣٥:٤)

"ऐ लोगो! जो ईमान लाए हो, इंसाफ़ के अलमबरदार और अल्लाह के लिये गवाह बनो, अगरचे तुम्हारे इंसाफ़ और तुम्हारी गवाही का कुप्रभाव खुद तुम्हारी अपनी ज़ात पर या तुम्हारे माता-पिता और रिश्तेदारों पर ही क्यों न पड़ता हो। तुम से लेन देन करने वाला मालदार हो या ग़रीब, अल्लाह तुम से ज़्यादा उनका भला करने वाला है। अतः अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिये इंसाफ़ करने में आना कानी न करो। और अगर तुम ने लगी-लिपटी बात कही या सच्चाई से दामन बचाया, तो याद रखो कि जो कुछ तुम करते हो अल्लाह को उसकी ख़बर है।" 4:135

इसका अर्थ यह हुआ कि जब लेन देन, न्याय तथा इंसाफ़ का हो,

जिस समय आप गवाही देने के लिये खड़े हों तो सिर्फ़ सच्ची गवाही दें भले ही इसमें आपका खुद का नुक़सान हो, भले ही आप के माता-पिता या रिश्तेदारों का नुक़सान हो, आप हर हाल में सच्चाई पर ही क़ायम रहो।

इस से भी कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता कि जिसका मामला है ग़रीब है या अमीर क्योंकि अल्लाह का क़ानून सब के लिये बराबर है।

तो जब बात न्याय और इंसाफ़ की आएगी, जब मामला हक़ और सच्चाई का होगा तो ख़ून के सारे रिश्ते फ़रामोश (भुला) दिये जाएंगे। क्योंकि यह अक़ीदा (विश्वास) का मामला है और अक़ीदे (विश्वास) का रिश्ता तमाम रिश्तों से ऊंचा है।

अक़ीदे (विश्वास) के इस रिश्ते का आधार इस यक़ीन पर है कि एक ही ख़ुदा और जो इस सारी कायनात का बनाने वाला है। तमाम धर्म इसी अक़ीदे (विश्वास) की तबलीग़ (प्रचार) करते हैं और जैसा कि मैंने पहले आप के सामने क़ुरआन की आयत पेश की, इस्लाम इसी समान अवधारणा की तरफ़ आने की दावत देता है।

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ.

(٦٤:٣)

"ऐ नबी (स॰अ॰व॰)कहो! ऐ आसमानी किताब वालो आओ एक ऐसी बात की तरफ़ जो हमारे और तुम्हारे बीच समान है, यह कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत (पूजा) न करें, इस के साथ किसी को शरीक (भागीदार) न ठहराएं और हम में से कोई अल्लाह के सिवा किसी को अपना रब न बना ले।" इस दावत को कुबूल करने से अगर वह मुंह मोड़ें तो साफ़ कह दो कि गवाह रहो हम तो मुस्लिम (सिर्फ़ अल्लाह की बन्दगी (पूजा) करने वाले) हैं।" 3:64

अल्लाह तआला की ज़ात पर सिर्फ़ ईमान रखना काफ़ी नहीं बल्कि इबादत भी सिर्फ़ एक ख़ुदा की होनी चाहिए। हक़ीक़ी आलमी भाईचारे की स्थापना सिर्फ़ इसी हालत में सम्भव है कि पूरी मानवजाति एक ही अकेले महान ख़ुदा पर ईमान रखे और सिर्फ़ उसी की इबादत करे।

सूर: इनआम में अल्लाह तआला फ़रमाता है:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ط.

(١٠٨:٤)

"(और ऐ मुसलमानो!) यह लोग अल्लाह के सिवा जिन को पुकारते हैं उन्हें गालियां न दो, कहीं ऐसा न हो कि यह शिर्क से आगे बढ़ कर जिहालत की बिना पर अल्लाह को गालियां देने लगें।"

मैं अपनी बातचीत का अंत कुरआन मजीद की इस आयते-ए-पाक पर करना चाहूंगा।

يَـٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا
رِجَالًا كَثِيرًا وَّنِسَآءً وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِ وَالْاَرْحَامَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.

(١:٤)

"लोगो! अपने रब से डरो जिस ने तुम को एक जान से पैदा किया और उसी जान से उस का जोड़ा बनाया और उन दोनों से बहुत से मर्द औरत दुनिया में फैलाए। उस अल्लाह से डरो जिस का वास्ता देकर तुम एक दूसरे से अपने अधिकार मांगते हो और रिश्तेदारों से सम्बंध बिगाड़ने से बचो, विश्वास करो कि अल्लाह तुम पर पूरी देख रेख कर रहा है।"

❀❀❀

भाग-2

प्रश्न व उत्तर

प्रश्न: आपने अपनी बातचीत के दौरान भाईचारे के अलग-अलग रूपों की व्याख्या तो कर दी लेकिन इस्लाम में "काफ़िर" की कल्पना की व्याख्या नहीं की जो कि भाईचारे को नुक़सान पहुचाने वाली चीज़ है।

उत्तर: भाई का प्रश्न यह है कि मैंने कई विचारों के बारे में बातचीत की, हक़ीक़ी आलमी भाईचारे की व्याख्या की और साथ ही रिश्ते, ज़ात और अक़ाईद (विश्वास) आदि के आधार पर बनने वाले भाईचारे की भी व्याख्या की वह किस तरह कठिनाईयों का कारण बनता है, लेकिन मैंने "काफ़िर" की संकल्पना पर बातचीत नहीं की।

मेरे भाई "काफ़िर" अरबी ज़बान का एक शब्द है जो शब्द "कुफ़्र" से निकला है। इस शब्द का अर्थ है छिपाना या इनकार करना, रद्द करना। इस्लामी तनाज़ुर (परिप्रेक्ष्य) से देखा जाए तो इस शब्द का अर्थ है "कोई ऐसा व्यक्ति जो इस्लामी अवधारणा का इनकार करे या उन्हें रद्द करे" गोया जो व्यक्ति इस्लाम का इनकार करदे उसे इस्लाम में काफ़िर कहा जाता है। दूसरे शब्दो में जो व्यक्ति इस्लाम में खुदा की संकल्पना को नकार दे वह काफ़िर कहलाएगा।

जहां तक भाईचारे की दूसरी अवधारणा का प्रश्न है, तो वास्तव में कई तरह के भाईचारे मौजूद है जैसे इलाक़े (क्षेत्र) अथवा देश के आधार पर, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में और अमेरिका में हर जगह एक देश के आधार पर भाईचारा मौजूद है। यह कई प्रकार के भाईचारे विश्वास की बुनियाद पर नहीं बल्कि एक दूसरी अवधारणा के आधार पर बने हैं। चुनांचे यह हक़ीक़ी भाईचारे को प्रभावित करते हैं। इसी तरह एक काफ़िरों का भाईचारा भी है जो कुफ़्र के आधार पर बना हुआ है। यह भी वास्तविक भाईचारे के लिये हानिकारक हैं।

काफ़िर का अर्थ है इस्लाम की हक़्क़ानियत (सत्यता) का इनकार करने वाला। मेरे एक ख़िताब (सम्बोधन) के बाद प्रश्नों के दौरान एक

साहब ने कहा कि मुसलमान हमें काफ़िर कहकर गाली क्यों देते हैं? इस तरह हमारी अना (अहम/भावना) को ठेस लगती है।

मैंने उन्हें भी यही बताया था कि महोदय काफ़िर अरबी का शब्द है जिस का अर्थ है इस्लाम की सच्चाई का इनकार करने वाला। अगर मुझे इस शब्द का अंग्रेज़ी अनुवाद करना हो तो मैं कहूंगा Non Muslim यानी जो व्यक्ति इस्लाम को न माने वह Non Muslim है और अरबी में कहा जाएगा कि वह काफ़िर है।

लिहाज़ा अगर आप यह (मांग) करते हैं कि नॉन मुस्लिम को काफिर न कहा जाए तो यह किस तरह सम्भव होगा? अगर कोई ग़ैर मुस्लिम यह मांग करे कि मुझे काफ़िर न कहा जाए यानी ग़ैर मुस्लिम न कहा जाए तो मैं यही कह सकता हूं कि जनाब! आप इस्लाम कुबूल कर लें तो खुद बखुद आपको ग़ैर मुस्लिम यानी काफ़िर कहना छोड़ दूंगा। क्योंकि काफ़िर और ग़ैर मुस्लिम में कोई फ़र्क तो है नहीं। यह तो सीधा सीधा शब्द Non Muslim का अरबी अनुवाद है और बस।

उम्मीद है कि आप को अपने सवाल का जवाब मिल चुका होगा।

प्रश्नः श्रीमान डॉ० ज़ाकिर नायक साहब! आप फ़रमाते हैं कि ख़ुदा हय्यु व कय्यूम है, तजसीम (आकार) से पाक है और उसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता, अगर ऐसा है तो मुसलमान हज क्यों करते है और वह हिंदूओं की तरह पवित्र स्थानों की इबादत (पूजा) क्यों करते हैं?

उत्तरः मेरे भाई ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि अगर इस्लाम का अक़ीदा यह है कि ख़ुदा की तजसीम (आकार) या संकल्पना सम्भव नहीं और ख़ुदा इन चीज़ों से पाक (मुक्त) है तो फिर मुसलमान हज की अवधि में पवित्र स्थानों की इबादत क्यों करते हैं? पवित्र स्थानों से उनका अर्थ का'बा है।

भाई! यह एक स्पष्ट गलतफ़हमी है। कोई भी मुसलमान का'बा की इबादत (पूजा) बिल्कुल नहीं करता। ग़ैर मुस्लिमों में अधिकतर यह गलत फ़हमी पाई जाती है कि हम मुसलमान का'बा की इबादत करते हैं हालांकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। हम सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करते हैं जिस को देखना इस दुनिया में मुम्किन नहीं है। काबा हमारे लिये सिर्फ़ क़िब्ला है। जिसका अर्थ है दिशा (Direction) काबा हमारा क़िब्ला

है और क़िब्ले की नियुक्ति की आवश्यकता इस लिये है कि हम मुसलमान एकता पर यक़ीन रखते हैं, अब मान लीजिए हम नमाज़ पढ़ने लगे हैं, हो सकता है कि कुछ लोग कहें कि मग़रिब (पश्चिम) की ओर मुंह करके नमाज़ पढ़नी चाहिए, कुछ कहें कि नहीं शुमाल (उत्तर) की तरफ़ मुंह होना चाहिए, किस ओर मुंह करके नमाज़ पढ़ी जाएगी?

चूंकि हम एकता पर विश्वास रखते हैं, इसी लिये एक दिशा दुनिया भर के मुसलमानों के लिये मुअय्यन (निश्चित) कर दी गई है कि हमेशा इसी दिशा यानी क़िब्ले की तरफ़ मुंह करके नमाज़ पढ़ी जाए। क़िब्ला या काबा सिर्फ़ एक दिशा है, हम इस की इबादत बिल्कुल नहीं करते।

दुनिया का नक़्शा सबसे पहले मुसलमानों ने बनाया था। मुसलमानों के बनाए हुए नक़्शे में क़ुतुब जुनूबी (दक्षिणीय ध्रुव) को ऊपर और क़ुतुब शुमाली (उत्तरीय ध्रुव) को नीचे रखा गया था। इस नक़्शे के संबन्ध से काबा दुनिया के केंद्र में स्थित था। इसके बाद जब पश्चिमी वैज्ञानिकों ने दुनिया का नक़्शा तैयार किया तो उन्होंने इस की दिशा उलट दी यानी क़ुतुब शुमाली (उत्तरीय ध्रुव) को ऊपर कर दिया और क़ुतुब जुनूबी (दक्षिणीय ध्रुव) को नीचे लेकिन अलहम्दुलिल्लाह काबा फिर भी इस नक़्शे के केंद्र में ही रहा। मक्का फिर भी दुनिया का केंद्र ही रहा।

अब चूंकि मक्का केंद्र में है लिहाज़ा अगर कोई मुसलमान का'बा के शुमाल (उत्तर) में है तो इसे जुनूब (दक्षिण) की तरफ़ मुंह करके नमाज़ पढ़ेगा। लेकिन पूरी दुनिया के मुसलमान एक ही ओर मुंह करके फ़रीज़ा-ए-नमाज़ अदा करेंगे। यानी का'बे की ओर मुंह करके। का'बा हमारा क़िब्ला है, हमारी दिशा है, हमारा मा'बूद (पूजने योग्य) नहीं है। कोई भी मुसलमान काबे की इबादत (पूजा) हरगिज़ नहीं करता।

इसी तरह जब हम हज के लिये जाते हैं तो काबे का तवाफ़ (परिक्रमा) करते है। आप सब जानते हैं कि दायरा (वृत्त) का एक मर्कज़ (केंद्र) होता है और इस तरह दायरे में चक्कर लगाकर हम इस बात को मानते हैं कि कायनात का केंद्र सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात (हस्ती) है। तवाफ़ (परिक्रमा) का उद्देश्य (इबादत हरगिज़ नहीं है।

सही मुस्लिम, किताब-उल-हज की एक हदीस का अर्थ है:

"ख़लीफ़ा सानी (द्वितिय) हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी. ने हज के

अवसर पर हज्र-ए-अस्वद (काला पत्थर जो ख़ाना का'बा की दीवार में लगा हुआ है) को बोसा (चूम्बन) देते हुए कहा कि तुझे बोसा दे रहा हूं क्योंकि मैंने रसूल (स॰अ॰व॰)को तुझे बोसा (चूम्बन) देते हुए देखा है नहीं तो में जानता हूं कि तू एक सियाह (काला) पत्थर है जो न फ़ायदा पहुंचा सकता है और न नुक़सान।"

इसी तरह का'बा के मा'बूद (पूजने योग्य) न होने का एक मुख्य प्रमाण यह भी है कि पैगम्बर (स॰अ॰व॰) के दौर में सहाबा-ए-इकराम का'बे की छत पर खड़े हो कर अज़ान दिया करते थे। यानी मुसलमानों को नमाज़ के लिये बुलाया करते थे। अब मैं आप से पूछता हूं कि बताएं क्या कोई भी व्यक्ति अपने मा'बद (पूजने योग्य) के ऊपर चढ़ना गवारा कर सकता है? क्या आज तक कोई (मूर्तिपूजक) अपने बुत के ऊपर खड़ा होना पसंद करता है? मेरा ख़याल है कि यह इस बात का काफ़ी सुबूत है कि मुसलमान का'बे को अपना मा'बूद (पूजने योग्य) नहीं मानते। काबा उनके लिये सिर्फ़ क़िब्ला यानि दिशा है और इबादत वह सिर्फ़ एक ही अकेले खुदा की करते हैं। जिसे देखना इस दुनिया में और इन आंखों से सम्भव ही नहीं है।

प्रश्नः हम यहां वैश्विक भाईचारे के विषय में आप से बात सुनने आए थे, सिर्फ़ मुसलमानों के भाईचारे के बारे में नहीं। मैं यह पूछना चाहूंगा कि क्या कायनात (सृष्टि) के दूसरे भागों में भी हमारे भाई मौजूद हैं?

उत्तरः मेरे भाई ने अच्छा सवाल किया है। वह पूछते है कि क्या भाईचारे की कल्पना सिर्फ़ इस ज़मीन तक ही सीमित है या सृष्टि में इसे अधिक व्यापक बनाया जा सकता है? हक़ीक़ी वैश्विक भाईचारे का मतलब क्या है? मेरे भाई अगर आप ने मेरी बातचीत ध्यान से सुनी है तो इस बातचीत के दौरान मैंने यह भी कहा था कि अल्लाह तआला रब्बुलआलामीन है, हम उस खुदा पर ईमान रखते हैं जो आलामीन (सृष्टि) का यानी संपूर्ण कायनात का रब है।

क़ुरआन मजीद में अल्लाह तआला फ़रमाता है कि:

وَمِنْ اٰیٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَثَّ فِیْهِمَا مِنْ دَآبَّةٍ وَّهُوَ عَلٰی جَمْعِهِمْ اِذَا یَشَآءُ قَدِیْرٌ.
(۲۹:۴۲)

"उस की निशानियों में से है ज़मीन और आसमानों का जन्म, और यह जानदार प्राणी-जन जो इस ने दोनों जगह फैला रखी हैं वह जब चाहे उन्हें इकट्ठा कर सकता है।" 42:29

गोया इस दुनिया के अलावा भी जानदार प्राणी मौजूद हैं। अभी इंसान के ज्ञान ने इतनी उन्नति नहीं की उनका वूजूद साबित हो सके लेकिन बहरहाल वैज्ञानिक लगातार कोशिश कर रहे हैं। वह अंतरिक्ष रौकेट और कृत्रिम ग्रह लगातार अंतरिक्ष में भेजे जा रहे है। वह कहते हैं कि इस बात की प्रमाणिकता के लिए सम्भावनाएं मौजूद हैं लेकिन अभी तक कोई बात सिद्ध नहीं हुई।

कुरआन यह कहता है कि हां इस ज़मीन के अलावा भी जानदार प्राणी मौजूद हैं और मैं इस बात पर विश्वास रखता हूं। इस विश्वास के नतीजे में सृष्टिगत भाईचारे का एक तसव्वुर हमारे सामने आता है। भाईचारा सिर्फ़ इस ज़मीन तक ही सीमित नहीं है बल्कि भाईचारा हर जगह दरकार है। हिंदुस्तान में भी और हिंदुस्तान से बाहर पूरी दुनिया में भी। यह भाईचारा किस तरह क़ायम हो सकता है? मैं यहां अपनी बातचीत दुहराना नहीं चाहता लेकिन मुख़्तसर यह है कि एक अख़्लाक़ी निज़ाम (नैतिक-व्यवस्था) होनी चाहिए, एक ही नैतिक विधि को लागू होना चाहिए। कोई इंसान किसी की हत्या नहीं करेगा, कोई चोरी नहीं करेगा, ग़रीबों के काम आएगा, पड़ोसियों की सहायता करेगा, किसी की चुग़ली नहीं करेगा। इंसान को यह ध्यान रखना होगा कि वह खुद तो पेट भर कर सोने लगा है लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका पड़ोसी भूखा हो। हर कोई शराब से परहेज़ करेगा क्योंकि नशा इस दुनिया में भाईचारा के बने रहने में एक बड़ी रुकावट है।

उपर लिखी हुई तमाम बातें भाईचारे को ताक़त देने वाली हैं। न सिर्फ़ हिंदुस्तान में, न सिर्फ़ अमरीका में, न सिर्फ़ इस दुनिया में बल्कि पूरी कायनात (संपूर्ण सृष्टि) में।

लेकिन यह सिर्फ़ एक ही सूरत में सम्भव है अगर सारी दुनिया के लोग यह बात मान लेते हैं कि तमाम इंसान चाहे वह भारत में हों, अमरीका में हों, दुनिया के किसी देश में हो या इस ज़मीन से दूर किसी और गृह के प्राणी हों, इनका बनाने वाला एक ही महान प्रमात्मा है और हक़ीक़त यह है कि असल में सारे धर्मों में एक महान खुदा का तसव्वुर

मौजूद है। इस की तफ़सील मेरी किताब "मज़ाहिबे आलम में खुदा का तसव्वुर" में मौजूद है। इस में आप पढ़ सकते हैं कि दुनिया के सारे मुख्य धर्मों में खुदा का तसव्वुर किया है। सिख मत्, पारसी धर्म आदि सारे धर्मों में खुदा का तसव्वुर के विषय में अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो यह किताब पढ़ लें।

प्रश्नः मेरे विचार में डॉ० साहब सिर्फ़ शब्दों से खेल रहे हैं। आलमी भाईचारा इस्लाम के द्वारा सम्भव ही नहीं है। इस्लाम तो दुनिया के लोगो को दो समूहों में बांट देता है यानी काफ़िर और मुसलमान। ज़ाहिर है कि हम इस्लाम की बहुत सी बातों पर विश्वास नहीं रखते। इस्लाम सिर्फ़ तक़सीम को ताक़त देता है। हम शिया सुन्नी और दूसरे सत्तर फ़िरक़े भी देख रहे हैं। वैश्विक भाईचारा सिर्फ़ हिंदू धर्म बना सकता है। इस्लाम तो गाय की हत्या करने, और कुफ़्फ़ार की हत्या करने की शिक्षा देता है और आप भाईचारे की बात करते हैं?

उत्तरः मेरे भाई ने बहुत सी बातें कर दी हैं। लेकिन इस्लाम की शिक्षा यह है कि "अल्लाह सब्र (धैर्य) करने वालों के साथ है।" भाईचारे को बनाने के लिये धीरज धरना बहुत आवश्यक है। अब अगर में सब्र न करूं तो मेरे और भाई के बीच लड़ाई हो जाएगी।

सूरः बक़रा में अल्लाह तआला फ़रमाता है:

يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِينَ.
(١٥٣:٢)

"ऐ लोगो! जो ईमान लाए हो, सब्र और नमाज़ से मदद लो। अल्लाह सब्र (धैर्य) करने वालों के साथ है।" 2:153

जैसा कि मैंने कहा, भाईचारे व्यापक विकास के लिये सब्र आवश्यक है। मैं यहां मौजूद अपने बड़े भाई का आदर करता हूं। हो सकता है कि उन्होंने हिंदूमत् का अच्छा अध्ययन कर रखा हो लेकिन मुझे माफ़ी के साथ कहना पड़ता है कि मैं उन की बातों से सहमत नहीं हूं। इस्लाम के विषय में इनका ज्ञान हरगिज़ काफ़ी नहीं है।

अलबत्ता इनकी एक बात से मैं अवश्य सहमत हूं और वह यह कि इस्लाम लोगों को दो ग्रुपों में रखता है। एक वह जो ईमान लाए यानी

मोमिन और दूसरे वह जो ईमान नहीं लाए यानि काफ़िर। जैसा कि भाई ने खुद भी कहा "काफ़िर"। लेकिन यह तक़सीम तो दुनिया के हर धर्म में मौजूद है। खुद हिंदूमत् में भी मौजूद है। यानी लोग हिंदू होते हैं या ग़ैर हिंदू। इसी तरह ईसाईयत के हवाले से देखा जाए तो कोई व्यक्ति या तो ईसाई होगा या गैर ईसाई। यहूदियत के हवाले से एक इंसान या तो यहूदी होगा या ग़ैरयहूदी। बिल्कुल उसी तरह इस्लामी दृष्टि से देखा जाए तो एक व्यक्ति या तो मुसलमान होगा या ग़ैर मुस्लिम। मैं हिंदूमत् की आलोचना नहीं करना चाहता लेकिन चूंकि सवाल पूछने वाले एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं लिहाज़ा मैं हिंदूमत् के विषय में भी कुछ बात करना चाहूंगा।

मैं तमाम धर्मों का विद्यार्थी हूं। मैंने वेदों का अध्ययन कर रखा है। मैंने उपनिषद भी पढ़ रखे हैं। यहां मैं सिर्फ़ एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। वेदों की तहरीर (लेखन) के अनुसार इंसान खुदा के शरीर से पैदा हुए हैं। ब्रह्मा सर से पैदा हुए है, सीने से खत्री, रानों से वैश्य और पैरों से शूद्र पैदा किये गये है। और यूं ज़ात-पात की व्यवस्था वुजूद में आती है।

मेरे भाई यहां पर यह बातें नहीं करना चाहता। मैं अपने हिंदू भाईयों की भावनाओं को ठेस भी नहीं पहुंचाना चाहता, क्योंकि इस्लाम हमें यह शिक्षा नहीं देता। पर इन बातों पर टिप्पणी नहीं करता क्योंकि मैं किसी धर्म की आलोचना नहीं करना चाहता, मैं यह बात नहीं करना चाहता कि किस धर्म में क्या बुराईयां हैं।

लेकिन अगर आप वेदों का अच्छी तरह से अध्ययन कर चुके हैं तो आप को यहां सुनने वालों के सामने यह गवाही देनी चाहिए कि क्या वेदों में यह नहीं लिखा हुआ कि ब्रह्मा खुदा की सर से और शूद्र पांव से पैदा हुए हैं और क्या ज़ात-पात की एक वर्गीय व्यवस्था वेदों में नहीं बना दी गयी जिस में एक धार्मिक विद्वान का वर्ग है, एक योद्धाओं और शासकों का वर्ग है। अन्य एक व्यापारिक वर्ग है और एक शूद्रों का पीड़ित, शोषित होने वाला वर्ग है। इस विषय में डॉ० अम्बेडकर जैसे लोगों ने जो पुस्तकें लिखी है उसकी तफ़सील में, मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन मेरे भाई, हिंदूमत् के बारे में, मैं बहुत कुछ पढ़ चुका हूं और मैं हिंदू धर्म के अलग अलग पहलुओं का आदर भी करता हूं। हिंदूमत् की कई बातों से मैं सहमत हूं मैं इस विषय पर बोलना नहीं चाहता था लेकिन मुझे मजबूर कर दिया गया इस लिए मुझे बोलना पड़ा।

कुरआन मजीद में अल्लाह तआला फ़रमाता है:

وَلاتَسُبُّوا الَّـذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰـهِ فَيَسُبُّوا اللّٰـهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ط
(١٠٨:٦)

"(और ऐ मुसलमानों!) यह लोग अल्लाह के सिवा जिन को पुकारते हैं उनको गालियां न दो, कहीं ऐसा न हो कि यह शिर्क से आगे बढ़कर जहालत के कारण अल्लाह को गालियां देने लगें।"

मैंने अपनी बात के दौरान हिंदूमत् का हकीकी पहलू दिखाने की कोशिश की है और यह दिखाया कि हिंदू धर्म में भी एक खुदा की संकल्पना मौजूद है। आप ने अपने सवाल में कहा कि मुसलमान "लोगों की हत्या करते है और गाय की हत्या करते हैं।"

देखिए बात यह है कि आप के हर आरोप का जवाब देने के लिये काफ़ी समय चाहिए जब कि हमारे पास समय सीमित है। इस लिए मैं आप के कुछ सवालों का जवाब देता हूं। इसके बाद अगर आप चाहें तो बाद में फिर पूछ सकते हैं। मुझे जवाब देकर और आप की गलत फ़हमियां दूर करके खुशी होगी। अगर मैं यहां स्पष्टीकरण दे सका तो इसी तरह से इस्लाम को सही समझा जा सकता है। इसी लिये हम अपनी हर बातचीत के बाद एक वक़्फ़ा (प्रश्न-काल) सवालात जरूर रखते हैं। और हम इस वक़्फ़े में किसी भी प्रकार की आलोचना का स्वागत करते है। मुझे व्यक्तिगत तौर पर भी यह पसंद है क्योंकि जितनी कोई व्यक्ति आलोचना करेगा उतना ही वह इस्लाम की सही समझ प्राप्त कर सकेगा और यही मैं करने का प्रयत्न करता हूं।

इसलाम आदेश देता है कि खुदा का पैग़ाम बहुत हिकमत (समझ) के साथ फैलाया जाए। सूर: नहल में अल्लाह तआला फ़रमाता है:

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ
اَحْسَنُ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ.
(١٢٥:١٦)

"ऐ नबी(स॰अ॰व॰)! अपने रब के रास्ते की ओर दावत दो समझ और अच्छे उपदेशों के साथ, और लोगों से बहस करो, ऐसे तरीके पर जो बेहतरीन हो, तुम्हारा रब ही ज्यादा बेहतर जानता है कि कौन उस की राह से भटका हुआ है और कौन सच्चे मार्ग पर है।"

सब से पहले हम गोश्तख़ोरी (मांसाहार) का मामला देखते हैं। आप ने "गाय की हत्या करने" की बात की। बहुत से गै़र मुस्लिम यह कहते हैं कि "तुम मुसलमान ज़ालिम लोग हो क्योंकि तुम पशुओं की हत्या करते हो।" सब से पहले तो मैं आप को यह बता देना चाहता हूं कि एक व्यक्ति गोश्त खाए बिना भी बहुत अच्छा मुसलमान हो सकता है। अच्छा मुसलमान होने के लिये मास खाना आवश्यक नहीं है, यानी इस्लाम और गोश्तख़ोरी (मांसभक्षण) ज़रूरी नहीं हैं लेकिन चूंकि कुरआन हमें कई जगहों पर मासभक्षण की आज्ञा देता है तो हम गोश्त क्यों न खाएं?

सूर: मायदा में अल्लाह तआला फ़रमाता है:

يٰاَيُّهَا الَّـذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوا بِالْعُقُوْدِ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ اِنَّ اللّٰـهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ.
(١:٥)

"ऐ लोगों जो ईमान लाए हो! बंदिशों (प्रतिबंधों) को पूरी तरह व्यवहार में लाओ। तुम्हारे लिये पालने वाले पशु सब हलाल किये गये, सिवाय उनके जो आगे चलकर तुम को बताए जाएंगे लेकिन एहराम की हालत में शिकार को अपने लिये हलाल न कर लो, निसंदेह अल्लाह जो चाहता है हुक्म देता है।"

इस तरह सूर: नहल में अल्लाह तआला फ़रमाता है:

وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَّمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ.
(٥:١٦)

"उसने पशु पैदा किये जिन में तुम्हारे लिये कपड़े भी हैं और ख़ुराक भी और तरह तरह के दूसरे फ़ायदे भी।"

सूर: मोमिनून में अल्लाह तआला फ़रमाता है:

وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيْكُمْ مِمَّا فِىْ بُطُوْنِهَا وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ كَثِيْرَةٌ وَّمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ.
(٢١:٢٣)

"और हक़ीक़त यह है कि तुम्हारे लिये पशुओं में भी एक सबक़ (उपदेश) है। उनके पेटों में जो कुछ है उसी में से एक वस्तु (यानी दूध) हम तुम्हें पिलाते हैं और तुम्हारे लिये उनमें बहुत से दूसरे लाभ भी हैं। तुम उनको खाते हो।"

यहां डॉक्टर भी मौजूद हैं और मैं खुद भी एक डॉक्टर हूं। आप को मालूम होगा कि गोश्त एक ऐसी गिज़ा (आहार) है जिस में अधिकतर

मात्रा में फ़ौलाद और प्रोटीन मौजूद होते हैं। इस लिए यह पौष्टिकता से भरपूर है। प्रोटीन की इतनी मात्रा आप को किसी दूसरे आहार यानी सबज़ियों आदि में नहीं मिल सकती।

सब्ज़ी वाले आहार में प्रोटीन की मात्रा के हवाले से सोयाबीन को अधिक गुणकारी माना जाता है लेकिन यह भी गोश्त के क़रीब नहीं पहुंचती। जहां तक गाय की हत्या करने का सम्बंध है, तो मैं यहां किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन चूंकि भाई ने एक सवाल किया है तो इसका जवाब देना भी ज़रूरी है। अगर आप हिंदुओं के पवित्र कथनों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तो आप को मालूम होगा कि खुद उनमें भी मांस-भक्षण की अनुमति मौजूद है। प्राचीन काल के साधू और संत खुद मांस खाते रहे हैं और खूब गोश्त खाते रहे हैं, यह तो बाद में दूसरे धर्मों जैसे जैनमत् आदि के अंतर्गत हिंदुओं में "अहिन्सा" यानी हिंसा को रोकने के (दर्शन) को बढ़ावा मिला जिस से पशुओं का मारना वर्जित कर दिया गया और यह विचार हिंदूओं की जीवनशैली का हिस्सा बन गया।

दूसरी ओर इस्लाम पशुओं के अधिकारों की रक्षा करने वाला धर्म है। इस्लाम में पशुओं से सम्बंधित जितने आदेश दिये गये हैं उनके संदर्भ से लम्बी बातचीत हो सकती है। उदाहरणतः पशुओं पर बहुत अधिक बोझ लादने से रोका गया है। उनको पूरा आहार देने और उनका ध्यान रखने का हुक्म दिया गया है। लेकिन यह है कि जब ज़रूरत हो तो उन्हें आहार के तौर पर उपयोग किया जा सकता है।

जो धर्म गोश्तख़ोरी के खिलाफ़ हैं और पशुओं के गोश्त को गिज़ा के तौरपर उपयोग करने से रोकते हैं, अगर आप उनके फ़लसफ़े का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तो आप को मालूम होगा कि यह धर्म गोश्त खाने से इस लिये रोकते हैं क्योंकि इस उद्देश्य के लिये जानदारों की जान लेनी पड़ती है और यह एक गुनाह है। मैं उनकी बात से सहमत हूं, अगर किसी जानदार की जान लिये बिना जीवित रहना इस दुनिया में किसी भी इंसान के लिय सम्भव हो तो विश्वास कीजिए मैं वह पहला इंसान होऊंगा, जो इस इसके यथावत पालन का फ़ैसला करेगा।

हिंदूमत् में भाईचारे का उद्देश्य यह है कि हर जीवित प्राणी के साथ भाईचारा होना चाहिए चाहे वह जीव, वह प्राणी इंसान है या जानवर,

परिंदा है या कीड़ा-मकोड़ा। अब मैं आप से एक आसान सवाल पूछना चाहता हूं। क्या कोई इंसान पांच मिनट भी बिना किसी जानदार की हत्या किये बिना जीवित रह सकता है? आयूर्वेद के ज्ञान की जानकारी रखने वाले मेरे इस सवाल का अर्थ समझ गये होंगे। होता यह है कि हम सांस लेते हैं तो सांस के साथ अनगिनत किटाणु भी जाते हैं और मर जाते है। गोया हिंदूमत् के आधार पर आप जीवित रहने के लिये खुद अपने भाईयों की हत्या कर रहें हैं।

इस्लाम में हकीकी भाईचारे की संकल्पना यह है कि प्रत्येक इंसान आप का भाई है और धार्मिक भाईचारे के आधार पर मुसलमान आप का भाई है। हर जीवित प्राणी भाई नहीं है। हमें जानवरों की रक्षा करनी है, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना, इनको मारना पीटना नहीं चाहिए लेकिन समय के अनुसार हम उन्हें गिज़ा के तौर पर उपयोग कर सकते है। सब्ज़ी खाने वालों का कहना है कि मांस खाने के लिये आप जानदारों की हत्या करते हैं, इसलिए यह एक गुनाह है।

लेकिन जब आधुनिक विज्ञान हमें बताता है कि; पौधे भी जानदार प्राणी हैं" तो क्या होता है? होता यह है कि सब्ज़ी खाने वालों की बात नाकाम हो जाती है। अब सब्ज़ी खाने वाले अपनी बात बदल लेते हैं और कहते हैं कि ठीक है पौधे जानदार हैं लेकिन उन्हें कष्ट का एहसास नहीं होता जब कि जानवरों को होता है। इसलिए पौधों की हत्या करना जुर्म नहीं है जब कि पशुओं को मारना बड़ा अपराध है।

लेकिन विज्ञान बहुत तरक्क़ी कर चुका है और अब हमें बताया जा रहा है कि पौधे भी तकलीफ़ का एहसास करते हैं। पौधे रोते भी हैं और खुश भी होते हैं यह बात भी असफ़ल हो चुकी है कि पौधों को कष्ट का एहसास नहीं होता। हालांकि पौधों को भी कष्ट का एहसास होता है लेकिन बात यह है कि इंसानी कान पौधों की आवाज़ नहीं सुन सकते। इंसानी कान एक ख़ास फ्रिकुवैंसी की आवाज़ सुन सकते है। इस हद से कम या अधिक फ्रिकुवैंसी की आवाज़ हमारे कान सुनने में असमर्थ हैं।

मिसाल के तौरपर एक वस्तु होती है कुत्तों की सीटी "Dog Whistle". जब कुत्ते का मालिक यह सीटी बजाता है तो इंसानों को कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती लेकिन कुत्ता यह आवाज़ सुन लेता है क्योंकि उक्त सीटी की आवाज़ की फ्रिक्वेंसी उस हद से अधिक होती है जिस हद तक

इंसानी कान आवाज़ सुन सकते हैं। चूंकि कुत्ते की सुनने की क्षमता इंसान से अधिक है इसलिए वह इस आवाज़ को सुन लेता है।

इसी तरह पौधों की आवाज़ भी इंसानी कान नहीं सुन सकतें क्योंकि उनकी फ़्रिक्वेंसी अलग-अलग तरह की होती है। इसका अर्थ यह नहीं कि पौधे को कष्ट का एहसास नहीं होता, हम उसको दिखा नहीं पाते।

मेरे एक भाई ने यह बात सुन कर मुझ से बहस शुरू कर दी। वह कहने लगे कि ज़ाकिर भाई, यह ठीक है कि पौधे जानदार होते हैं लेकिन जानवरों में तो पूरे पांच हवास खमसा (देखने, सुनने, सूंघने, चखने और छूने की पांच शक्तियां) मौजूद हैं, जब कि पौधों में सिर्फ़ तीन शक्तियां होती है यानी दो शक्तियां कम। इसलिए पशुओं का मारना बड़ा जुर्म है जब कि पौधों को मारना छोटा जुर्म है।

मैंने उन से कहा कि अच्छा चलो मान लो तुम्हारा एक छोटा भाई है जो जन्म से गूंगा, बहरा है। यानी इस में आम इंसानों के मुक़ाबले में दो शक्तियाँ कम हैं। अब मान लीजिए कोई आप के भाई को मार देता है। क्या उस समय आप जज के सामने जा कर यह कहने के लिये तैयार होंगे कि "माई लार्ड चूंकि मेरे भाई में दो शक्तियाँ कम थीं, इसलिए मुजरिम को कम सज़ा दी जाए।" बताईए क्या आप यह कहने के लिये तैयार होंगे? नहीं बल्कि आप कहेंगे कि मुजरिम को दुगनी सज़ा दी जाए क्योंकि इस ने एक मासूम और मजबूर व्यक्ति पर अत्याचार किया है। इसलिए इस्लाम में भी यह बात नहीं चलती। शक्तियाँ दो हों या तीन, इस से कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता।

सूरः बक़रा में अल्लाह तआला फ़रमाता है:

يَآيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَّلَا تَتَّبِعُوا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

(١٦٨:٢)

"लोगो! ज़मीन में जो हलाल और पाकीज़ा वस्तुएं हैं, उन्हें खाओ और शैतान के बताए हुए रास्तों पर न चलो। वह तुम्हारा खुला दुश्मन है।" 2:168

मानो जो भी वस्तु अच्छी है और हलाल है, उसके खाने की इस्लाम आज्ञा देता है। यही कारण है कि अगर आप विश्लेषण करें तो आप को मालूम होगा कि दुनिया में चार पैरों वाले पशुओं की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती है। यह अल्लाह तआला का निज़ाम (व्यवस्था) है कि इंसानों और जंगली जानवरों के मुक़ाबले में चौपाए बहुत तेज़ी से अपनी नस्ल में वृद्धि

करते हैं, अगर आप की बात मान ली जाए और मांस खाना छोड़ दिया जाए तो चौपायों की संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी।

जहां तक गाय की आबादी बढ़ने का सम्बंध है, इस माध्यम से मौलाना अब्दुल करीम पारिख साहब ने एक किताब लिखी है जिसका नाम "गऊ हत्या" यानी गाय का क़त्ल हैं। इस किताब से मालूम होगा कि कौन कौन लोग गाय की हत्या के ज़िम्मेदार हैं। इस क़िताब में चमड़े के कारोबार का विश्लेषण करके बताया गया है कि इस कारोबार से कौन-कौन से लोग जुड़े हुए हैं। इस कारोबार में अधिकतर लोग "जैनमत" के हैं यानी गाय से सिर्फ़ मुसलमान ही लाभ नहीं उठा रहे हैं, ग़ैर-मुस्लिमों को अधिक लाभ पहुंच रहा है।

अगर आप समझदार हैं तो आप को फ़ैसले तक पहुंचने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा यदि आप देखें तो इंसान के दांत खाने पीने के लिये बनाए गये हैं। यानी इंसानी जबड़े में नोकदार दांत भी होते हैं हमवार (समतल) भी ताकि यह मांस भी खा सकें और सब्ज़ी भी, जो जानवर सिर्फ़ सब्ज़ी ख़ोर है, उन के तमाम दांत हमवार (एक जैसे) होते है इसलिए वह मांस खा ही नहीं सकते जब कि मांस खाने वाले जानवरों के तमाम दांत नुकीले होते है, यूं वह तमाम सब्ज़ी ख़ोरी कर ही नहीं सकते। इसलिए इंसानी दांतों की बनावट से भी यही पता चलता है कि अल्लाह तआला ने यह दांत हर तरह की ख़ुराक के लिए बनाए हैं, अगर हमारा पालनहार चाहता है कि हम सिर्फ़ सबज़ियां ही खाएं तो वह हमें नुकीले दांत क्यों देता? यह दांत क्यों दिये गये हैं? इस लिये कि हम गोश्तख़ोरी का काम भी कर सकें। इसी प्रकार अगर आप सबज़ी ख़ोर जानवरों जैसे गाय, बकरी भेड़ आदि के हाज़्मे के निज़ाम (पाचन-व्यवस्था) का अध्ययन करें तो आप को मालूम होगा कि वह सिर्फ़ सब्ज़ियां ही पचा सकते हैं, दूसरी तरफ़ अगर आप गोश्तख़ोर जानवारों जैसे शेर, भेड़िए, चीते वग़ैरा के हाज़्मे के निज़ाम (पाचन) को देखें तो आप को पता चलेगा कि वह सिर्फ़ गोश्त ही पचा सकते हैं, लेकिन इंसान की पाचन-व्यवस्था अल्लाह ताआला ने बनायी ही इस तरह है कि वह हर तरह की ग़िज़ा पचा सकता है।

यू विज्ञान की रौशनी में भी यह बात सिद्ध होती है कि अल्लाह तआला की मर्ज़ी यही है कि इंसान हर प्रकार के आहार का उपयोग करे।

वनस्पति भी और मांसाहारी भी। अल्लाह तआला अगर चाहता कि हम सिर्फ़ सबज़ियां खाएं तो वह हमें मांस पचाने की शक्ति ही क्यों देता।

मैं उम्मीद करता हूं कि आप को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा।

प्रश्नः मैं किसी धर्म पर विश्वास नहीं रखता। मेरा सवाल यह है कि अगर आप के कहने के अनुसार तमाम धर्म और नस्ल आदि अल्लाह तआला के बनाए हुए हैं तो फिर यह लड़ाईयां क्यों हैं? आप कहते हैं कि हिंदूमत् का विश्वास है कि "हर वस्तु ईश्वर है" और इस्लाम का विश्वास है कि "हर वस्तु ख़ुदा की है" तो हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में यह लड़ाईयां क्यों हैं? बल्कि खुद मुस्लिम देशों में भी?

उत्तरः मेरे भाई ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैंने अपने भाषण के दौरान कहा कि अल्लाह ताआला ने पूरी इंसानियत को एक जोडे यानी आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम से पैदा किया। भाई कहते हैं कि मैंने यह कहा कि "तमाम धर्म अल्लाह तआला के बनाए हुए है।" मैंने यह हरगिज़ नहीं कहा कि अल्लाह तआला ने मानवजाति को अलग अलग धर्मों में विभाजित किया है।

मेरी तकरीर रिकार्ड हो रही है। मैंने किसी जगह यह नहीं कहा कि अल्लाह तआला ने इंसानों को धर्मों में बांटा। मैंने यह कहा था कि इंसान को अलग अलग जाति, कबीलों, नस्लों और रंगों में विभाजित किया गया। धर्म सिर्फ़ एक ही है। अल्लाह तआला इंसान को धर्मों के लिहाज़ से नहीं बांटता। हां, उसने रंग और नस्ल और कबीलों के लिहाज़ से ज़रूर इंसान को बांटा है। इसी तरह भाषा का फ़र्क है ताकि इंसानों की पहचान हो सके।

इसी प्रकार जहां तक हिंदूमत् का सम्बंध है तो ऑक्सफ़ोर्ड डिक्सनरी की परिभाषा के अनुसार धर्म नाम ही खुदा पर ईमान का है। हिंदूमत् को समझने के लिये ज़रूरी है कि हिंदूमत् में खुदा की संकल्पना को समझा जाए। ईसाई धर्म को समझने के लिए आवश्यक है कि ईसाईयत में खुदा के तसव्वुर को समझा जाए। इसी तरह इस्लाम को सही तौर पर समझने के लिये आवश्यक है कि इस्लाम में खुदा की संकल्पना को समझा जाए।

मैंने अपनी बातचीत के दौरान यही बात की थी। जहां तक विभेद का सवाल है तो यह फ़र्क किस ने पैदा किए हैं? अल्लाह तआला ने इन विभेद की शिक्षा नहीं दी। अल्लाह तआला तो सूरः इनआम में साफ़ फ़रमाता है:

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَآ أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ.

(١٥٩:٦)

"जिन लोगों ने अपने दीन को टुकड़े-टुकड़े कर दिया और गिरोह में बंट गये यक़ीनन उनसे तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं, उनका मामला तो अल्लाह के ऊपर है। वही उनको बताएगा कि उन्होंने क्या कुछ किया।"

धर्म को बांटा नहीं जाना चाहिए। भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो भेदभाव में पडता है वह ग़लत करता है। आप ने पूछा है कि लोग आपस में लड़ क्यों रहे हैं? और एक दूसरे को मार क्यों रहें हैं? यह तो आप को उन लोगों से पूछना चाहिए।

मान लीजिए कि आप एक शिक्षक हैं। आप अपने शागिर्द (विद्यार्थी) को नक़ल करने से रोकते हैं लेकिन वह फिर भी नहीं मानता और नक़ल करता है तो आप क्या कर सकते है? कौन क़ुसूरवार है शिक्षक या विद्यार्थी? ज़ाहिर है कि विद्यार्थी ही क़ुसूरवार है।

इसी प्रकार अल्लाह तआला ने इंसान को आदेश दिया है और उसे सीधा रास्ता दिखा दिया है। इंसान को आख़िरी और परिपूर्ण आदेश का पैग़ाम मिल चुका है। यह आदेश, पैग़ाम रूप में इंसान को क़ुरआन मजीद के माध्यम से दिया गया है। क़ुरआन में इंसान के लिये आदेश बयान कर दिये गये हैं।

जैसा कि मैंने पहले भी बताया, सूरः मायदा मे अल्लाह तआला फ़रमाता है:

مِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِيٓ إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ.

(٣٢:٥)

"इसी वजह से बनी इसराईल पर हम ने यह फ़रमान लिख दिया था कि "जिस ने किसी इंसान को ख़ून के बदले या ज़मीन में लड़ाई फैलाने के अलावा किसी और वजह से क़त्ल किया, तो उस

ने मानो सारे इंसानों को क़त्ल कर दिया। और जिसने किसी को जीवन दिया इसने गोया तमाम इंसानों को जीवन दिया। मगर उनका हाल यह है कि हमारे रसूल (स॰अ॰व॰) लगातार उनके पास खुले खुले आदेश लेकर आए फिर भी उनमें अधिकतर लोग ज़मीन में अत्याचार करने वाले बन गए हैं।"

5:32

मानो अल्लाह तआला हत्या को पसंद नहीं करता। लेकिन अगर इंसान अल्लाह के आदेशों पर अमल (कार्य) नहीं करे तो क़सूर किस का है? खुद इंसान का!

सूर: मुल्क में अल्लाह तआला का फ़रमान है:

الَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً وَّهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ.

(٢:٦٧)

"(अल्लाह तआला) जिस ने मौत और ज़िंदगी को ईजाद (अविष्कार) किया ताकि तुम लोगों को परख कर देखे, तुम में से कौन अच्छे अमल (कार्य) करने वाला है और वह ज़बरदस्त भी है और माफ़ करने वाला भी।"

67:2

ज़िन्दगी और मौत दोनों का बनाने वाला अल्लाह तआला है। इंसान के लिये यह एक परिक्षा है जिस में सफ़लता का आधार उसके कर्मो पर निर्भर है। अल्लाह तआला इंसान को अच्छे या बुरे कर्मो पर मजबूर नहीं करता। अगरचे वह चाहे तो यक़ीनन कर सकता है। एक शिक्षक चाहे तो अपने तमाम विद्यार्थियों को पास कर सकता है, चाहे वह सफ़लता के योग्य हो या न हो। शिक्षक चाहे तो बड़ी आसानी से सब को सफ़ल कर सकता है लेकिन ऐसा करना ग़लत होगा, इसी तरह अल्लाह तआला अगर चाहे तो तमाम इंसान ईमान ले आएं। हर कोई ईमान ले आए लेकिन ऐसा नहीं होगा।

अगर शिक्षक एक ऐसे विद्यार्थी को पास करदे जो नालायक़ है, जिस ने परिक्षा में अच्छे काम का प्रदर्शन नहीं किया, जिस ने ठीक जवाबात नहीं दिए तो योग्य और लायक़ विद्यार्थी कहेगा कि मैंने इतनी मेहनत की थी, जिस ने उत्तर ही नहीं लिखे वह भी सफ़ल हो गया। अगर शिक्षक इसी तरह सब को सफ़ल करदे तो अगली बार आने वाले विद्यार्थीयों में से कोई एक भी मेहनत करने के लिये तैयार नहीं होगा। अगर यही व्यवस्था बन जाएगी तो मैडिकल कॉलेज का विद्यार्थी डा॰ तो बन जाएगा। उसके

पास एम.बी.बी.एस. की डिग्री तो जरूर होगी, लेकिन वह लोगों का इलाज नहीं कर सकेगा। वह लोगों की जान बचाने के बजाए लोगों की जान लेने का कारण बनेगा।

अल्लाह सुबहानहु व तआला ने क़ुरआन मजीद में मानवजाति को हिदायत (सही दिशा) का रास्ता दिखा दिया है।

अल्लाह तआला ने हुक्म दिया कि;

किसी की हत्या न करो......

किसी को तकलीफ़ न पहुंचाओ......

लोगों के काम आओ......

अपने पड़ोसियों से प्रेम करो......

अगर लोग ऐसा नहीं करते तो जैसा कि मैंने अपनी बातचीत के दौरान बताया, इस का अर्थ है कि लोग क़ुरआनी आदेशों पर अमल नहीं कर रहे। जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता वह क़ुरआन की शिक्षा पर अमल नहीं कर रहे हैं। वह कोई भी हो, कहीं भी हो, अमरीका में हो या पाकिस्तान में या दुनिया के किसी भी देश में। लोग कुछ भी करे, इस से कुछ नहीं होता। सिर्फ़ मुसलमान वाला नाम रख लेने से, अब्दुल्लाह या ज़ाकिर या मुहम्मद नाम रख लेने से कोई जन्नत में जाने का हक़दार नहीं बन जाता। सिर्फ़ यह कह देने से कि मैं मुसलमान हूं, कोई वास्तविक अर्थो में मुसलमान नहीं बन जाता। इस्लाम कोई लेबिल नहीं है जिसे जो चाहे अपने ऊपर लगा ले। अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा को अल्लाह की मर्ज़ी के अनुसार कर दे तो वही मुसलमान है, क़ुरआन के अनुसार कुछ लोग ऐसे है जो मुसलमान होने का मौखिक दावा करते है, अगर कुछ लोग हत्या व मार काट में शामिल हैं तो वह क़ुरआनी आदेशों को नहीं मान रहे हैं। अगर क़ुरआनी आदेशों को माना जाए तो पूरी दुनिया में अमन व भाईचारा फैल जाए।

प्रश्न: ज़ाकिर भाई! क्या अगर एक हिंदू क़ुरआनी शिक्षा पर अमल करता है जो कि हिंदूमत् की पवित्र किताबों में भी मौजूद है तो क्या वह मुसलमान कहला सकता है? इसी प्रकार अगर एक मुसलमान हिंदू ग्रंथों की शिक्षा को सही समझता है तो क्या वह हिंदू कहला सकता है? क्योंकि आप की बातचीत का विषय ही "भाईचारा" है।

उत्तर: भाई ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। यह सवाल बहुत अच्छा इस

लिये है क्योंकि यह एक स्पष्ट सवाल है। अगर आप एक स्पष्ट सवाल पूछेंगे तो मैं इस का जवाब दे सकूंगा। सवाल यह है कि एक हिंदू जो क़ुरआनी शिक्षाओं और हिंदू धर्म पर एक साथ अमल करता है क्या वह मुसलमान कहला सकता है। और यह कि क्या इस तरह का मुसलमान हिंदू कहला सकता है?

इस सिलसिले में पहले तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि "हिंदू" और "मुसलमान" की परिभाषा क्या है? यानी हिंदू किसे कहते हैं और मुसलमान किसे। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं "मुसलमान वह (व्यक्ति) है जो अपनी मर्ज़ी को अल्लाह की मर्ज़ी के अनुसार करदे।" हिंदू की परिभाषा क्या है? क्या आप जानते हैं?

"हिंदू" की सिर्फ़ एक जुग़राफ़ियाई (भौगोलिक) परिभाषा सम्भव है। कोई भी व्यक्ति जो हिंदुस्तान में रहता है या हिंदुस्तानी सभ्यता की परिधि में रह रहा है, वह हिंदू कहला सकता है। इस परिभाषा के हवाले से मैं भी हिंदू हूं। यानी भौगोलिक दृष्टि से आप मुझे हिंदू कह सकते हैं। लेकिन अगर आप पूछेंगे कि क्या में "वेदांती" हूं यानी क्या में वेदों पर ईमान रखता हूं, तो मेरा जवाब होगा कि जहां तक वेदों के इस भाग का सम्बंध है जो क़ुरआन मजीद की शिक्षा से समानता रखता है उन्हें मानने पर तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, मिसाल के तौरपर यह बात कि "सिर्फ़ एक ही ख़ुदा है।"

लेकिन अगर आप यह कहें कि ख़ुदा ने ब्रह्मा को अपने सिर से और खत्रियों को सीने से पैदा किया। और यूं ब्रह्मा एक अच्छी ज़ात है तो मैं यह बात मानने के लिये तैयार नहीं हूंगा। यह बात मैं वेदों ही से पेश कर रहा हूं। वेदों में ऐसा लिखा हुआ है अगर आप वेदों को मानते ही नहीं तो यह आप का मामला है। लेक़िन यह बात वेदों में इसी तरह मौजूद है, आप किसी भी वेदांती से पूछ सकते हैं। वेद के जानकार यहां भी मौजूद हैं। आप इन से पूछ सकते हैं। यह मैं नहीं कह रहा वेद कह रहे है कि वैश्य को जंघाओं से और शूद्रों को पांव से पैदा किया गया है। मैं इस संकल्पना से बिल्कुल सहमत नहीं हूं और अगर आप पूछेंगे कि क्या में वेदों के फ़लसफ़े पर ईमान रखता हूं तो मेरा जवाब होगा कि नहीं।

जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो व्यक्ति हिंदुस्तान में रहता है वह हिंदू है। जुग़राफ़ियाई (भौगोलिक) लिहाज़ से हिंदुस्तान में रहने वाला हर

व्यक्ति हिंदू है। इसी तरह जैसे अमरीका में रहने वाला हर व्यक्ति अमरीकी है और उसे अमरीकी होना भी चाहिए।

इसलिए आप के सवाल का जवाब यह बनता है कि हां आप एक मुसलमान को हिंदू कह सकते हैं अगर वह हिंदुस्तान में रहता है तो। लेकिन इस बात का अर्थ यह भी नहीं है कि वैदिक धर्म का मानने वाला अगर अमरीका चला जाता है तो फिर आप उसे हिंदू नहीं कह सकते अब वह एक अमरीकी है।

हिंदुमत् एक वैश्विक धर्म नहीं है। हिंदूमत् सिर्फ़ हिंदुस्तान में है। विद्धवानों का कहना है कि आप हिंदुवाद या हिंदुत्व को धर्म नहीं कह सकते। यह सिर्फ़ एक भौगोलिक परिभाषा है। स्वामी विवेकानन्द की गिन्ती महान विद्धवानों में होती है। वह ख़ुद कहते हैं कि शब्द हिंदूमत् एक ग़लत नाम (Misnoma) है। सही अर्थों में उन्हें वेदान्ती कहा जाना चाहिए।

चुनांचे मैं अपनी बात फिर दुहराता हूं कि अगर आप मुझ से पूछेंगे कि; "क्या आप एक हिंदू हैं?" तो मेरा जवाब होगा:

"अगर हिंदू का अर्थ हिंदुस्तान में रहने वाला है तो फिर मैं निसंदेह हिंदू हूं।

लेकिन अगर हिंदू होने से आप का अर्थ बहुत से ख़ुदाओं पर ईमान रखना है जिन के इतने सिर हैं और इतने हाथ हैं तो फिर मैं हिंदू नहीं हूं।"

इसी तरह जहां तक इस सवाल का सम्बंध है कि क्या किसी हिंदू को मुसलमान कहा जा सकता है तो इस का जवाब है कि हां एक हिंदू यानी एक हिंदुस्तानी मुसलमान भी हो सकता है लेकिन वह हिंदू अगर बुतों (मूर्ति) की पूजा करता है तो फिर वह हरगिज़ मुसलमान नहीं हो सकता। बुतों की पूजा करने वाला कभी मुसलमान नहीं कहला सकता।

अल्लाह सुबहानहु व तआला फ़रमाता है:

اِنَّ اللّٰہَ لاَ یَغْفِرُ اَنْ یُّشْرَکَ بِہٖ وَیَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِکَ لِمَنْ یَّشَآءُ وَمَنْ یُّشْرِکْ بِاللّٰہِ فَقَدِافْتَرٰی اِثْمًا عَظِیْمًا.

(٣٨:٣)

"अल्लाह बस शिर्क (ख़ुदा के साथ किसी को भी उसका शरीक बनाना) ही को माफ़ नहीं करता, इसके अलावा दूसरे तमाम गुनाह हैं वह जिसके लिये चाहे माफ़ कर देता है। अल्लाह के साथ जिस ने किसी

और को शरीक ठहराया उस ने तो बहुत ही बड़े झूठ की रचना की और बड़े सख़्त गुनाह की बात की।"

इसी सूरः पाक में आगे चल कर अल्लाह तआला दोबारा फ़रमाता है:

اِنَّ اللّٰہَ لَا یَغْفِرُ اَنْ یُّشْرَکَ بِہٖ وَیَغْفِرُ مَادُوْنَ ذٰلِکَ لِمَنْ یَّشَآءُ وَمَنْ یُّشْرِکْ بِاللّٰہِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِیْدًا.
(۱۱۶:۴)

"अल्लाह के हां बस शिर्क (ख़ुदा के साथ किसी और को भी उसका शरीक बनाना) ही की माफ़ी नहीं है, इस के अलावा और सब कुछ माफ़ हो सकता है जिसे वह माफ़ करना चाहे। जिस ने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया, वह तो गुमराही भटकाव में बहुत दूर निकल गया।"

इसलिए बात यह हुई कि एक हिंदुस्तानी यानी भौगोलिक हिंदू मुसलमान हो सकता है लेकिन अगर वह हिंदू इस्लामी आदेशों पर अमल नहीं करता, अल्लाह तआला और उसके रसूल (स.अ.व.)पर ईमान नहीं रखता, तो फिर उसे मुसलमान नहीं कहा जा सकता।

प्रश्नः अधिकतर मुसलमान बुनियाद परस्त (रूढ़िवादी) और आतंकवादी क्यों हैं?

उत्तरः भाई ने सवाल पूछा कि अधिकतर मुसलमान आतंकी क्यों हैं। मुझ से एक सवाल पूछा गया और मैं इस का जवाब ज़रूर दूंगा। अगर यह जवाब आप के लिये भरोसे का हो, तो इसे मान लें और अगर आप संतुष्ट न हों तो रद्द करे दें।

कुरआन मजीद में अल्लाह तआला फ़रमाता है:

لَآ اِکْرَاہَ فِی الدِّیْنِ قَدْتَّبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ فَمَنْ یَّکْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَیُؤْمِنْ
بِاللّٰہِ فَقَدِاسْتَمْسَکَ بِالْعُرْوَۃِ الْوُثْقٰی لَا انْفِصَامَ لَھَا وَاللّٰہُ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ.
(۲۵۶:۲)

"दीन के मामले में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। सही बात गलत विचारों से अलग छाँट कर रख दी गई है। अब जो कोई तागूत (शैतान) का इनकार कर के अल्लाह पर ईमान ले आया उसने एक ऐसा मज़बूत सहारा थाम लिया जो कभी टूटने वाला नहीं और अल्लाह सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है।"

मैं आप के सामने हकीकत पेश करूंगा लेकिन इस यथार्थ को कुबूल करने पर मैं आप को मजबूर नहीं कर सकता। आप चाहें तो इस को मानो या न मानो क्योंकि दीन में, यानी इस्लाम में ज़बरदस्ती तो है नहीं। आप

पूछते हैं कि अधिकतर मुसलमान रूढ़ीवादी और आतंकी क्यों हैं।

सब से पहले तो हमें यह देखना चाहिए कि आतंकवाद का अर्थ क्या है?

"बुनियादपरस्त (रूढ़िवादी) उस व्यक्ति को कहते हैं जो (किसी भी मामले में) बुनियादी उसूलों रूढ़िगत (आधारभूत) सिद्धान्तों पर अमल करता हो।"

मिसाल के तौरपर एक व्यक्ति यदि गणित का अच्छा जानकार (विद्वान) बनना चाहता है तो इस के लिये आवश्यक है कि वह गणित की बुनियादी अवधारणाओं को भी जानता हो और उन पर कर्म करने वाला भी हो। गोया अगर कोई अच्छा गणित का जानकार बनना चाहता है तो इसे गणित के संदर्भ में रूढ़िवादी या परंपरावादी होना चाहिए।

इसी तरह अगर कोई अच्छा वैज्ञानिक बनना चाहता है तो उसे विज्ञान के बुनियादी उसूलों का ज्ञान भी होना चाहिए और उसे इन उसूलों पर अमल भी करना चाहिए? दूसरे शब्दों में उसे विज्ञान के संदर्भ में अपने विषय का बुनियादपरस्त होना चाहिए।

अगर एक व्यक्ति अच्छा डॉक्टर बनना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? इसको चाहिए कि वह आयूर्वेदिक ज्ञान के बुनियादी उसूलों यानि आधारभूत सिद्धान्तों का ज्ञान प्राप्त करे और फिर इन पर पूरा अमल भी करे। यानि अच्छा डॉ० बनने के लिये ज़रूरी है कि वह आयूर्वेद विभाग का कट्टरवादी बन जाए।

कहने का मकसद यह है कि सारे कट्टरवादियों को एक खाने (श्रेणी) में नहीं डाला जा सकता। आप यह नहीं कह सकते कि तमाम बुनियाद प्रस्त (कट्टरवादी) बुरे होते है या यह कि "सारे बुनियाद परस्त अच्छे होते हैं।"

मिसाल के तौरपर एक डाकू भी बुनियादपरस्त (कट्टरवादी) हो सकता है। हो सकता है वह बुनियादी तौर पर डाका डालने के कामों पर भली भांति अमल करता हो और सफलता से डाका डालता हो। लेकिन वह एक अच्छा आदमी नहीं है क्योंकि वह लोगों को लूटता है, वह समाज के लिये हानिकारक है। वह भाईचारे को ख़राब करता है। वह एक अच्छा इंसान नहीं है।

दूसरी तरफ़ एक बुनियादपरस्त (कट्टरवादी) डॉक्टर है, जो आयुर्वेद की बुनियादी बातों पर अमल करता है। बुनियादी तिब्बी उसूलों को मानता है। वह लोगों का इलाज करता है उनकी तकलीफ़ों को दूर करता है। वह एक अच्छा इंसान है क्योंकि वह मानवजाति के कल्याण का काम कर रहा है।

यानि आप सारे बुनियादपरस्तों (कट्टरवादियों) का ख़ाका (चित्र) एक ही कलम से नहीं बना सकते।

जहां तक सवाल है मुसलमानों के बुनियादपरस्त होने का तो मुझे इस बात पर फ़ख़्र (गर्व) है कि मैं एक बुनियादपरस्त (कट्टरवादी) मुसलमान हूं। क्योंकि मैं इस्लाम की बुनियादी बातों का ज्ञान रखता हूं और उन पर अमल करने की कोशिश भी करता हूं और फ़ख़्र से कहता हूं कि मैं एक बुनियादपरस्त मुसलमान हूं! कोई भी व्यक्ति जो अच्छा मुसलमान बनना चाहेगा उस के लिये ज़रूरी है कि वह एक बुनियादपरस्त मुसलमान बने। दूसरी सूरत में वह कभी भी अच्छा मुसलमान नहीं बन सकता।

इस तरह अगर एक हिंदू चाहता है कि वह एक अच्छा हिंदू बने तो उसे भी एक बुनियादपरस्त हिंदू बनना पड़ेगा। एक ईसाई अगर अच्छा इसाई बनना चाहता है तो उसे भी बुनियादपरस्त (कट्टरवादी) ईसाई बनना पड़ेगा। दूसरी सूरत में वह कभी अच्छा ईसाई नहीं बन सकता।

अस्ल सवाल यह है कि एक "कट्टरवादी मुसलमान" अच्छा होता है या बुरा? अलहम्दुलिल्लाह इस्लाम के बुनियादी उसूलों में कोई बात भी ऐसी नहीं जो इंसानियत के ख़िलाफ़ हो। मुझ से कई ऐसे सवालात पूछे गये जो ग़लत फ़हमियों आधाारित थे। लोगों को इस्लाम के बारे में ग़लत फ़हमियां हैं और इन ग़लतफ़हमियों के कारण ही वह समझते हैं कि इस्लाम की शिक्षा में ख़राबी है। जिस तरह कि एक भाई ने गाय के बारे में सवाल किया और मैंने जवाब दिया। इसी तरह के अधिक सवालात किये गये और मैंने सब के उत्तर दिये।

अस्ल में होता यह है कि लोगों की जानकारी सीमित होती हैं और वह यह मान लेते हैं कि इस्लाम की कुछ बुनियादी शिक्षा ही ग़लत हैं। लेकिन अगर आप इस्लाम के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं तो आप के ज्ञान में होगा कि इस्लाम का कोई एक उसूल भी ऐसा नहीं है जो समाज और मानवजाति के लिये हानिकारक हो।

मैं यहां बैठे हुए तमाम लोगों को, और यहीं नहीं, दुनिया के सारे लोगों को चुनौती देता हूं कि वह इस्लाम की बुनियादी शिक्षा में कोई एक वस्तु मुझे ऐसी दिखा दे जो मानवजाति के ख़िलाफ़ (विरूद्ध) हो।

हो सकता है कुछ लोगों को इस्लामी शिक्षा बुरी लगती हों लेकिन पूरे तौर मानवजाति की भलाई और सफ़लता के लिये यही शिक्षा अच्छी हैं। मैं दोबारा चैलेंज करता हूं, इस हॉल में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति मुझ से कोई भी सवाल पूछ सकता है। मैं इनशाअल्लाह सारी ग़लत फ़हमियां दूर करूंगा।

वैपसटर्ड डिक्शनरी बताती है कि;

"फ़न्डामेंटलिज़्म (रूढ़िवाद/क़दामत पसंदी) वह तहरीक (आंदोलन) थी, जो बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में अमरीकी प्रोटेस्टेंट ईसाईयों ने आरम्भ की। उन लोगों का कहना था कि न सिर्फ़ बाईबल में बयान की गई शिक्षा इल्हामी (अल्लाह की ओर से दिल में आई हुई बात) बल्कि पूरी इंजील का एक-एक शबद ख़ुदा का कलाम है।"

अब ज़ाहिर है कि अगर यह साबित किया जा सके कि बाईबल हक़ीक़ी तौरपर, एक एक शब्द ख़ुदा का कलाम है, तो फिर यह एक अच्छा आंदोलन है लेकिन इस आंदोलन से जुड़े लोग यह साबित करने में असफ़ल रहते हैं तो फिर फ़न्डामैंटलिज़्म का यह आंदोलन प्रशंसा योग्य नहीं कहलाएगा।

ऑक्सफ़ोर्ड की अंग्रेज़ी शब्दकोश में बुनियादपरस्ती (कट्टरवाद) की यही परिभाषा मिलती है:

"......Strictly adhering to the ancient laws of a religion, especially Islam."

"किसी भी धर्म के प्राचीन संविधान का सख़्ती से पालन करना, ख़ास तौरपर "इस्लाम"।

यानि अब ऑक्सफ़ोर्ड शब्दकोश कहता है कि "ख़ास तौर पर इस्लाम"। इस डिक्शनरी के ताज़ा प्रकाशन में यह वृद्धि की गई है। यानि अब बुनियादपरस्ती (कट्टरवाद) का शब्द सुनते ही तुरंत ध्यान जाएगा मुसलमान की तरफ़......क्यों?

इसलिये पश्चिमी साधन लगातार लोगों पर ऐसे बयानात (कथनों) की बमबारी किये चले जा रहे है जिन से मुसलमान ही बुनियादपरस्त

(कट्टरवादी) लगते हैं और मुसलमान ही आतंकवादी। और अब तो यह हालत हो गई है कि "बुनियादपरस्त" शब्द सुनते ही तुरंत दिमाग में मुसलमान आते हैं।

ज़रा शब्द "आतंकवाद" पर गौर करें। आतंकवादी किसे कहते हैं? उस व्यक्ति को जो आतंक फैलाए।

अब अगर एक डाकू पर पुलिस को देख कर दहशत हो जाता है तो इस के लिये पुलिस को आतंकवादी कहेंगे क्या? नहीं। क्या मैं ठीक कह रहा हूं?

मैं अंग्रेज़ी ज़बान में स्पष्ट रूप से बात करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं शब्दों से नही खेल रहा। आतंकवादी वह है जो आतंक फैलाए। अब अगर कोई डाकू, कोई मुजरिम और कोई समाज दुश्मन पुलिस को देख आतंकित हो जाता है तो पुलिस भी आतंकवादी है। ऐसी धारणा गलत होगी।

इस दृष्टि से देखा जाए तो हर मुसलमान को गलत के मुकाबले आतंकवादी होना चाहिए उसे असमाजिक तत्वों के लिये आतंकवादी होना चाहिए। कोई डाकू किसी मुसलमान को देखे तो उस पर दहशत तारी हो जानी चाहिए। इसी तरह अगर कोई ज़ानी (व्यभिचारी) किसी मुसलमान को देखे तो उस पर भी दहशत तारी हो जाना चाहिए।

मैं इस बात से भी सहमत हूं कि आतंकवादी उस व्यक्ति को कहा जाता है जो आम लोगों को आतंकित करे। जो बेगुनाह लोगों को डराने की कोशिश करे और इस दृष्टि से किसी भी मुसलमान को आतंकवादी नहीं होना चाहिए। आम लोगों को मुसलमान से बिल्कुल आतंकित नहीं होना चाहिए।

अलबत्ता जहां तक असमाजिक तत्व, चोरों, डाकुओं और मुजरिमों का सम्बंध है तो जिस तरह पुलिस इन के लिये आतंकवादी है उसी तरह मुसलमानों को भी उन के लिये आतंकवादी होना चाहिए।

एक मामला और भी है वह यह कि अगर आप विश्लेषण करें तो कई बार यूं भी होता है कि एक ही व्यक्ति पर दो अलग-अलग लैबल लग जाते है। एक ही व्यक्ति के, एक ही काम के कारण, दो अलग अलग तसव्वुर बन जाते है। मिसाल के तौरपर जब हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ था, जब हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों का राज था, तो उस समय आज़ादी के

मतवाले, उपमहाद्वीप की आज़ादी के लिये कोशिश कर रहे थे। अंग्रेज़ राजा उन लोगों को आतंकवादी कहते थे जब कि हिंदुस्तानी उन्हें देशप्रेमी और आज़ादी के क्रांतिकारी कहते थे।

वही लोग थे, एक ही काम के कारण अंग्रेज़ों की नज़र में वह आतंकवादी थे लेकिन हिंदुस्तानियों की नज़र में, हमारी नज़र में वह मुजाहिद (आज़ादी के मतवाले) थे। आप जब उन लोगों पर कोई लैबल लगाएगें तो पहले हालात का जायज़ा लेंगे। अगर आप अंग्रेज़ राजाओं से सहमत हैं तो फिर यक़ीनन आप उन्हें आतंकवादी कहेंगे लेकिन अगर आप हिंदुस्तानियों के इस विचार से सहमत हैं कि अंग्रेज़ हिंदुस्तान में व्यापार करने आए थे और यहां पर कब्ज़ा कर लिया था, उनका राज ज़बरदस्ती का और अन्यायिक था, तो फिर आप उन्हीं लोगों को आज़ादी के मतवाले कहेंगें।

यानि एक ही तरह के लोगों के बारे में दो अलग-अलग विचार होना सम्भव है।

चुनांचे मैं अंत में यह कहकर अपनी बात को ख़त्म करूंगा कि "जहां तक इस्लाम का सम्बंध है हर मुसलमान को बुनियादपरस्त होना चाहिए क्योंकि इस्लाम की सारी शिक्षा मानवजाति के हित में हैं। इंसान दोस्ती और वैश्विक भाईचारे को शक्तिशाली बनाने वाली हैं।"

मैं उम्मीद रख्ता हूं कि आप को अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा।

प्रश्नः जहा तक मेरा ख़याल है किसी धर्म में भी कोई बुराई नहीं है। हर धर्म के उसूल अच्छे हैं लेकिन उसूल बयान कर देना एक चीज़ है और उन उसूलों के अनूकूल कर्म करना एक दूसरी बात है। हम देखते हैं कि सब से अधिक हिंसा धर्म के नाम पर ही होती है। आप धार्मिक उसूलों और धर्म के नाम पर होने वाली हिंसा (मार-काट) में समानता किस तरह तलाश करेंगे?

उत्तरः यह एक बहुत अच्छा सवाल है कि सारे धर्म बुनियादी तौर पर अच्छी बातें ही करते हैं लेकिन जहां तक काम करने का सम्बंध है तो वह कुछ अलग है। शिक्षा अच्छी बातों की दी जाती है लेकिन अगर दुनिया पर नज़र डाली जाए तो अनगिनत लोग हैं जो धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं। आख़िर इस समस्या का हल क्या है?

यह एक बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल का थोड़ा जवाब तो मैं अपनी बातचीत के दौरान दे चुका हूं। यानी जहां तक इस्लाम का सम्बंध है, हमारा दीन हमें किसी बेगुनाह की हत्या की आज्ञा नहीं देता।

सूरह: मायदा में अल्लाह तआला फ़रमाता है:

مِنْ اَجْلِ ذٰلِکَ کَتَبْنَا عَلٰی بَنِیْٓ اِسْرَآئِیْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِی الْاَرْضِ فَکَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیْعًا وَمَنْ اَحْیَاهَا فَکَاَنَّمَا اَحْیَا النَّاسَ جَمِیْعًا وَلَقَدْ جَآءَ تْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَیِّنٰتِ ثُمَّ اِنَّ کَثِیْرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِکَ فِی الْاَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ.

(٣٢:٥)

“इसी वहज से बनी इसराईल पर हम ने यह फ़रमान लिख दिया था कि; जिस ने किसी मनुष्य को ख़ून के बदले या ज़मीन में फ़साद (लड़ाई) फैलाने के अलावा किसी और वजह से हत्या की, उसने गोया सारे इंसानों की हत्या की। और जिस ने किसी को ज़िन्दगी बख़्शी उसने मानो तमाम इंसानों को जीवन दिया। मगर उनका हाल यह है कि हमारे रसूल (स.अ.व.) लगातार उनके पास साफ़ साफ़ आदेश लेकर आए फिर भी उनमें अधिकतर लोग ज़मीन में अत्याचार करने वाले हैं।”

लेकिन सवाल यह है कि हम अपने मतभेदों को किस प्रकार मिटा सकते है। सहमती किस प्रकार पैदा हो सकती है? इस सवाल का जवाब भी मैंने सूर: आले इमरान की चौंसठवी आयत के आलोक में दिया था। अल्लाह तआला फ़रमाता है:

قُلْ یٰٓاَهْلَ الْکِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰی کَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَیْنَنَا وَبَیْنَکُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِکَ بِهٖ شَیْئًا وَّلَا یَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ.

(٦٤:٣)

“ऐ नबी (स.अ.व.) कहो। ऐ एहले किताब! आओ एक ऐसी बात की ओर जो हमारे तुम्हारे बीच एक जैसी है। यह कि हम अल्लाह के सिवा किसी की बन्दगी (पूजा) न करें, इसके साथ किसी को शरीक न ठहराएं और हम में से कोई अल्लाह के सिवा किसी को अपना रब न बना ले। इस दावत को क़बूल करने से अगर वह मुंह फेरे तो साफ़ कह दो कि गवाह रहो, हम तो मुस्लिम (सिर्फ़ ख़ुदा को पूजने वाले) हैं।”

मान लीजिए दस बाते आप पेश करते हैं और दस बातें मैं पेश करता हूं। अब मान लीजिए कि इन में से पांच बातें एक जैसी हैं और बाक़ी में

अन्तर है तो हमें कम से कम पांच बातों की हद तक सहमति कर लेनी चाहिए। इससे पांच मतभेदों को टाला भी जा सकता है।

क़ुरआन किन बातों पर इकट्ठा होने की दावत देता है?

पहली बात तो यह है कि हम एक ख़ुदा के अलावा किसी की इबादत (पूजा) न करेंगे। दूसरी बात यह कि हम किसी को उसका शरीक (सम्मिलित) नहीं ठहराएंगे।

आप ने एक अच्छी बात पूछी कि इन समस्याओं का कैसे समाधान हो सकता है? मैंने एक तरीक़ा आप के सामने पेश कर दिया है कि एक जैसी बातों पर सहमति पैदा की जाए। लेकिन इस सिलसिले मे एक बहुत महत्वपूर्ण बात छोड़ी नहीं जा सकती कि, अलग-अलग धर्मों के अधिकतर मानने वाले ख़ुद अपने धर्म की हक़ीक़ी शिक्षा का ज्ञान नहीं रख पाते। उन्हें यह इल्म (ज्ञान) नहीं होता कि उनके पवित्र ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है?

बहुत से मुसलमानों को भी यह ज्ञान नहीं होता कि क़ुरआन और अहादीस सहीहा (पवित्र मुस्लिम ग्रंथों) में क्या शिक्षा दी गई है। इसी तरह बहुत से हिंदूओं को यह ज्ञान नहीं होता कि उनके पवित्र ग्रंथ क्या कहते हैं। बहुत से ईसाई ऐसे हैं जो नहीं जानते कि बाईबल के आदेश क्या हैं और बहुत से यहूदियों को यह नहीं मालूम कि अहदनामा क़दीम (प्राचीन संविदा) में क्या लिखा हुआ है?

अब क़सूर किसका है? इन धर्मों का या इसके मानने वालों का? ज़ाहिर है कि इन धर्मों के मानने वाले ही क़ुसूरवार हैं। इसी लिये मैं लोगों से कहता हूं कि अपने पवित्र ग्रंथों का अध्ययन तो करें। विभिन्नताओं और मतभेदों को बाद में निपटा लिया जाएगा, पहले कम से कम इन बातों पर तो हम इकट्ठे हो जाएं जो हमारे और आप के बीच समान हैं।

मैं “इस्लाम और ईसाईयत में समानता” के विषय पर बातचीत कर चुका हूं। इस में भी मैंने यही कहा कि विभिन्नताओं को अभी छोड़ दिया जाए और कम से कम इन बातों पर तो हम सहमत हो ही जाएं जो, हमारे क़ुरआन और तुम्हारी इन्जील में समान हैं। अगर हम समान बातों पर ही सहमत हो जाएं तो झगड़ा समाप्त हो जाएगा।

मैं अपनी इस बातचीत में भी यही कुछ करने की कोशिश कर रहा हूं क्या मैं कभी किसी धर्म पर अपने आप ही आलोचना करता हूं? सिर्फ़

उस समय जब कुछ भाईयों के सवालात की वजह से मैं मजबूर हो जाता हूं तो मुझे सच्चाई को बताना ज़रूरी हो जाता है। आप मेरे भाषण की रिकॉर्डिंग देख सकते हैं मैंने एक बार भी किसी धर्म पर खुद आलोचना करने की कोशिश नहीं की। मैं अनेकताओं के बारे में बहस करता ही नहीं। मैं समान बातों को सामने लाने की कोशिश करता हूं वरना मैं विभिन्नतओं पर भी बहस कर सकता हूं। मैं ऐसे विषयों पर भी भाषण दे सकता हूं:

"इस्लाम और हिंदूमत् में विभिन्नताएं" या

"इस्लाम और ईसाईयत में विभिन्नताएं"

मैं तक़ाबुल अदयान (धार्मिक विषयों पर चर्चा) का विद्यार्थी हूं। अल्लाह का शुक्र हैं, मैं दुनिया के अधिकतर धर्मों के पवित्र ग्रंथों के बारे में बात कर सकता हूं (यहां पेश कर सकता हूं, और इन धर्मों की विभिन्नताएं आप के सामने पेश कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। मैं विभिन्ताओं की बात उस समय करता हूं जब इसकी आवश्यकता होती है। जब लोगों में से कोई प्रोग्राम को ख़राब करने की कोशिश करता है।

हमें सभी अनेकताओं के बारे में जानने की आवश्यकता है, लेकिन मैं आम आदमी के सामने इसकी विभिन्नताओं पर बातचीत नहीं करता। आम आदमी से मैं यही कहता हूं कि खुद अपनी धार्मिक किताबों का अध्ययन करो। इस तरह तुम अपने मज़हब के भी करीब हो जाओगे और आलमी भाईचारा भी बढ़ेगा। अपने पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करो। कम से कम खुदा पर तो ईमान लाओ। विभिन्नताएं बाद में मिटाई जाती रहेंगी।

यहूदियत भी यही कहती है, ईसाईयत भी यही कहती है, हिंदूमत् भी यही कहता है, इस्लाम यही कहता है, सिख धर्म भी यही कहता है और पारसी धर्म भी यही कहता है कि;

"एक खुदा पर ईमान लाओ और उस की परस्तिश (पूजा) करो।"

आप दूसरों की पूजा क्यों करते हैं? पहले सिर्फ़ इसी नुक्ते (बिंदु) पर इकट्ठे हो जाएं दूसरी बातों के फ़ैसले बाद में होते रहेंगे। अगर हम यह एक जैसी समस्या हल करलें अगर हम दस में से तीन समस्याओं पर भी सहमत हो जाएं तो दूसरे नुकात (प्रसंग) की भिन्नता को बर्दाश्त किया जा सकता है। उनका फ़ैसला बाद में हो सकता है।

आप विश्वास कीजीए कि अगर हम एक जैसी बातों पर इकट्ठे हों तो अधिकतर समस्याएं स्वतः हल हो जाएंगी, और में खुद यही काम काम करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं सारी दुनिया में यात्रा करता हूं ग़ैर मुस्लिमों के सामने और चूंकि लोग न अपने पवित्र ग्रंथों के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं और न हमारी किताबों के बारे में, इसलिए बहुत से लोग सवालात करते हैं। खुद मुसलमान भी कुरआन व हदीस की शिक्षा के बारे में पूरा ज्ञान नहीं रखते। वह उन बातों के बारे में सवालात करते हैं जिन के बारे में वह नहीं जानते वे इसलिए मैं उन्हें जानकारी देता हूं। मैं उन्हे कुरआन और हदीस के बारे में बताता हूं। वेद और बाईबल के बारे मैं बताता हूं, और मैं जब भी कोई इक़्तबास (लेखांश) पेश करता हूं तो इस का हवाला ज़रूर पेश कर देता हूं, ताकि कोई यह न कह सके कि ज़ाकिर भाई हवाई बातें कर रहें हैं और यह तमाम पवित्र किताबें जिन का हवाला देता हूं, इस्लामिक रिसर्च फ़ाउनडेशन में उपलब्ध हैं। हमारी लाइब्रेरी में पवित्र वेद के कई अनुवाद मौजूद हैं। हमारे पास सैकड़ों तरह की इंजीलें मौजूद हैं। बाईबल के तीस से अधिक विभिन्न मतन (मूल ग्रंथ) हमारे पास हैं। अलहम्दुलिल्लाह। आप का सम्बंध किसी भी वर्ग से हो। Jehovahs Witness हों, Catholic हों या Protestant हो, आप की बाईबल हमारे पास मौजूद है और हम इस का हवाला पेश करेंगे। चुनांचे अगर कोई कहना चाहे कि ज़ाकिर नायक ग़लत कह रहा है तो उसे इन पवित्र लेखों को भी ग़लत कहना पड़ेगा क्योंकि मेरे भाषण का अधिकतर भाग इन्हीं पवित्र ग्रंथों के चुने हुए लेखांश पर ही आधारित है। अगर आप इन ग्रंथों से मत-भिन्नता रखते हैं तो इस से कोई आप को रोक नहीं सकता। अवश्य मतभेद रखें। बड़े प्रेम से मत-भिन्नता रखें क्योंकि कुरआन कहता है कि "दीन में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है" सच को झूठ से अलग कर दिया गया है। मैं हिंदूमत् की हक़ीक़ी शिक्षा आप के सामने पेश करता हूं अगर आप सहमत होना चाहें तो हो जाएं अगर विरोध करना चाहें तो विरोध करें।

एक प्रोग्राम हुआ था, जिसकी वीडीयों रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध है। उस सिमपोज़ियम का विषय था "इस्लाम ईसाईयत और हिंदूमत् में खुदा की संकल्पना" कुछ लोग इसे मुनाज़रा (धार्मिक बहस) भी कह सकते हैं।

केरल के एक हिंदू पंडित, कालीकट के एक मसीही पादरी और इस्लाम का दृष्टिकोण पेश करने के लिये मैं, यह बहस साढ़े चार घंटे चली। इस बहस की रिकार्डिंग उपलब्ध है। आप खुद देख सकते हैं। इस बहस में ईसाईयत और हिंदूमत् के विद्ववान भी शरीक है और मैं तो सिर्फ़ एक विद्यार्थी हूं। मैंने अपना दृष्टिकोण पेश किया। फैसला करना तो नाज़रीन (दर्शकों) का काम है। मैंने बहरहाल एक सी बातें पेश करने की कोशिश की। उन्हीं की किताबों के साथ और पूरे हवालों (उदाहरणों) के साथ। अध्याय नम्बर और आयत नम्बर के साथ। मानवजाति को इकट्ठा करने की एक ही सूरत है, और वह है ऐसी बातों की तलाश जो हमारे बीच समान हों उम्मीद है कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा।

प्रशनः अगर इस्लाम अमन व सलामती का धर्म है तो फिर इसे तलवार की मदद से क्यों फैलाया गया है?

उत्तरः सवाल पूछा गया है कि; अगर इस्लाम वाक़ई अमन व सलामती का धर्म है तो फिर यह तलवार की मदद से क्यों फैला? बात यह है कि इस्लाम का शब्द ही सलामा से निकला है, जिस का अर्थ ही सलामती (सुरक्षा) है। इस्लाम का एक और अर्थ अपनी रज़ा (मर्ज़ी) को अल्लाह तआला की मर्ज़ी के अनुसार कर देना है। मानो इस्लाम का अर्थ हुआ "वह सलामती (सुरक्षा) जो अपनी मर्ज़ी को अल्लाह तआला की मर्ज़ी के अनुसार कर देने से प्राप्त होती है।" लेकिन जैसा कि पहले भी बताया गया है कि दुनिया में हर व्यक्ति सलामती (सुरक्षा) नहीं चाहता। हर व्यक्ति यह नहीं चाहता कि पूरी दुनिया में अमन व सलामती (सुरक्षा) का माहौल बना रहे। कुछ असमाजिक तत्व भी होते हैं जो अपने खुद के लाभ के लिए अमन व सलामती (सुरक्षा) नहीं चाहते। अगर पूरा अमन हो जाए तो ज़ाहिर है कि चोरों, डाकुओं और मुजरिमों के लिये अवसर ख़त्म हो जाएंगे। चुनांचे अपने लाभ के लिये उनकी इच्छाऐं यही होती हैं कि अमन व सलामती (सुरक्षा) न रहे। ऐसे समाजदुश्मन लोगों को जड़ से उखाड़ने के लिये शक्ति का उपयोग आवश्यक हो जाता है, और इसी वजह से पुलिस का विभाग बनाना पड़ता है।

मानो इस्लाम वाक़ई अमन व सलामती (सुरक्षा) का धर्म है लेकिन अमन व सलामती (सुरक्षा) बनाए रखने के लिये भी कई बार ताक़त का

इस्तेमाल करना पड़ता है, ताकि समाज के लिये हानिकारक तत्व की जुर्रत (धृष्टता) को दबाया जा सके।

जहां तक इस बात का सम्बंध है कि "इस्लाम तलवार के ज़ोर से फैला है" तो इस सवाल का सब से अच्छा जवाब डी लैसी ओलेरी ने दिया है, जो कि एक मशहूर ग़ैर मुस्लिम इतिहासकार हैं। अपनी किताब "Islam at the Cross Roads." के पृष्ठ नम्बर आठ पर वह लिखते है:

"......इतिहास से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि मुसलमानों के पूरी दुनिया पर कब्ज़ा करने और तलवार के ज़ोर पर पराजित कौमों के लोगों को मुसलमान बनाने की कहानियां हक़ीक़त में बे सिर पैर के गढ़े हुए अफ़साने हैं और विश्वास करने योग्य नहीं हैं जो इतिहासकार दुहराते रहते हैं।"

किताब का नाम Islam at the Cross Roads है। लेखक डी लैसी ओलेरी है और पृष्ठ नम्बर आठ है। अब मैं आप से एक सवाल पूछता हूं कि हम मुसलमानों ने स्पैन पर लगभग आठ सौ वर्ष तक राज किया, लेकिन जब सलीबी जंगजू (ईसाई-योद्धा) वहां आए तो मुसलमानों का नाम व निशान ही मिटा दिया गया। वहां कोई एक मुसलमान भी ऐसा नहीं बचा जो सरे आम आज़ान दे सके। लोगों को नमाज़ की दावत दे सके। हम ने वहां शक्ति का उपयोग नहीं किया। आप जानते हैं कि हम मुसलमानों ने लगभग चौदह सौ वर्षों तक लगातार अरब क्षेत्र में राज किया। सिर्फ़ कुछ वर्ष अंग्रेज़ी और कुछ वर्ष फ़्रांसिसी भी रहे लेकिन पूरी तरह एक हज़ार चार सौ वर्ष तक अरबों के इलाक़े में मुसलमानों का ही राज रहा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस समय भी लगभग एक करोड़ चालीस लाख अरब निवासी ईसाइ हैं। यह लोग क़ब्ती ईसाइ कहलाते हैं। 'क़ब्ती' ईसाई नस्ल दर नस्ल ईसाई चले आ रहे हैं। अगर हम मुसलमान चाहते तो उनमें हर एक को तलवार के ज़ोर पर मुसलमान बना सकते थे। लेकिन हम ने ऐसा नहीं किया।

यह चौदह मिलियन अरब वासी जो कि क़ब्ती ईसाई हैं, वास्तव में इस बात के गवाह हैं कि इस्लाम तलवार के ज़ोर पर हरगिज़ नहीं फैला। खुद हिंदुस्तान पर भी सदियों तक मुसलमानों का राज रहा, लेकिन यहां भी इस्लाम फैलाने के लिये तलवार से काम नहीं लिया गया। अगर कुछ लोग कोई गलत काम करें तो इसके लिये धर्म को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अगर कुछ लोग धर्म की शिक्षा के अनुसार कर्म नहीं करते तो इस

का अर्थ यह हरगिज़ नहीं कि इस धर्म ही में बुराई है। मिसाल के तौर पर यह कहना ग़लत होगा की ईसाइयत एक बुरा धर्म है क्योंकि हिटलर ने 60 लाख यहूदी मार दिये थे। मान लीजिए ऐसा हुआ भी हो कि हिटलर ने 60 लाख यहूदी जलाकर मार दिये हों, तो फिर भी इस का ज़िम्मेदार ईसाइ धर्म को कैसे क़रार दिया जा सकता है। काली भेड़ें तो हर समाज में मौजूद होती हैं।

हम मुसलमानों ने सदियों हिंदुस्तान पर राज किया, अगर हम चाहते तो यहां के हर ग़ैर मुस्लिम को तलवार के ज़ोर पर मुसलमान बनाया जा सकता था। लेकिन हम ने कभी ऐसा करने की कोशिश नहीं की और इस बात की गवाही वह हिंदू आबादी है, जो आज भी इस देश की आबादी का अस्सी प्रतिशत हैं। यहां मौजूद लोगों में शामिल ग़ैर-मुस्लिम स्वयं इस बात की गवाही हैं कि हम ने ताक़त रखने के बावजूद लोगों को तलवार के ज़ोर पर मुसलमान नहीं बनाया। हम ने ऐसा नहीं किया क्योंकि इसलाम इस बात पर विश्वास ही नहीं रखता।

आज आबादी के लिहाज़ से दुनिया का सब से बड़ा मुसलमान देश इंडोनेशिया है। मुसलमानों की सब से बड़ी संख्या वहां है। कौन सी फ़ौज इंडोनेशिया फ़तह (विजय) प्राप्त करने गई थी? मलेशिया की आबादी में 55 प्रतिशत मुसलमान हैं तो बताइए वहां कौन सी फ़ौज भेजी गई थी? अफ़्रीक़ा का मशरिक़ी (पूर्वी) साहिल जीतने कौन गया था? कौन सी फ़ौज? कौन सी तलवारें?

इस का जवाब थॉमस कारलायल देता है। कारलायल अपनी किताब Heroes & Hero Worship में लिखता है:

"आप को यह तलवार हासिल करना पड़ती है। दूसरी सूरत में कम ही लाभ हो सकता है। हर नया दृष्टिकोण शुरू में एक आदमी के दिमाग़ में होता है। दुनिया भर में सिर्फ़ एक आदमी के विवेक में, एक आदमी पूरी मानवजाति के मुक़ाबले में अगर वह तलवार का उपयोग करेगा तो उसकी सफ़लता की सम्भावना कम ही है।"

कौन सी तलवार? मान लीजिए कोई ऐसी तलवार होती भी तो मुसलमान उसे उपयोग नहीं कर सकते थे क्योंकि क़ुरआन उन्हें आज्ञा देता है:

لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ

بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ.

(۲۵۶:۲)

"दीन (धर्म) के मामले में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। सही बात ग़लत ख़यालात से अलग छाँट कर रख दी गई है। अब जो कोई तागूत (शैतान) का इनकार करके अल्लाह पर ईमान ले आया उसने एक ऐसा मज़बूत सहारा थाम लिया जो कभी टूटने वाला नहीं और अल्लाह सब कुछ सुनने और जानने वाला है।"

यानि हर वह व्यक्ति जो अल्लाह से मदद चाहता हैं और झूठी शक्तियों को रद्द कर देता है। हक़ीक़त में उसने सब से मज़बूत सहारा पकड़ा है। ऐसा सहारा जो कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगा।

कौन सी तलवार से लोगों को मुसलमान किया गया है? यह हिकमत (अक़्ल) की तलवार थी। क़ुरआन पाक में अल्लाह तआला फ़रमाता है:

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ.

(۱۲۵:۱۶)

"ऐ नबी (स.अ.व.)! अपने रब के रास्ते की तरफ़ दावत दो हिक्मत और उमदा नसीहत के साथ, और लोगों से बहस करो ऐसे तरीक़े से जो सब से अच्छा हो, तुम्हारा रब ही अधिक बेहतर जानता है, कि कौन उसकी राह (रास्ते) से भटका हुआ है और कौन राहे रास्त (सत्यमार्ग) पर है।"

The Plain Truth नाम की पत्रिका में एक विषय प्रकाशित हुआ था जो अस्ल में रीडर्स ड्राईजेस्ट की वार्षिक किताब 1986 से लिया गया है। इस विषय में 1934 से 1984 तक के पचास वर्षों में दुनिया के धर्मों में वृद्धि के हवाले से आंकड़े दिये गये हैं। इस आधी शताब्दि के दौरान सब से अधिक इज़ाफ़ा मुसलमानों की संख्या दो सौ पैंतीस प्रतिशत बढ़ गई है। मैं आप से पूछता हूं कि इन पचास वर्षों में 1934 से 1984 तक मुसलमानों ने कौन सी लड़ाईयां लड़कर लोगों को मुसलमान किया? वह कौन सी तलवार थी जिस के द्वारा उन लाखों लोगों को इस्लाम क़ुबूल करने पर मजबूर किया गया।

क्या आप जानते हैं कि इस समय अमरीका में सब से तेज़ी से फैलने वाला धर्म इस्लाम है। इन अमरीकियों को इस्लाम क़ुबूल करने पर कौन सी तलवार मजबूर कर रही है? योरोप में भी इस्लाम ही सब से तेज़ी से

फैलने वाला धर्म है। उन्हें कौन तलवार की नोक पर इस्लाम क़ुबूल करने पर मजबूर कर रहा है? कुरआन इस सवाल का जवाब कई जगहों पर देता है। मैं इस सवाल का जवाब डॉ० एडम पिटर्सन के इन शब्दों पर ख़त्म करना चाहूंगा:

"वह लोग जिन्हें यह डर है कि ऐटमी हथियार कहीं अरबों के हाथ न आ जाएं, वह यह बात नहीं समझ रहे कि इस्लामी बम तो पहले ही गिराया जा चुका है। यह बम उस दिन गिरा था जिस दिन पैग़म्बर-ए-इस्लाम हज़रत मुहम्मद (स.अ.व.)का जन्म हुआ था।

प्रश्न: अगर इस्लाम वास्त्व में आलमी भाईचारे (वैश्विक भाईचारे) की शिक्षा देता है तो फिर मुसलमान ख़ुद क्यों भिन्न-भिन्न वर्गों में बटे हैं?

उत्तर: सवाल यह किया गया है कि अगर वास्तव में इस्लाम हक़ीक़ी भाईचारे की शिक्षा देता है तो फिर मुसलमान ख़ुद क्यों फ़िरक़ों (पंथ-समूहों) में बंटे हैं। इस सवाल का जवाब क़ुरआन मजीद की सूर: आले इमरान में कुछ यूं फ़रमाया दिया है:

وَعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ط

(١٠٣:٣)

"सब मिल कर अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से पकड़ लो और आपसी भेद-भाव में न पड़ो।"

अल्लाह की रस्सी से क्या अर्थ है? अल्लाह की रस्सी से अर्थ है अल्लाह तआला की किताब यानी क़ुरआन मजीद। मुसलमानों को आदेश दिया गया है कि अल्लाह तआला की मर्ज़ी को मज़बूती से पकड़ लें। यानी क़ुरआन मजीद और अहादीसे सहीहा (पवित्र इस्लामी ग्रंथ) की शिक्षा सामने रखें और आपस में भेद-भाव न पैदा करें जैसा कि पहले भी मैंने बताया क़ुरआन मजीद में अल्लाह तआला फ़रमाता है:

اِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِيْ شَيْءٍ اِنَّمَآ اَمْرُهُمْ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ.

(١٥٩:٦)

"जिन लोगों ने अपने धर्म को टुकड़े-टुकड़े कर दिया और वर्गों में बंट गये यक़ीनन उनसे तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं, उसका मामला तो अल्लाह के हवाले है। वही उनको बताएगा कि उन्होंने किया कुछ क्या है।"

मालूम यह हुआ कि इस्लाम धर्म के अनुसार, मुसलमानों को फ़िरक़ों में बंटने से रोका गया है। लेकिन होता यह है कि कुछ मुसलमानों से जब पूछा जाए कि तुम कौन हो तो जवाब मिलता है;

"में 'हनफ़ी हूं'।" कुछ कहते हैं: "मैं शाफ़ई हूं: कुछ कहते हैं: "मैं मालिकी हूं।" और कुछ का जवाब होता है: "मैं हंबली हूं।"

सवाल यह है कि हमारे पैग़बर हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा (स.अ.व.) क्या थे? किया वह हनफ़ी थे? हंबली थे? मालिकी थे? या शाफ़ई थे? वह सिर्फ़ और सिर्फ़ मुसलमान थे।

क़ुरआन पाक की सूर: आले इमरान में अल्लाह तआला फ़रमाता है:

فَلَمَّآ اَحَسَّ عِيْسٰى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ اَنْصَارِيْٓ اِلَى اللّٰهِ

(٥٢:٣)

"जब ईसा अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि बनी इसराईल कुफ़्र व इनकार पर तत्पर हो चुके हैं तो उसने कहा कौन अल्लाह की राह (रास्ता) में मेरा सहायक होगा?"

हवारियों ने जवाब दिया:

نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَاشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ.

(٥٢:٣)

"हम अल्लाह के मददगार (सहायक) हैं। हम अल्लाह पर ईमान लाए। आप गवाह रहें कि हम मुस्लिम (अल्लाह का आदेश मानने वाले) हैं।"

एक और जगह अल्लाह तबारक तआला फ़रमाता है:

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

(٣٣:٤١)

"और उस व्यक्ति की बात से अच्छी बात और किस की होगी जिस ने अल्लाह की ओर बुलाया और नेक अमल (कार्य) किया और कहा कि मैं मुसलमान हूं।"

यानि अच्छा वह है जो कहे कि मैं मुस्लिम हूं। जब भी कोई आप से यह सवाल करे कि आप कौन हैं? तो आप का जवाब यह होना चाहिए कि "मैं मुसलमान हूं।" इस में कोई बुराइ नहीं अगर कोई यह कहे कि मुझे कुछ मामलो में इमाम अबु-हनीफ़ा रह० या किसी और महान ज्ञानी

की राय से सहमति है। या यह कि मुझे इमाम शाफ़ई रह० या इमाम मालिक रह० या इमाम इब्ने हंबल रह० के फ़ैसलों से सहमति है। मैं इन तमाम लोगों का आदर करता हूं। अगर कोई कुछ मामलों में इमाम अबु हनीफ़ा रह० को मानते हैं और कुछ में इमाम शाफ़ई रह० को तो मेरे नज़दीक इस में एतिराज़ (आपत्ति) की कोई बात नहीं, लेकिन जब आप की पहचान के बारे में सवाल किया जाए तो आप का जवाब एक ही होना चाहिए और वह यह कि मैं मुसलमान हूं। पहले किसी भाई ने कहा कि "कुरआन कहता है कि मुसलमानों के 73 फ़िरक़े होंगे।......" अस्ल में वह कुरआन का नहीं बल्कि हुज़ूर नबी करीम (स॰अ॰व॰) की एक हदीस का हवाला दे रहे थे। यह हदीस सुनन अबुदाउद में मौजूद है। उस में फ़रमाया गया है कि इस्लाम धर्म 73 फ़िरक़ों में बंट जाएगा लेकिन अगर आप इन शब्दों पर ध्यान दें तो आप को पता चलेगा कि इस में इत्तला (सूचना) दी जा रही है कि मुसलमान 73 फ़िरक़ों (वर्गों) में विभाजित हो जाएंगे, हुक्म नहीं दिया जा रहा है कि दीन (धर्म) को 73 फ़िरक़ों में बांट दो। हज़रत मुहम्मद (स.अ.व.) एक भविष्यवाणी फ़रमा रहे हैं। आदेश तो यही है, जो कुरआन में दे दिया गया है कि "भेद भाव में न पड़ो।"

यह तो एक सच्ची भविष्यवाणी है जिसे अंततः पूरा हो कर रहना है। 'तिरमिज़ी' की एक हदीस का अर्थ कुछ इस तरह है:

> "रसूल अल्लाह (स॰अ॰व॰) ने फ़रमाया; उम्मत 73 फ़िरक़ों में बट जाएगी और एक फ़िरक़े के अलावा सब जहन्नम (नर्क) में जाएंगे। सहाबा-ए-इकराम ने पूछा यह एक फ़िरक़ा कौन से होगा? आप (स.अ.व.) ने फ़रमाया: वह जो मेरे और मेरे सहाबा र.त.अ. के रास्ते पर चलेगा।"

यानि वह जो कुरआन और सही हादीसों को मानेगा, वही सही रास्ते पर यानी सिरातेमुस्तक़ीम (सीधा रास्ता) पर है। इस्लाम दीन में भेदभाव और विभाजन के ख़िलाफ़ है। इसलिए कुरआन और अहादीस नबविया (स॰अ॰व॰) का अध्ययन होना चाहिए। और इन पर अमल होना चाहिए क्योंकि कुरआन व हदीस के अनुसार कर्म करके ही मुसलमान एकजुट हो सकते हैं।

उम्मीद है कि आप को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा।

प्रश्नः दुनिया मे भाईचारे को बढ़ावा देने के लिये सब से अच्छा

तरीक़ा क्या हो सकता है? हमें ज़्यादा ज़ोर किस पहलू पर देना चाहिए? धर्म पर? समाज पर? या राजनीती पर?

उत्तरः भाई ने सवाल यह पूछा है कि वैश्विक भाईचारे को बढ़ावा देने के लिये हमें किस चीज़ को अहमियत देनी चाहिए? क्या धर्म पर ज़ोर देना चाहिए? समाज पर? या सियासत पर?

मेरे भाई! मेरी सारी बातचीत ही इस विषय पर थी और अब मेरे लिये वह सारी बाते दुहराना सम्भव नहीं है। आप के सवाल का जवाब वही है। दुनिया में भाईचारे को बढ़ावा देने के लिये हमें धर्म को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। यह बात सारे धर्मों में मौजूद है कि; "हमें एक खुदा पर ईमान रखना चाहिए और उसी की इबादत (पूजा) करनी चाहिए।" अतः हमें चाहिए कि इसी बात को प्राथमिकता दें और इसी प्रसंग को मानें। मैं अपनी बातचीत की अवधि भी यही दुहराता रहा हूं मैंने बहुत से प्रशन के उत्तर देते हुए भी यही बात कही और फिर कह रहा हूं कि समाज और राजनीती बुनियादी तरजीह (मौलिक प्राथमिकता) नहीं है बल्कि यह चीज़ें बाद में आती हैं। राजनीती में जिस भाईचारे की बात की जाती है वह सीमित है और इसी प्रकार समाजिकता भी सीमित है लेकिन एक खुदा पर ईमान रखना वैश्विक व्यापकता है।

अल्लाह ही ने पूरी मानवजाति की रचना की है। मर्द हो या औरत, गोरा हो या काला, अमीर हो या ग़रीब, सब अल्लाह ही के बनाए हुए हैं। इसलिए वैश्विक भाईचारे का बनाना सिर्फ़ एक ख़ुदा पर ईमान और इबादत (पूजा) को सिर्फ़ उसी के लिये ख़ास कर देने की सूरत में ही सम्भव है।

उम्मीद है आप को अपने सवाल का जवाब मिल चुका होगा।

प्रश्नः सारे धर्म बुनियादी तौरपर अच्छी बातों की शिक्षा ही देते हैं। इसलिए किसी भी धर्म को माना जाए, एक ही बात है। आप का क्या विचार है?

उत्तरः सवाल यह पूछा गया है कि जब तमाम धर्म बुनियादी तौर पर अच्छी बातों की शिक्षा ही देते है तो इस का अर्थ यह हुआ कि आप किसी भी धर्म के मानने वाले हों एक ही बात है। मुझे आप के सवाल के पहले भाग से पूरी सहमति है कि सारे धर्म बुनियादी तौर पर अच्छी

बातें ही सिखाते है। जैसे कि धर्म अपने मानने वालों को यही शिक्षा देता है कि किसी को लूटना नहीं चाहिए, औरतों का आदर करना चाहिए यानि किसी औरत की बेइज़्ज़ती नहीं करनी चाहिए। हिंदूमत् यही कहता है, ईसाईयत यही शिक्षा देती है और इस्लाम भी यही शिक्षा देता है।

लेकिन इस्लाम और दूसरे धर्मों में एक अन्तर है और वह यह कि इस्लाम न सिर्फ़ अच्छी बातों की शिक्षा देता है बल्कि उन्हें व्यवहार में लाने का तरीक़ा भी सिखाता है जैसे कि भाईचारे की तारीफ़ तो तमाम धर्म करते हैं लेकिन इस्लाम आप को यह भी सिखाता है कि आपकी व्यवहारिक ज़िंदगी में भाईचारा किस तरह आएगा। हिंदूमत् किसी को लूटने से रोकता है। ईसाईयत भी यही शिक्षा देती है और इस्लाम भी यही कहता है कि किसी को लूटना ग़लत काम है। इस्लाम की ख़ूबी यह है कि इस्लाम आप को ऐसे समाज की रचना करने की भी शिक्षा देता है जिस में कोई किसी को लूटने की कोशिश ही न करे। यही इस्लाम और दूसरे धर्मों में मूल अन्तर है।

इस्लाम ज़कात देने पर ज़ोर देता है। हर अमीर आदमी अपनी बचत का ढाई प्रतिशत ग़रीबों को देने के लिए प्रतिबद्ध है। ज़कात हर क़मरी साल (इस्लामी वर्ष) में एक बार अदा की जाती है और हर उस व्यक्ति पर फ़र्ज़ (दायित्व) है जिस के पास एक ख़ास मात्रा से अधिक सोना या उसके बराबर माल व दौलत हो। अगर हर अमीर आदमी ज़कात देना शुरू कर दे तो दुनिया से ग़रीबी का ख़ात्मा हो जाए। अगर दुनिया के सारे अमीर लोग ज़कात अदा करना शुरू कर दें तो पूरी दुनिया में कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरेगा।

इसके अलावा यह व्यवस्था क़ायम करने के बाद क़ुरआन हकीम आदेश देता है:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ.
(٣٨:٥)

"और चोर, चाहे औरत हो या मर्द, दोनों के हाथ काट दो, यह उनकी कमाई का बदला है, और अल्लाह की तरफ़ से है। अल्लाह की प्रभुता सब पर हावी है और वह सब कुछ जानने वाला है।" 5:38

कुछ लोग कहते हैं कि हाथ काटना एक भयानक सज़ा है इक्कीसवीं सदी में ऐसी सज़ाएं लागू नहीं हो सकतीं और यह कि इस्लाम एक निर्दयी

धर्म है, एक बेरहम क़ानून है। और यह कि हज़ारों लोग चोरियां करते हैं, अगर इस सज़ा को लागू कर दिया गया तो अनगिनत लोगों के हाथ काटने पड़ेंगे। लेकिन सज़ा के सख़्त होने का लाभ यह है कि जैसे ही उस सज़ा को लागू किया जाएगा तुरंत अपराधों में कमी आ जाएगी। जैसे ही किसी व्यक्ति को यह मालूम होगा कि चोरी करने या डाका डालने की सूरत में अपराधी का हाथ काट दिया जाएगा तो अधिकतर स्थितियों में चोरी या डाके का विचार ही उसके दिमाग़ से निकल जाएगा।

क्या आप जानते है कि अमरीका जो इस समय दुनिया का सब से तरक़्क़ीयाफ़्ता (विकसित) देश है वह अपराधों की दर के आधार पर भी पहले नम्बर पर हैं। दुनिया में सब से अधिक अपराध भी अमरीका में ही होते हैं। सब से अधिक चोरियां और डाके भी अमरीका में होते हैं। मैं आप से एक सवाल पूछता हूं।

मान लीजिए आज अमरीका में इस्लामी क़ानून लागू कर दिया जाता है यानी हर अमीर आदमी अपनी दौलत का ढाई प्रतिशत के रूप में हक़दारों को देना शुरू कर देता है और इसके बाद कोई मर्द या औरत चोरी करे तो उसका हाथ काट दिया जाता है, तो मैं आप से यह पूछना चाहता हूं कि बताएं अमरीका में अपराधों की दर में इज़ाफ़ा होगा और यही दर जारी रहेगी? या अपराधों मे कमी होगी ज़ाहिर है कि अपराधों की दर में कमी आ जाएगी। यह एक व्यवहार में लाने वाला क़ानून है। आप धार्मिक क़ानून लागू करते हैं और आप को तुरंत परिणाम नज़र आ जाते हैं।

एक और मिसाल आप के सामने पेश करता हूं। दुनिया के अधिकतर धर्म औरतों का आदर करने का आदेश देते हैं और औरतों की बेइज़्ज़ती करने से रोकते हैं। बलात्कार (ज़िना बिलजब्र) को अपराध क़रार देते हैं। हिंदूमत् की यही शिक्षा है। ईसाईयत यही आदेश देती है और इस्लाम भी यही कहता है। लेकिन इस्लाम की यह विशेषता है कि यह धर्म आप को वह तरीक़ा और वह व्यवस्था भी देता है जिस के तहत आप समाज मे औरतों की इज़्ज़त की सुरक्षा सम्भव बना सकते हैं। एक ऐसा समाज बना सकते हैं, जिसमें मर्द औरतों की बेइज़्ज़ती न करें, बलात्कार के दोषी न हों।

सब से पहले तो इस्लाम हिजाब (पर्दे) का आदेश देता है। आम तौर पर लोग औरतों के हिजाब (पर्दे) की बात करते हैं लेकिन क़ुरआन मजीद

में अल्लाह तआला पर्दे का आदेश पहले मर्दो को और फिर औरतों को देता है।

सूरः नूर में अल्लाह तआला फ़रमाता है:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ.
(٣٠:٢٤)

"ऐ नबी (स.अ.व.)! मोमिन मर्दों से कहो कि अपनी नज़रें बचा कर रखें और अपनी शर्मगाहों की रक्षा करें। यह उनके लिये अधिक पवित्र तरीक़ा है, जो कुछ वह करते हैं अल्लाह उस से बाख़बर रहता है।" 30:34

जब भी कोई मर्द किसी औरत को देखे और कोई बुरा विचार इस के दिमाग़ में आए, कोई शहवत-अंगेज़ (वासना युक्त) विचार पैदा हो तो उसका कर्तव्य है कि अपनी निगाहें झुका ले। दुबारा निगाह को न भटकने दें।

एक दिन मेरा एक दोस्त मेरे साथ था। यह दोस्त मुसलमान था। उस दोस्त ने किसी लड़की को देखा तो लगातार काफ़ी देर तक देखता रहा। मैंने उसे कहा कि मेरे भाई यह क्या कर रहे हो। इस्लाम औरतों को इस तरह घूरने की इजाज़त नहीं देता। यह सुन कर वह कहने लगा कि जनाब "रसूल अल्लाह (स.अ.व.) ने फ़रमाया है कि पहली निगाह की इजाज़त है और दूसरी हराम है।" और अभी तो मैंने अपनी पहली निगाह आधी भी मुकम्मल नहीं की थी। मैंने कहा रसूल अल्लाह (स.अ.व.) की इस हदीस पाक में यह जो कहा गया है कि पहली निगाह माफ़ी के क़ाबिल है और दूसरी निगाह में माफ़ी नहीं है तो इसका अर्थ यह नहीं कि पहली बार निगाह पड़े तो आधा घंटे तक घूरते ही चले जाओ और पलक भी न झपको। इस हदीस में रसूल (स.अ.व.) यह फ़रमा रहे हैं कि बिना इरादा अगर किसी औरत पर निगाह पड़ भी जाए तो ख़ैर (भलाई) है लेकिन जानबूझ कर बिल्कुल न देखो। सूरः नूर की अगली आयात औरतों के लिये पर्दे की चर्चा करती है।

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ آبَائِهِنَّ ط
(٣١:٢٤)

"और ऐ (स.अ.व.) नबी मोमिन औरतों से कह दो कि अपनी निगाहें बचा कर रखें और अपनी शर्मगाहों (गुप्तांग) की रक्षा करें और अपना बनाओ श्रृंगार न दिखाएं। इसके अलावा जो ख़ुद ज़ाहिर हो जाए और अपने सीनों पर अपनी औढ़नियों के आंचल डाले रहें। वह अपना बनाओ न ज़ाहिर करें मगर उन लोगों के सामनेः पति, बाप......।" 24:31

इसके बाद उन लोगों की सूची दी गई है जो पर्दे से अलग हैं।

पर्दे के संदर्भ से बुनियादी तौर पर छह विधान ऐसे हैं जिन्हें ध्यान में रखना आवश्यक है।

पहला उसूल है पर्दा की हद या स्तर, यह हद मर्दों और औरतों के लिये अलग अलग है। मर्द के लिये पर्दे की कम से कम हद नाफ़ से घुटने तक है जब कि औरत का सारा शरीर पर्दे में होना ज़रूरी है। सिर्फ़ चेहरा और कलाईयों तक हाथ इस से अलग हैं। कुछ विद्वान तो चेहरे का पर्दा भी ज़रूरी क़रार देते हैं। सिर्फ़ यह उसूल है जो औरत और मर्द के लिए अलग अलग है। बाक़ी पांचों उसूल मर्द और औरत दोनों पर एक जैसे ही लागू होते है।

दूसरा उसूल यह है कि आपका लिबास तंग और चुस्त हरगिज़ नहीं होना चाहिए। यानि ऐसा लिबास पहनने से भी मना किया गया है जो शरीर की बनावट को उभारे।

तीसरा उसूल यह है कि आप का लिबास चमकदार नहीं होना चाहिए, यानि ऐसे कपड़े का बना हुआ लिबास न पहने जिसमें शरीर आरपार नज़र आए कपड़ा पारदर्शी न हो।

चौथा उसूल यह है कि आपका लिबास इतना भड़कीला भी नहीं होना चाहिए कि लोगों की नज़रे पड़ तो वह देखते रह जाए।

पांचवा उसूल यह है कि आपका लिबास काफ़िरों के लिबास की तरह नहीं होना चाहिए यानि कोई ऐसा लिबास नहीं पहनना चाहिए जो किसी ख़ास धर्म से सम्बंध रखने वालों की पहचान बन चुका हो।

छठी और आख़री बात यह है कि औरतें ऐसा लिबास न पहनें जो मर्दों के लिबास जैसा हो, और मर्द औरतों वाले लिबास से बचें।

हिजाब (पर्दे) के हवाले से यह वह छह बुनियादी उसूल हैं जो क़ुरआन और सही हादीसों की रौशनी में हमारे सामने आते है।

हिजाब (पर्दे) के हवाले से क़ुरआन मजीद में अल्लाह तआला फ़रमाता है:

يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَا بِيْبِهِنَّ

ذٰلِکَ اَدْنٰـی اَنْ یُّعْـرَفْـنَ فَلَا یُـؤْذَیْـنَ وَکَـانَ اللّٰـهُ غَفُوْرًا رَّحِیْـمًـا.
(۵۹:۳۳)

"ऐ नबी (स.अ.व.)! अपनी बीवियों और बेटियों और तमाम ईमान वालों की औरतों से कह दो कि अपने ऊपर अपनी चादरों के पल्लू लटका लिया करें। यह ज़्यादा मुनासिब तरीक़ा है ताकि वह पहचान ली जाएं और न सताई जाएं। अल्लाह ग़फ़ूर व रहीम है।"

क़ुरआन हमें बताता है कि हिजाब इसी लिये ज़रूरी किया गया है कि औरतों की इज़्ज़त व आबरू की रक्षा की जा सके, अगर इसके बावजूद कोई शख़्स बलात्कार का दोषी पाया जाता है तो उसे सज़ा-ए-मौत दी जाएगी। कुछ लोग कहते हैं कि इस नये दौर में, इक्कीसवीं सदी में ऐसी सज़ा क्यों कर दी जा सकती है, इसका अर्थ तो यह हुआ कि इस्लाम एक निर्दयी धर्म है। यह एक बेरहमी पर बना हुआ क़ानून है।

लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमरीका, जो इस समय का सब से ज़्यादा विकसित देश समझा जाता है, वहां बलात्कार की घटनाएं पूरी दुनिया में सब से अधिक होते है। आंकड़े के हिसाब से यह मालूम होता है कि वहां रोज़ाना औसतन एक हज़ार नौ सौ ऐसी घटनाएं होती हैं। यानि हर 1.3 मिनट के बाद बलात्कार की एक घटना हो जाती है। हम लोग इस हाल में लगभग ढाई घंटे से है। इस दौरान अमरीका में ज़िना-बिलजब्र (बलात्कार) की कितनी घटनाएं हो चुकी होंगी? एक सौ से भी ज़्यादा।

मैं आप से फिर एक सवाल पूछना चाहता हूं।

यह बताइए कि अगर आज अमरीका में इस्लामी क़ानून लागू कर दिया जाए तो क्या होगा। यानि एक तो मर्द, औरतों को घूरने से बचें यानी अपनी निगाहों की रक्षा करें। दूसरे यह कि लिबास, पर्दे की सारी शर्तें पूरी करने वाला हो, और तीसरे यह कि अगर कोई मर्द इसके बावजूद किसी औरत के साथ अत्याचार का दोषी हो तो उसे सज़ा-ए-मौत (मृत्यु-दण्ड) सुनाई जाएगी? मैं यह पूछना चाहूंगा कि ऐसी सूरत में बलात्कार की घटनाओं की दर यही रहेगी? या इसमें कमी होगी? या वृद्धि हो जाएगी। साफ़ ज़ाहिर है कि यह दर कम हो जाएगी।

इस्लामी क़ानून अमल करने या व्यवहार में लाने के क़ाबिल क़ानून है, इसलिए जहां भी इस्लामी क़ानून को लागू किया जाएगा आप को तुरंत परिणाम मिलेंगे।

बाक़ी जहां तक क़ानून के सख़्त होने का सम्बंध है तो इस बारे में ग़ैर-मुस्लिमों से विशेष तौर पर एक सवाल किया करता हूं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति आप की बीवी या बेटी के साथ अत्याचार करता है? उसके बाद अपराधी को आप के सामने लाया जाता है और आप को जज बना दिया जाता है। आप उस व्यक्ति को क्या सज़ा सुनाएंगे?

आप विश्वास कीजिए, हर एक ने एक ही जवाब दिया और वह यह कि हम उस अपराधी को मौत की सज़ा देंगे। कुछ लोग इस से भी आगे बढ़ गये और जवाब दिया कि हम ऐसे व्यक्ति को नाना प्रकार की यातनाएं दे कर, तड़पा तड़पा कर मारेंगे, तो फिर सवाल यह पैदा होता है कि दुहरा स्तर क्यों?

अगर कोई व्यक्ति किसी और की बहन या बेटी के साथ बलात्कार का दोषी पाया जाता है तो आप के ख़याल में सज़ाए मौत भयानक सज़ा है। लेकिन अगर ख़ुदा न करे यही घटना आप की बहन या बेटी के साथ हो जाती है तो फिर यह सज़ा ठीक हो जाती है।

ख़ुद हिंदुस्तान में स्थिति यह है कि हर 54 मिनट के बाद बलात्कार की एक घटना रजिस्टर होती है। गोया हर चन्द मिनट के बाद एक औरत के साथ अत्याचार होता है, और आप जानते हैं कि इस हवाले से हिंदुस्तान के वज़ीर दाख़िला (गृहमंत्री) की राय क्या है?

अक्तूबर 1998 के अख़बारात में हिंदुस्तानी गृहमंत्री मिस्टर एल.के. आडवाणी का एक बयान छपा है। महोदय फ़रमाते हैं; बलात्कार के अपराधी के लिये सज़ाए मौत होनी चाहिए। वज़ीर महोदय ने इस संदर्भ से क़ानून में तबदीली की मांग भी की। Times of India की सुर्ख़ी थी कि "आडवानी द्वारा बलात्कार के अपराधी के लिये सज़ाए मौत का प्रस्ताव।"

अलहम्दुलिल्लाह जो विधान इस्लाम ने आज से चौदह सौ वर्ष पहले दिया था, आख़िरकार आज दुनिया उसी की तरफ़ आ रही है। मिस्टर आडवाणी ने बिल्कुल ठीक फैसला लिया है और मुझे इस बात पर उनका समर्थन करना चाहिये, मुबारकबाद देनी चाहिये। मैं यहां किसी राजनीतिक पार्टी की हिमायत करने नहीं आया। मेरा राजनीति से कोई सम्बंध नहीं है, लेकिन अगर कोई हक़ बात करता है तो उसकी प्रशंसा ज़रूर होनी चाहिये। अगर इस प्रस्ताव पर अमल हुआ तो यक़ीनन बलात्कार की घटनाओं में कमी आ जाएगी। हो सकता है भविष्य में कोई गृहमंत्री

इस्लाम की पर्दा व्यवस्था के तरीक़े को लागू करने के लिये भी तैयार हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो इन्शाअल्लाह उन अपराधियों का पूरी तरह से सफ़ाया हो जाएगा जो औरतों पर ज़ुल्म करते हैं। लोग इस्लाम के क़रीब आ रहें हैं, और मेरे लिये यह प्रशंसनीय बात है, जैसा कि मैंने पहले कहा इस्लाम की दावत यही है कि आओ इन बातों पर सहमति पैदा करें जो हमारे और तुम्हारे बीच समान हैं। मिस्टर आडवाणी ने हिंदुस्तान में बलात्कार की घटनाओं की बढ़ती हुई संख्या को देख कर स्थिति की गम्भीरता को महसूस किया और क़ानून में बदलाव के प्रस्ताव पेश किए। मैं उनकी पूरी तरह से हिमायत करता हूं कि क़ानून को बदला जाना चाहिए और इस अपराध के करने वालों को सज़ाए मौत मिलनी चाहिए।

अगर आप ध्यान दें तो आप देखेंगे कि इस्लाम सिर्फ़ अच्छी बातों का उपदेश नहीं दिया करता, बल्कि समाज में व्यवहारिक तौर पर बेहतरी और अच्छाई लाने का तरीक़ा भी बताता है।

इसी लिये मैं कहता हूं कि इस्लाम और अच्छी बातों की शिक्षा देने वाले दूसरे धर्मों में फ़र्क़ है। इस्लाम और दूसरे धर्म समान नहीं है, और मैं उस धर्म की पैरवी करूंगा कि सिर्फ़ अच्छी बातों की शिक्षा ही नहीं देता बल्कि उन अच्छी बातों को व्यवहारिक रूप में लागू करने की अनिवार्यता को अवधारणा की तरह स्थापित करता है, और उसके रीतिबद्ध होने को भी यक़ीनी बनाता है।

इसी लिये सही तौर पर सूर: आले इमरान में फ़रमाया गया:

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَ
هُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ.
(١٩:٣)

"अल्लाह के नज़दीक दीन सिर्फ़ इस्लाम है। इस दीन से हट कर जो अलग-अलग तरीक़े इन लोगों ने चुनें जिन्हें किताब दी गई थी। उनके उस कार्यशैली की कोई वजह उसके सिवा न थी कि उन्होंने आ जाने के बाद आपस में अत्याचार करने के लिये ऐसा किया और जो कोई अल्लाह के आदेश को मानने से इनकार करदे, अल्लाह को उस से हिसाब लेने में कुछ देर नहीं लगती।" 3:19

प्रश्न: आप बात तो करते हैं आलमी भाईचारे या वैश्विक भाईचारे की, आप की बातचीत का विषय भी आलमी भाईचारा है लेकिन

बात सिर्फ़ इस्लाम की कर रहे हैं। आलमी भाईचारे का अर्थ तो सब के लिये भाईचारा होना चाहिए, चाहे किसी का सम्बंध किसी भी धर्म से हो। दूसरे रूप में क्या इसे अलामी भाईचारे के बजाए "मुस्लिम भाइचारा" कहना सही नहीं होगा?

उत्तर: भाई ने सवाल पूछा कि आलमी भाईचारे के नाम पर मैं इस्लाम की वकालत कर रहा हूं। मान लीजिए मुझे आप को यह बताना है कि बेहतरीन कपड़ा कौन सा है? और फ़र्ज़ कीजिए कि बेहतरीन कपड़ा किसी ख़ास कम्पनी रैमण्डज़ (Raymonds) का है। अब अगर मैं कहता हूं कि "बेहतरीन कपड़ा रैमण्डज़ का है और आप को रैमण्डज़ का कपड़ा उपयोग करना चाहिए" तो क्या में ग़लत कह रहा हूंगा।

इसी तरह मान लीजिए, मुझे यह बताना है कि बेहतरीन डॉक्टर कौन है और मान लीजिए कि मुझे पता है कि डॉक्टर "अ" ही बेहतरीन डॉक्टर है। अब अगर मैं कहूं कि लोगों को डॉक्टर "अ" से इलाज कराना चाहिए तो क्या में डॉक्टर "अ" की वकालत कर रहा हूं?

हां मैं आप को यही बता रहा हूं कि इस्लाम ही वह दीन (धर्म) है जो आलमी भाईचारे की बात करता है और सिर्फ़ बात ही नहीं करता बल्कि व्यवहारिक तौर पर 'विश्वबंधुत्व' की प्राप्ति को सम्भव भी बनाता है। रही बात यह कि क्या आलमी भाईचारे की नज़र में आप मुसलमान और ग़ैरमुस्लिम को भाई क़रार दे सकते है या सिर्फ़ मुसलमान ही मुसलमान का भाई है? तो मैं यह कहूंगा कि इस्लाम का भाईचारा यही है कि सारे इंसान हमारे भाई हैं। मैंने अपनी बातचीत के दौरान यह बात ज़ाहिर की थी। मैं बिल्कुल शब्दों से खेलने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, बल्कि स्पष्ट शब्दों में आप को बता रहा हूं।

हो सकता है आप ने ध्यान न दिया हो या यह बात आप से छूट गई हो कि मैंने अपनी बातचीत की शुरुआत ही सूर: हुजरात की इन आयात से की थी:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا اِنَّ
اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ.
(١٣:٤٩)

"लोगो! हम ने तुम को एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है और फिर तुम्हारी क़ौमें और जातियां बना दीं ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। हक़ीक़त में अल्लाह के नज़दीक तुम में से सब से अधिक इज़्ज़त वाला वह है जो तुम्हारे अन्दर सब से अधिक परहेज़गार और संयमित है। यक़ीनन अल्लाह सब कुछ जानने वाला और ज्ञानी है।" 49:13

आलमी भाईचारे में हर इंसान शामिल है। होना यह चाहिए कि इसका अमल (कार्य) अच्छा हो, उसमें तक़वा (संयम) हो। मान लीजिय मेरे दो भाई हैं जिन में से एक अच्छा आदमी है। वह डॉक्टर है, लोगों का इलाज करता है और दूसरा भाई एक ग़लत आदमी है वह शराबी है ज़ानी (हराम कारी करने वाला) है।

अब मेरे भाई तो दोनों हैं लेकिन इन दोनों में अच्छा कौन सा है? ज़ाहिर है कि वह भाई जो डॉक्टर है जो लोगों का इलाज करता है, समाज के लिये मुफ़ीद (लाभकारी) है, हानिकारक नहीं है। दूसरा भी मेरा भाई तो है लेकिन अच्छा भाई नहीं है।

इसी तरह दुनिया का हर व्यक्ति मेरा भाई है लेकिन वह जो नेक है, मुत्तक़ी (संयम रखने वाला) है, ईमानदार है और अच्छे कर्म करने वाला है वह मेरे दिल के ज़्यादा क़रीब है। यह बात बहुत साफ़ है। मैं अपनी बातचीत के दौरान भी यह बातें कर चुका हूं और अब दुहरा भी दी हैं।

उम्मीद है कि आप को अपने सवाल का जवाब मिल चुका होगा।

प्रश्नः हिंदूमत, इस्लाम और ईसाईयत तीनों धर्मों में आलमी भाईचारे (विश्व बंधुत्व) का बढ़ावा देने वाली बातें कर रहे हैं लेकिन आप ने बात सिर्फ़ इस्लाम के हवाले से की है। आपने भाईचारे के हवाले से हिंदूमत् और ईसाईयत के चरित्र की व्याख्या नहीं की?

उत्तरः भाई का कहना है कि मैंने सिर्फ़ इस्लाम के हवाले से अच्छी बाते की हैं। आलमी भाईचारे के हवाले से हिंदूमत् और ईसाईयत की अच्छाईयाँ नहीं गिनवाईं। अगरचे मैंने इन धर्मों के हवाले से कुछ अच्छी बातें आवश्यक की हैं लेकिन यह बात ठीक है कि भाईचारे के हवाले से इन धर्मों की हर बात पर बातचीत मैंने नहीं की। क्योंकि शायद यहां मौजूद लोग इन तमाम बातों को हज़म न कर पाएं। लोग वह बातें सहन ही नहीं कर सकेंगे। इसलिए मुझे ख़ुद पर क़ाबू रखना पड़ता है।

मैं ईसाईयत के बारे में जानता हूं। मैंने बाईबल का अध्ययन किया है। मैंने हिंदूमत् की पवित्र किताबें भी पढ़ी हैं। अगर मैं उनके संदर्भ से बात करूं तो यहाँ समस्या बन जाएगी और वह मैं नहीं चाहता। इसलिए मैं सिर्फ़ समान शिक्षा का ही ज़िक्र करता हूं। हिंदूमत् कहता है किसी को मत लूटो, ईसाईयत भी यही कहती है कि किसी को मत लूटो, किसी के साथ अत्याचार न करो।

जहां तक भाईचारे के हवाले से दूसरी बातों का सम्बंध है, मैं उनका ज़िक्र नहीं करता। यहां सिर्फ़ मैं एक बात करना चाहूंगा। 'मती' की इंजील में लिखा है, और मैं हर बात संदर्भ के साथ करता हूं। मैं किताब का नाम, बाब (अध्याय) का नम्बर सब कुछ बता रहा हूं, इसलिए इस हवाले से कोई शक नहीं होना चाहिए।

"उन बारह को यिशु ने भेजा और आदेश दे कर कहा; ग़ैर क़ौमों की तरफ़ न जाना और सामरियों (जादूगर) के किसी शहर में दाख़िल न होना। बल्कि इसराईल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना।" (मती:7,6,10)

इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया:

"मैं इसराईल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया...... लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं।"

(मती:26-24/15)

इसका अर्थ यह हुआ कि धर्म सिर्फ़ यहूदियों के लिये है, पूरी कायनात (सृष्टि) के लिये नहीं है। ईसाईयत में रहबानियत का तसव्वुर मौजूद है, रहबानियत क्या है? यह कि अगर आप ख़ुदा के क़रीब होना चाहते हैं तो आप को दुनिया छोड़नी पड़ेगी, जबकि क़ुरआन कहता है:

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلٰى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْاِنْجِيْلَ وَجَعَلْنَا فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ رَاْفَةً وَّرَحْمَةً وَّرَهْبَانِيَّةً مَا كَتَبْنَا هَا عَلَيْهِمْ اِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْهُمْ اَجْرَهُمْ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُوْنَ.

(٢٧:٥٧)

"उनके बाद हम ने लगातार अपने रसूल भेजे और उन सब के बाद ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को मबऊस (नबी बनाया) किया और उसको इंजील अता की और जिन लोगों ने उसको माना उनके दिलों में हम ने रहम डाल दिया और रहबानियत उन्होंने ख़ुद बनाली। हम ने उसे उन पर फ़र्ज़ नहीं किया था। मगर अल्लाह तआला की ख़ुशनूदी (रज़ा मंदी) को चाहा उन्होंने अपने आप ही यह बिदअत (नई रस्म)

निकाली और फिर इसकी पाबंदी करने का जो हक़ था उसे अदा न किया। उनमें से जो लोग ईमान लाए थे उनका अज्र (बदला) हम ने दिया मगर उनमें से कुछ लोग फ़ासिक़ (गुनहगार) हैं।"

इस्लाम में रहबानियत की इजाज़त नहीं है। रसूल अल्लाह (स॰अ॰व॰) ने भी यही फ़रमाया है कि; इस्लाम में रहबानियत नहीं है। सही बुख़ारी, किताबुल निकाह की एक हदीस का अर्थ कुछ यूं है कि हर वह जवान व्यक्ति जो निकाह की ताक़त रखता हो, उसे निकाह करना चाहिये।

अगर मैं यह बात मान लूं कि दुनिया को छोड़ने से आप वास्तव में अल्लाह के क़रीब हो जाते हैं और अगर "हर व्यक्ति इस बात से सहमती लेकर रहबानियत अपनाले तो क्या होगा? होगा यह कि सौ डेढ़ सौ वर्ष के अंदर-अंदर इस ज़मीन पर कोई आदम ज़ाद बाक़ी नहीं रहेगा। आप यह बताईये कि अगर आज दुनिया का हर व्यक्ति ऐन शिक्षा पर अमल करने लगे तो आलमी भाईचारा कहां से आएगा? इसी लिये मैंने दूसरे धर्मों का ज़िक्र सिर्फ़ अच्छे पहलुओं से किया। लेकिन अगर आप जानना चाहेंगे और सवालात करेंगे तो फिर मेरा फ़र्ज़ है कि मैं सच बोलूं।

कुरआन मजीद मैं अल्लाह तआला फ़रमाता है:

وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. (١٧:٨١)

"और ऐलान कर दो कि "हक़ आ गया और झूठ मिट गया, झूठ तो मिटने ही वाला है।"

उम्मीद है कि आप को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा।

Islam Atankwad Ya Bhaichara

3004/2 Sir Syed Ahmad Road, Darya Ganj, New Delhi-110002
Tel. : 91-11-2327 1845, Fax : 91-11-4156 3256